स्मारिका २००१

तेरहवाँ त्रैवार्षिक अधिवेशन

दिनांक ३० सितम्बर एवं १ अक्टूबर २००१

राजर्षि पुरूषोत्तम दास टंडन मंडपम्

इलाहाबाद

भारतीय रेलवे मजदूर संघ

सम्बद्ध–भारतीय मजदूर संघ एवं सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ

आपण ज्येष्ठ आहात
श्रेष्ठ आहात
आम्हास
आदरणीय आहात...

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खास
जीवेत् शरदः शतम्
ठेव योजना
अधिक लाभ

इतकेच नव्हे तर...कंपन्यांचे डिबेंचर्स / इंटरेस्ट बॉन्ड्स
यांची वसूली दर्शनी विनामूल्य !

नजिकच्या शाखेत संपर्क साधा

सोलापुर जनता सहकारी बँक लि.

"शिवस्मारक" गोल्डफिंच पेठ, शिंदे चौक सोलापुर–४१३ ००७
फोन : ६२६५१२, ६२६५१३, फैक्स : ०२१७–६२७५२८ E-mail : sjsb@bom6.vsnl.net.in

दिलीप सुकलीकर
सरव्यवस्थापक

सदाशिव दाते
उपाध्यक्ष

मधुसूदन व्हटकर
अध्यक्ष

खुश क्यों न हों हम.....

आज एक और इम्तिहान में कामयाब हुआ है।

आज एक और इम्तिहान में कामयाब हुआ है।

साक्षरता के मामले में हमारा मध्यप्रदेश कई दूसरे राज्यों से आगे निकल कर आ खड़ा हुआ है, ज्यादा पढ़े–लिखे राज्यों के साथ।

1991 में 44% साक्षरता के मुकाबले अब मध्यप्रदेश में 64.11% साक्षरता हो गयी है।

दस बरस पहले जहां एक चौथाई से थोड़ी ही ज्यादा महिलाएं साक्षर थीं–वहीं अब आधी से ज्यादा महिलाओं ने पढ़ने–लिखने की काबलियत हासिल कर ली है।

साक्षरता के मामले में कभी सबसे पिछड़े हमारे झाबुआ जिले में स्त्री साक्षरता वृद्धि की 14% दर अब राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गयी है। स्त्री साक्षरता की यही कहानी 16 दूसरे जिलों में भी दोहराई गयी है जहां 54% महिलाओं ने साक्षर बनकर राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। पुरुष साक्षरता तो बढ़कर 76.8% हो गयी है।

प्रदेश के 45 में से 21 जिलों में साक्षरता बढ़ने की दर भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर आ गयी है।

यह कामयाबी साबित करती है कि मध्यप्रदेश ने शुरूआत की है अपनी नयी पहचान बनाने की।

64.11% यानि फर्स्ट क्लास नतीजा साक्षरता में

समाज के गरीब, शोषित एवं कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु कार्यरत दिल्ली प्रदेश बाल्मीकि महासंघ (रजि०)

शुभकामनाओं सहित

मदन लाल बाल्मीकि

अध्यक्ष

निगम पार्षद

उपाध्यक्ष :

तदर्थ–अनु.जाति का कल्याण एवं अनु. जाति के प्रत्याशियों के कोटे का कार्यान्वयन समिति दि.न.नि.

सदस्य :

स्वच्छता एवं सफाई समिति दि.न.नि.,
स्लम, कमेटी दि.न.नि.

निवास :

सी–133, डी.डी.ए. फ्लैट,
न्यू रंजीत नगर,
नई दिल्ली–110 008
फोन– 3961662 (कार्या०)
5703317 (नि०)

✆ 5894951 5700340
5894967 5705380
5894968 5705280
5707965
9810008925

R. S. Dixit
M.D.

GOPALJEE

G.K. Dairy & Milk Products Pvt. Ltd.

Wholesaler of
Milk & Milk Products

41-42, Pandav Nagar,
Opp. Naraina Bus Depot, New Delhi-110008

With best compliments from

ALFA GARDENS & ALFA SPICE RESTAURANT

4-A, Pusa Road, Next to Telephone Exchange
(Opposite Radha Swami Satsang), New Delhi-110 005
Tel. : 5813481-3482-3483/3484 Fax : 5773388
e-mail : spuri2011@yahoo.com

Biodata Of

MAN. SHRI BHARAT JI AGARWAL,

SWAGATADHYAKSH

- ✧ Born on 2nd August 1942 at Allahabad
- ✧ Completed his early education from Agarwal Inter College and K.P. Inter College, Allahabad, Completed B.Sc and L.Lb (1962) from Allahabad University.
- ✧ Took the initial training with his elder brother Shri Raja Ram Agrawal, Senior Advocate and former Advocate General of Uttar Pradesh.
- ✧ Enrolled as an advocate on 16th August 1963.
- ✧ Became member of U.P. Bar Council in 1980 and also Vice Chairman of U.P. Bar Council for one year. Became Chairman U.P. Bar Council on 21.2.1999.
- ✧ Appointed as Senior Standing Council, Income-tax Department, Government of India in November 1984 and continuing as Senior Standing Council since then.
- ✧ Participated in large number of Tax Conferences and Seminars all over the country.

  11th & 12th September 1998 : Participated in National Workshop on Tax Laws, organized by Madras Chamber of Commerce and Industry at Chennai, representing northern States.
- ✧ Was appointed Member, Advisory Committee of the Government of Uttar Pradesh for Sales Tax matters.
- ✧ Associated with educational institutions - (i) President, Allahabad Inter College, (ii) President, Agarwal Jatiya Shiksha Parishad, Allahabad Degree College, Lalit Kala Kendra and Allahabad Primary School. Also associated with other social and educational institutions. Patron Member of Agarwals Samaj, Allahabad.
- ✧ Designated as Senior Advocate by the High Court, Allahabad in 1997.

Jayanti Thacker
Tel. : 692301, 528150
523950

KARAN TRAVELS

17, Pithaliya complex, Opp. Fafadih Telephone Exchange, K.K. Road, Raipur (Chhattisgarh)

Authorised Rail Travellers Service

Agent (S.E. Railway) • Bus Tickets • Air Tickets • Taxi Service

पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष एवं महामंत्री सर्व श्री सूर्यकान्त शर्मा (बायें) एवं रघुवीर सिंह सिसोदिया (दायें) श्री शरद् देवधर प्रतिष्ठान पुरूष्कार श्री दामोदर प्रसाद जी शर्मा के नेतृत्व में ग्रहण करते हुए। चित्र में भा०रे०म०संघ के वित्त सचिव श्री मंगेश देशपांडे खड़े हुए।

चेन्नई में दि० १६ जून २००१ को कारखाना कर्मचारियों के सम्मेलन का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करते हुए श्री श्रीनिवास जोशी (पूर्व महामंत्री, भा०रे०म०संघ)
चित्र में भा०म०संघ के कार्याध्यक्ष माननीय श्री वेणुगोपाल तथा दीप प्रज्जवलन में सहयोग करते हुए भा०रे०म०संघ के उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र बाबू

द्वितीय उत्पादन ईकाई एवं कारखाना कर्मचारी सम्मेलन में बोलते हुए भा०रे०म०संघ सहायक महामंत्री श्री लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल मंच पर विराजमान (बायें से)
सर्व श्री अध्यक्ष, आई.सी.एफ., श्रीनिवास जोशी, के० स्वयंभूव, मा. वेणूगोपाल, राजेन्द्र बाबू, नारायणन काकादेवन, मंगेश देशपांडेय तथा चिन्मय शुक्ला

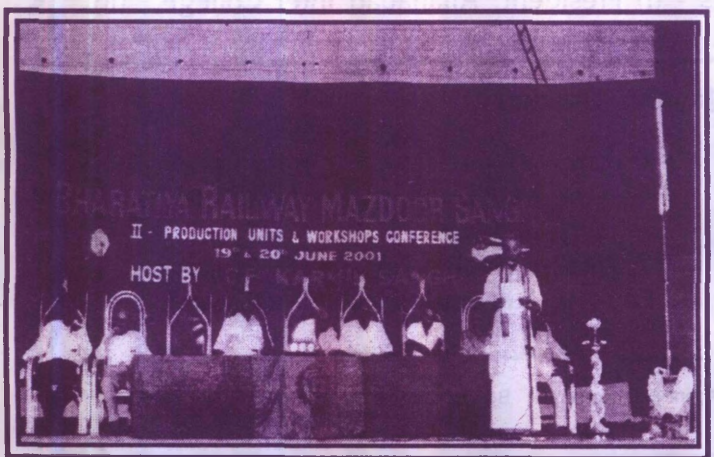

भारतीय रेलवे मजदूर संघ

(सम्बद्ध - भारतीय मजदूर संघ एवं सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ)

प्रधान कार्यालय – 33, मोती भवन (द्वितीय मंजिल), डी–सिल्वा रोड, दादर, मुम्बई–400028

स्मारिका 2001

तेरहवां जैवार्षिक अधिवेशन

दिनाँक 30 सितम्बर एवं 1 अक्टूबर 2001

इलाहाबाद

आवरण पृष्ठ

- इलाहबाद जंक्शन
- कुम्भ

पार्श्व छायाचित्र

- संग्राहलय–पृ० सं० ३
- इलाहबाद विश्वविद्यालय – पृ० सं० ४
- चर्च सिविल लाइन – पृ० सं० ५
- हाईकोर्ट – पृ० सं० ७
- शंकराचार्य मंदिर – पृ० सं० ८

सम्पादक

के० स्वयंभूवू,

महामंत्री, भा०रे०म०सं०

प्रबन्ध सम्पादक

लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल

सहायक महामंत्री, भा०रे०म०सं०

मुद्रक

शिवा ऑफसेट प्रेस

14, ओल्ड कनाट प्लेस, देहरादून, दूरभाष 655748

अक्षर संयोजन

सीबेक्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स

आर. जी. एम. प्लाजा, चकराता रोड, देहरादून दूरभाष : 654815

अनुक्रमणिका

क्रम सं०	विषय	लेखक का नाम	पृष्ठ सं०
1.	शुभ संदेश	.....	3-5
2.	सम्पादकीय	.....	7-
3.	भा०म०संघ के सिद्धान्त	श्री ए०के० झाल्टे	8
4.	महत्वपूर्ण श्रमिक विधियों	डॉ० दिनेश प्रताप सिंह	8
5.	भारतीय मजदूर संघ – कल, आज और कल	श्री रामप्रकाश मिश्र	9
6.	राष्ट्र उद्योग तथा श्रमिकों से जुड़ी समस्याऐं और उनका समाधान	श्री हुसभाई दवे	15
7.	कार्यकर्ता	श्री श्रीनिवास जोशी	17
8.	आर्थिक गुलामी के विरूद्ध युद्ध के लिए तैयार हो जाओं	श्री दत्तोपंत ढ़ेगड़ी	19
9.	Memorandum Submitted to IInd ILC	.....	25
10.	राकेश मोहन कमिटी की रिपोर्ट – एक विशलेष्ण		33
11.	LPG- A Curse	S. Gurumurthy	43
12.	स्वेच्छा सेवा निवृत्ति योजना	दत्ता रावदेव	47
13.	राष्ट्रीय पुननिर्माण का प्राण किसमें है।	हो.वे. शेषाद्री	51
14.	साधना सा प्रयास	महेश कुमार पाठक	53
15.	Programmes are our life	K.Swyambhvu	55

Inder Pal Babbar

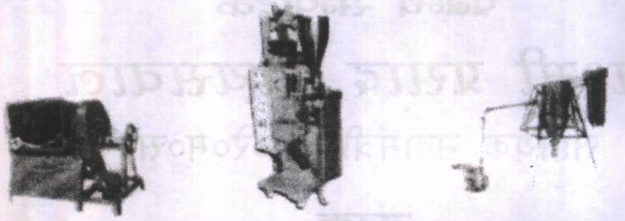

Babbar Engineering & Electric works (Regd).

Works : 688/335, Near D-Block, Munshi Ram Bagh
New Ranjeet Nagar, New Delhi-110 008
Phones : 5705367, 5705363

फोन : (00-91) (011) 6103495
फैक्स : 6195527, 3792896
ई–मेल : samvad@del2.vsnl.net.in
ग्राम : 'HINDUDHARMA'

विश्व हिन्दू परिषद
VISHVA HINDU PARISHAD

संकट मोचन आश्रम, (हनुमान मंदिर) सेक्टर–६, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–११००२२ (भारत)

पत्र संख्या : वि. हि. प./१५ए/२००१ दिनांक : 22 अगस्त 2001

अध्यक्ष
विष्णु हरि डालमिया
President
V.H. Dalmia

कार्याध्यक्ष
अशोक सिंहल
Working President
Ashok Singhal

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
आचार्य गिरिराज किशोर
Senior Vice President
Acharya Giriraj Kishore

महामन्त्री
डॉ. प्रवीण भाई तोगडिया
Secretary General
Dr. Pravin Bhai Togadiya

संयुक्त महामंत्री
सदानन्द काकडे
ओंकार भावे
बालकृष्ण नाईक
Joint General Secrertary
Sadanand Kakade
Omkar Bhaway
Balkrishna Naik

बन्धुवर श्री लक्ष्मी प्रसाद जी जायसवाल

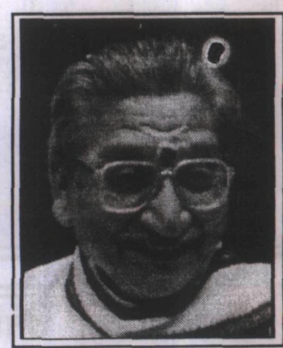

जय श्री राम।

रेलवे देश एवं राष्ट्र की महत्वपूर्ण जीवन रेखाओं में से एक है। राष्ट्र हित में स्वच्छ एवं स्वस्थ कृत्रित्व प्रणाली के द्वारा ही किसी भी देश अथवा समाज को कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ सकता है।

अधिवेशन में राष्ट्रहित में विस्तृत चर्चा होगी। तत्पश्चात स्वस्थ निर्णय होंगे। समाज भी इस जीवन रेखा को प्रगति के उच्च लक्ष्य की ओर गतिशील बनाये रखने के महत्व को समझें ओर अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करें।

प्रभु हमारे सभी बन्धुओं को दायित्वपूर्ण कार्य करने की शक्ति, सामर्थ्य एवं क्षमता प्रदान करें तथा बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का अटूट साहस भी।

अधिवेशन की सफलता हेतु शुभकामना।

हस्ताक्षर

(अशोक सिंहल)
कार्याध्यक्ष

भारतीय मजदूर संघ

रामनरेश भवन, तिलक गली, पहाड़गंज नयी दिल्ली–११००५५
फोन : ३६२०६५४, ३६२४२१२ फैक्स : ९१–११–३५१७३०७

पत्रांक : भा०म०सं० / सी–१८ / १४२८ / २००१ दिनांक : 19 अगस्त, 2001

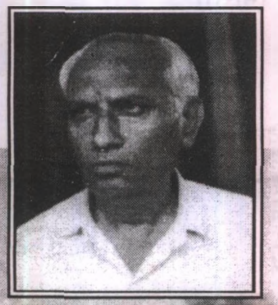

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि भारतीय रेलवे मजदूर संघ अपने १३ वें त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर देश के सुयोग्य एवं मूर्धन्य विद्वानों के विचारों को संकलित करने के लिये स्मारिका प्रकाशित कर रहा है।

हमें आशा है तथा विश्वास है कि "श्रम स्मारिका" नाम से प्रकाशित यह स्मारिका कार्यकर्ताओं को समुचित दिशा निर्देश देने में सफल होगी जिससे वे संगठन को और भी सक्षम तथा सुदृढ़ बनाने में जुट जायेगें।

शुभ कामनाओं के साथ

(हसु भाई दवे)
महामंत्री

डॉ० महेश चन्द्र शर्मा
संसद सदस्य (राज्य सभा)
मुख्य सचेतक – भाजपा (राज्य सभा)

सदस्य : विभाग संबंधित संसदीय स्थाई समिति, विदेश मामले
उद्योग, परामर्शदात्री समिति,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, संसदीय राजभाषा समिति

19 अगस्त, 2001

आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद जी,
नमस्कार !

भारतीय रेलवे मजदूर संघ का अखिल भारतीय त्रैवार्षिक अधिवेशन पवित्र प्रयागराज मे हो रहा है, मेरी हार्दिक मंगलकामनायें स्वीकार करें।

स्मारिका हेतु आलेख भेजना संभव नही हो पा रहा, क्षमाप्रार्थी हूँ। पं० दीनदयाल जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है तद्नुसार हमारी अर्थव्यवस्था के लिये उन्होनें दो मंत्रोद्घोष दिये हैं, प्रथम है 'स्वावलंबन' तथा द्वितीय है 'स्वेदशी'।

स्वावलंबन के बिना स्वदेशी की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वावलंबी अर्थव्यवस्था ही भारतीयकृत एकात्म मानवदर्शन को भू–मंडलीकृत कर सकती है। पाश्चात्य भू–मंडलीकरण प्रकृतितः साम्राज्यवादी है। भारत को इस चुनौती का सामना करना होगा। भारतीय मजूदर संघ इसमें निर्णायक एवं सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। बधाई एवं शुभकामनायें।

शुभम् ! सर्व को नमः

डॉ. महेश चन्द्र शर्मा

डॉ० सत्यनारायण जाटिया

सत्यमेव जयते

श्रम मंत्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली - 110 001
Minister for Labour,
Government of India
New Delhi - 110 001
१६ अगस्त, २००१

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि भारतीय रेलवे मजदूर संघ का १३वाँ त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक ३० सितम्बर एवं १ अक्तूबर, २००१ को इलाहाबाद में सम्पन्न हो रहा है तथा इस अवसर पर **श्रमिक स्मारिका** का प्रकाशन किया जा रहा है।

राष्ट्रहित, उद्योगहित एवं श्रमिकहित की अवधारणा को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिक जगत में अपना विशिष्ठ स्थान बनाया है। देश के श्रमिकों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संगठन से बहुत आशाएं हैं। मुझे विश्वास है कि अधिवेशन में रेल मजदूरों की समस्याओं के साथ ही साथ राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी विचार–विमर्श होगा।

अधिवेशन में सम्मिलित अतिथियों, प्रतिनिधियों एवं आयोजकों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए अधिवेशन की सफलता एवं **श्रमिक स्मारिका** के सफल प्रकाशन की शुभकामनाएं देता हूँ।

शिव संकल्पमस्तु.

हस्ताक्षर

(डॉ० सत्यनारायण जाटिया)

श्री लक्ष्मी प्रसाद जी जायसवाल,
सहायक महामंत्री,
भारतीय रेलवे मजदूर संघ
ई, ११/ए, अपर कालोनी, देहरादून

ओ० राजगोपाल
O. RAJGOPAL

रे.म.सं. (ओ.आर.)/वी.आई.पी./२८१/२००१

सत्यमेव जयते

रेल राज्य मंत्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली - 110 001
Minister for State for Railways
Government of India
New Delhi - 110 001
30 अगस्त, 2001

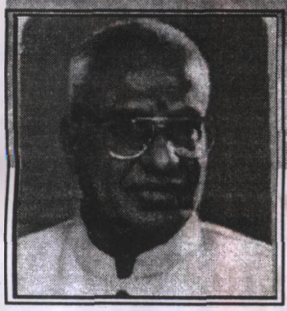

यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि भारतीय रेलवे मजदूर संघ द्वारा अपना १३वाँ त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन ३० सितम्बर एवं १ अक्टूबर, २००१ को इलाहाबाद में सम्पन्न किया जा रहा है।

मुझे उम्मीद है कि इस अधिवेशन में रेल कर्मियों की समस्याओं पर विचार–विमर्श कर प्रशासन के समक्ष इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा ताकि श्रमिकों की समस्याओं के बारे में निर्णय लेने में सुगमता रहे। मैं इस अधिवेशन की सफलता की कामना करते हुए इस अवसर पर प्रकाशित की जा रही स्मारिका के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं।

सादर

आपका,

(ओ० राजगोपाल)

श्री लक्ष्मी प्रसाद जी जायसवाल
सहायक महामंत्री,
३३, मोती भवन, द्वितीय तल,
डी–सिल्वा रोड, दादर, मुम्बई

Editorial

My dear Brother,

I feel unbounded pleasure to publish this "Souvenir" on this occasion of 13th Triennial Conference of Bhartiya Railway Mazdoor Sangh, being held at "Prayag Raj" (Allahabad) the holy city of our country.

Bhartiya Railway Mazdoor Sangh with more than 8 Lakhs membership is serving Railwaymen since last 3½ decades. The sincere and honest efforts of our cadres enabled us to gain the confidence of Railwaymen and paved a way for our progress.

Now we are passing through a crucial time because of the New Economic policies adopted by the Government at the behest of WTO and other international Monetary organisation. The lives of Working Class are becoming miserable. The Security net hither to provided by various labour acts are now slowly withdrawn. Contract labour system, Hire and Fire system are again finding place. Rakesh Mohan Committee has recommended for debundling of Railways. Ahluwalia committee has recommended for liberalization of labour laws and introduction of contract Labour system. Geetakrishnan Committee has recommended for drastic reduction of Government work force. All these things will lead to exploitation of labour and raise unemployment. Indiscriminate privatisation and allowing MNCs in to our country is going to threaten our Economic sovereignty.

Therefore it is the duty of every member of Bharatiya Mazdoor Sangh to rise to the occassion and fight against the disastrous policies of the Government. At this Juncture this souvenir will definitely act as a guiding force. Various articles, messages of learned personalities published in this souvenir will inspire our Karykartas to vendicate themselves to the noble cause of our great Nation. I express my gratitude to all those who helped me in bringing out this "Souvenir" by contributing their articles, messages and giving their advertisement. I also vow my thanks to all my colleagues who helped me in this endeavour.

with regards

Editor

महत्वपूर्ण श्रमिक विधियां

– डा० दिनेश प्रताप सिंह

1. कर्मकार प्रतिकार अधिनियम–1923.
2. भारतीय बायलर अधिनियम–1923.
3. बाल (श्रम गिरवीकरण) श्रम अधिनियम–1933.
4. व्यवसाय संघ अधिनियम–1936.
5. मजदूरी संदाय अधिनियम–1936.
6. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम–1946.
7. औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947.
8. कारखाना अधिनियम–1948.
9. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948.
10. नियोजक दायित्व अधिनियम–1938.
11. साप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम–1942.
12. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम–1947.
13. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम–1952.
14. घातक दुर्घटना अधिनियम–1855.
15. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम–1966.
16. ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम–1970.
17. बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम–1976.
18. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम–1961.
19. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948.
20. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम–1976.
21. बोनस संदाय अधिनियम–1965.
22. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम–1961.
23. वैयक्तिक क्षति (प्रतिकार बीमा) अधिनियम–1963.
24. प्रशिक्षु अधिनियम–1961.
25. औद्योगिक विवाद (बैंकिंग कम्पनी) विनिश्चय अधिनियम–1955.
26. श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें एवं प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम–1955.
27. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम–1976.
28. समान पारिश्रमिक अधिनियम–1976.
29. श्रम विधि विवरणी देने और पंजी देखने से कतिपय स्थानों को छूट अधिनियम–1988.
30. उपादान संदाय अधिनियम–1972.
31. बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम–1986.
32. कर्मचारी पेंशन योजना –1995. ■

भारतीय मजदूर संघ के सिद्धान्त

– ए०के० झाल्टे, उपमहामंत्री, भा.रे.म.सं.

1. राष्ट्रवादी दृष्टिकोण।
2. रचनात्मक प्रवेश।
3. अवसरवादिता नहीं, आदर्शवाद।
4. लोकतांत्रिक उपायों में आस्था।
5. जाति, पंथ, लिंग और समाज का विचार न कर प्रत्येक भारतीय को प्रवेश।
6. संस्था का अराजनैतिक स्वरूप।
7. वर्गवाद की कल्पना श्रममूलक।
8. श्रमिक हित तथा राष्ट्रीय–हितों से साम्य की मान्यता।
9. पूंजीवाद एवं साम्यवाद दोनों से अलग राष्ट्रवाद की ओर मजदूर वर्ग को ले जाने का निश्चय।
10. संस्था में पैसे और पसीने की हिस्सेदारी का आग्रह।
11. अधिकार एवं कर्त्तव्य का समन्वय।
12. अधिकतम उत्पादन तथा बराबर लाभ।
13. अन्य सभी वैधानिक मार्गों की असफलता पर हड़ताल का अन्तिम शस्त्र के रूप में उपयोग।
14. परमेश्वर ही समस्त पूंजी का स्वामी है, यह दृढ़ विश्वास।
15. पश्चिम की मान्यताओं, परिभाषाओं एवं आदर्शवाद की बौद्धिक दासता से मुक्ति।
16. भारतीय समाज व्यवस्था एवं दार्शनिक सिद्धान्त के विकास की मान्यता पर विश्वास।
17. भारतीय पद्धति एवं वैज्ञानिक आधार विकास की अवधारणा को मान्यता।
18. वर्ग रहित राष्ट्रीय स्वायत्त उद्योग समूहों की स्थापना की मान्यता।
19. वेतन आयोग की स्थायी रूप से स्थापना की मांग।
20. मशीनीकरण के बजाय मानव श्रम को महत्ता।
21. राष्ट्रहित के सम्मुख व्यक्तिगत हित एवं महत्त्वाकांक्षा महत्त्वहीन।
22. विदेशी तकनीक का भारतीय दृष्टि से परिष्करण के उपरान्त ही उपयोग।
23. मशीने श्रम की कठोरता को घटायें, उत्पादकता को बढ़ाये, मगर वे श्रम का अवसर न छीनें, न आदमी को अपना पुर्जा बना पायें।
24. धनी–निर्धन, विद्वान–अनपढ़ और शासक–शोषित का द्वैत मिटकर अद्वैत उभरे।
25. जीवन और जगत पर प्रकाश, आनन्द और करूणा का राज्य हो।
26. समाज और व्यक्ति राष्ट्र तथा विश्व में परस्पराश्रय हो, परस्पर विरोधी नहीं।
27. जीविका के लिए जीवन रेहन न रखना पड़े, रोटी इन्सान को न खाये। ■

भारतीय मजदूर संघ– कल आज और कल

राम प्रकाश मिश्र, संगठन मंत्री, भा.म.संघ

भारतीय मजदूर संघ की स्थापना भोपाल में २३ जुलाई १९५५ को हुई। उस समय भारत में ४ केन्द्रीय श्रम संगठन एटक, इण्टक, एच०एम०एस० व यू०टी०यू०सी० थे। एटक को छोड़कर शेष तीन संगठन एक दूसरे से टूट कर बने थे। इसलिये इनका स्वभाव विघटनात्मक रहा है। ये सभी संगठन पाश्चात्य विचारधारा को लेकर चले। वे सभी मजदूरों को सर्वहारा मानते थे और आज भी इनकी वही सोच है। वे सभी संगठन राजनीति और श्रम संगठन साथ–साथ चलाने के पक्षधर रहे हैं। पाश्चात्य परम्परा एवं संस्कृति से प्रभावित होने के कारण इन्होंने मजदूरों का श्रम दिन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दिन 'मई दिवस' को माना। इन परिस्थितियों में जब भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई तो उसने विशुद्व गैर राजनीतिक श्रम संगठन चलाने का निश्चय किया। साथ ही यह भी तय किया कि भारतीय मजदूर संघ मजदूरों द्वारा, मजदूरों के लिये, मजदूर संगठन के रूप में कार्य करेगा साथ ही मजदूरों को जिसे पूर्व के संगठन सर्वहारा मानते थे राष्ट्र निर्माता के रूप में मानकर कार्य करेगा। मजदूरों की समस्याओं के प्रति चिन्ता तो करेगा ही उन्हें राष्ट्र उद्योग और मजदूर तीनों हित का ध्यान रखकर कार्य करने की प्रेरणा देगा।

नियोजक मजदूरों का शोषण न कर सके इसलिये उद्योग चलाने के तीन सूत्र राष्ट्र का औद्योगीकरण, उद्योगों का श्रमकीकरण श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण पर जोर देगा अर्थात राष्ट्र में उद्योग धन्धे का विस्तार हो, उद्योगो के प्रबन्ध व पूंजी मे मजदूरों की बराबर की भागीदारी हो तथा मजदूरो में प्रखर राष्ट्रवाद आये इसका निरन्तर प्रयास करेगा। स्थापना के समय भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट रूप से सोचा कि राष्ट्र, उद्योग और मजदूर तीनों के हित एक ही दिशा में जाने वाले हैं। यदि मजदूर गिरेगा तो कोई राष्ट्र उठ नही सकता है। यदि मजदूर उठेगा, आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। दोनो के हित अन्योन्याश्रित हैं।

भारतीय मजदूर संघ व अन्य केन्द्रीय श्रम संगठनों में अन्तरः

भारतीय मजदूर संघ व अन्य केन्द्रीय श्रम संगठनों में जहां वैचारिक अन्तर है वहीं सबसे बड़ा अन्तर यह है कि हमारे यहां प्रत्येक कार्यकर्त्ता भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता है। वह अपनी यूनियन व औद्योगिक महासंघ का अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य होता है। भारतीय मजदूर संघ से पृथक श्रम संघों में प्रत्येक कार्यकर्ता सर्वप्रथम अपनी यूनियन और औद्योगिक महासंघो का कार्यकर्ता होता है। अर्थात अपनी यूनियन एवं औद्योगिक महासंघ के माध्यम से केन्द्रीय श्रम संगठन का अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ता होता है। इसलिये सभी नेता होते हैं और अपनी जय–जयकार व स्वागत को प्राथमिकता देते हैं। भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता, कार्यकर्ता ही होता है, नेता शब्द को अपमान सूचक मानता है। व्यक्तिगत जय–जयकार और स्वागत से परहेज रखता है। वह अपनी दोहरी जिम्मेदारी को भली भांति समझता है। इसलिये वह तदनुसार व्यवहार भी करता है।

राष्ट्र हित की चौखट के अन्तर्गत उसे श्रम संगठन चलाना है। वह राष्ट्र के सामने मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हुए मजदूरों का पक्ष राष्ट्र के सामने रखता है। मजूदरों की समस्या से पूरा राष्ट्र अवगत हो इस बात के लिए वह पुरजोर प्रयास करता है।

राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व मजदूरों के सामने करता है। राष्ट्र मजदूरों से क्या अपेक्षा करता है वह मजदूरों को बताता है। अभी १६ अप्रैल २००१ को दिल्ली में आयोजत विशाल रैली में उसने अपनी दोहरी जिम्मेदारी का भली भांति निर्वाह किया है। जहां डब्ल्यू०टी०ओ० के कारण राष्ट्र पर पड़ने वाले कुप्रभाव की जानकारी उसने देश के कोने कोने से आये हुए मजदूरों की दी। वही डब्लयू टी०ओ० के कारण मजदूर और उद्योग पर क्या कुप्रभाव पड़ा है उसकी जानकारी मीडिया, संसद प्रतिनिधियों एवं जनता तथा सरकार को दी। इस प्रकार भारतीय मजदूर संघ ने अपनी दोहरी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया।

कठिन परिस्थितियों का सामनाः

अमृत वचन

जैसे मैले शीशे में सूर्य की किरणों का प्रतिविम्ब नहीं पड़ता, उसी प्रकार उन लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता जिनका अन्तःकरण मलिन है।

रामकृष्ण परमहंस

भारतीय मजदूर संघ को स्थापना काल से ही साम्यवादियों का विरोध तथा राजनैतिक श्रम संगठनो का कड़ा मुकाबला करना पड़ा। साम्यवादियों की सोच विशुद्व भौतिकवादी होने के कारण मनुष्य का कल्याण होने वाला नहीं है। वे कम्यून पर जोर दे रहे थे जिसका आधार भौतिकता थी। यद्यपि भारत में कम्यून का आधार ईश्वर है। साम्यवादी टुकड़े–टुकड़े में सोचते हैं। वे मजदूरों को सबसे अलग करके विचार करते हैं। तभी तो नारा लगाते हैं। **माँग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो।** माँग मजदूरों की पूरी हो–देश जाय जहन्नुम में। भारतीय मजदूर संघ समूचे राष्ट्र के विकास के साथ मजदूरों का विकास चाहता है। सबके कल्याण में मजदूरों का भी कल्याण हो। साम्यवादियों की सोच कम्पार्टमेन्टलाइज्ड है वहीं भारतीय मजदूर संघ की सोच इन्टीग्रेटेड है।

गैर राजनीतिक श्रम संगठन :

जहाँ अन्य श्रम संगठनों ने छोटे रास्ता के नाते राजनीति को ही नजदीक का रास्ता माना। ऐसा चिवार रखने वाले लोगों से प्रभावित न होकर शास्त्र शुद्ध ढंग से विशुद्ध श्रम संगठन के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ ने मजदूर क्षेत्र में काम करना प्रारम्भ किया। शास्त्र शुद्ध ढंग का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय चेतना को जागृत एवं सचेत करना। मजदूर संगठन के नाते मजदूरों की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना उसे सचेत करना हमारा कर्त्तव्य है।

मजदूरों की शक्ति का उपयोग राष्ट्र कार्य में कैसे हो यह देखना और प्रतियोगी सहकारिता का सिद्धान्त लेकर सरकार के साथ कैसा व्यवहार हो हमारी सोच का मुख्य आधार है। राष्ट्र और मजदूर के साथ यदि सरकार और राजनेता असहयोग करेगें तो हमारा भी उनके प्रति विरोध रहेगा। यदि वे राष्ट्र और मजदूर के साथ सहयोग करेगें तो हमारा भी उनके साथ सहयोग रहेगा।

अभाव के बावजूद संगठन की प्रगति :

सब प्रकार के अभाव के बावजूद भारतीय मजदूर संघ की प्रगति हुई है। पहले से जमे जमाये संगठनों का विरोध, सामान्य मजदूरों की उदासीनता कार्यकर्त्ताओं का अभाव, कोष नही, और न ही आगे बढ़कर कोई सहायता करने वाला ही था। ऐसी विकट परिस्थिति में शून्य से सृष्टि का निर्माण करने जैसी प्रगति हुई। किन्तु इस प्रगति में विचार धारा की विशुद्वता और स्पष्टता का बहुत बड़ा योगदान है। कर्तव्य और बुद्विवादी का विचार किया जाय तो अन्य श्रम संगठनों में ऐसे अनेक लोग थे और आज भी है जो हमसे ज्यादा योग्य एवं चतुर है। अति कर्मठ भी है। यद्यपि हम सब भोले नहीं है किन्तु सत्य यह है कि हम तिकड़म बाज नहीं है। हम तय करके चले हैं कि तिकड़म बाजी नहीं करेगें और छोटा रास्ता नहीं अपनाएगें। साथ ही हमारा प्रयास रहा है कि किसी की तिकडमबाजी भी नहीं चलने देंगे। भारतीय मजदूर संघ का जो भी विचार है इस भूमि और संस्कृति की उपज है। हम एक विचार लेकर चले है इसी कारण से सब प्रगति के अभाव के बावजूद हमारी प्रगति हुई है। प्रगति करते–करते हम ऐसे मोड़ पर आ पहुँचे हैं कि जहां हमारी जिम्मेदारीयाँ बढ़ी हैं हमें यह भी विचार करना होगा कि आगे और कौन–कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। हमें कौन–कौन सी नई सतर्कतायें बरतनी होगी। इस सब बातों के बारे में हमें विस्तार से विचार करना होगा।

भारतीय मजदूर संघ की मजदूर जगत को देन :

मजदूर क्षेत्र में श्रमिकीकरण शब्द का प्रयोग बिल्कुल नया है। साम्यवादियों या अन्य श्रमसंगठनों को यह शब्दावली उधार लेने की स्वतंत्रता है। मुम्बई की एक सभा में जिसमें एन०जी० गोरे उपस्थित थे, जब श्री दत्तोपन्त ढेंगड़ी ने इस शब्द का प्रयोग किया तो एन०जी० गोरे के चेहरे का हावभाव बदल गया। बार–बार बोलने से यह शब्द बहुत प्रचलित हुआ। श्री ज्योतिबसु द्वारा रूचि लेने के कारण पश्चिम बंगाल की सेन्ट्रल जूट मिल श्रमिकीकरण के आधार पर चालू हुई। जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधि डाइरेक्टर्स हैं। पुरानी देनदारी अधिक है वरना यह फैक्ट्री लाभ में है।

बोनस देर से दिया गया वेतन है यह बात सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ ने कही। जब समस्त वेतन भोगी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से बोनस देने की बात भारतीय मजदूर संघ ने कही तो पोस्टल, डिफेन्स एवं टेलीकॉम कर्मचरियों ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि "भला वे बोनस कैसे पा सकेगें ? खेद है जिन्हें बोनस मिलना था जब वे ही बोनस का विरोध कर रहे हैं तो औरों को क्या कहा जाय। शुक्रनीति में बहुत पहले से ही अष्टमांश अतिरिक्त वेतन दिए जाने की बात कही गई है।

सुभाषित

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः।।

जो शत्रु और मित्र तथा मान-अपमान में सम है, इसी प्रकार सर्दी, गर्मी और सुख-दुखादि द्वन्द्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वही स्थिर बुद्वि पुरूष है।

अर्थात 12.5% अतिरिक्त वेतन (देर से दिया गया वेतन) कर्मचारी को मिलना ही चाहिये। अर्थात् *अष्टमांश परितोष्यम् दद्यात भृत्यायं वत्सरे"*। आज जो सबको बोनस मिल रहा है वह भारतीय मजदूर संघ की देन है। मूल्य वृद्वि का कारण वेतन वृद्वि नहीं है यह बात भारतीय मजदूर संघ ने जोर देकर कही। वेतन वृद्वि मूल्य वृद्वि के लिए उतनी ही मात्रा में जिम्मेदार है जितनी सीमा में वेतन वृद्वि उत्पादन वृद्वि से अधिक है। इण्डिन इन्सटीच्यूट आफ पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन ने सर्वे किया तो यह निष्कर्ष निकला कि महगांई बढ़ने में मजदूरों के वेतन वृद्वि की जिम्मेदारी बहुत कम है। महंगाई बढ़ने के लिए–घाटे की अर्थ व्यवस्था, कालाधन, अनियंत्रित लाभ तथा ब्याज जिम्मेदार है।

बंगलोर के अधिवेशन २६, २७, व २८ दिसम्बर ८७ में भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्रीय प्रतिबद्वता की बात पर जोर दिया। राष्ट्र हित की चौखट के अन्दर ही भारतीय मजदूर संघ की समस्त गतिविधियाँ चलेंगी।

भारतीय मजदूर संघ ने जहां अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किए वहीं श्रम जगत में अनेक आन्दोलन किये जिससे मजदूर जगत को एक नई दिशा मिली।

वर्ष १६३३–३४ के आधार पर जब १६६० की मंहगाई भत्ता भुगतान की नई श्रंखला बनी तो उसमें बहुत त्रुटियाँ थी जिस पर मुम्बई, भारतीय मजदूर संघ ने आन्दोलन किया। जाँच के लिए लकड़ावाला समिति का गठन हुआ। जिसके कारण मुम्बई का गुणक सूत्र ४.२० से बदलकर ४.४४ हो गया। मुम्बई के मजदूरों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप अहमदाबाद के लिए देसाई समिति बनी। गुणक सूत्र २.६८ से ३.१७ हो गया। दिल्ली के लिए तज्ञ समिति गठित हुई परिणामस्वरूप गुणक सूत्र १.५८ से १.६८ हुआ। मद्रास के लिए तज्ञ समिति का गठन हुआ। परिणामस्वरूप गुणक सूत्र बदलकर ४.६२ से ४.६७ हो गया। कलकत्ता, कानपुर, बगंलोर व मैसूर के भी गुणक सूत्र बदले मजदूरों को मंहगाई भत्ता का लाभ मिला।

२० अगस्त १६६३ में मुम्बई बन्द के समय भारतीय मजदूर संघ की भूमिका अहम थी, एच०एम०के०पी० और हिन्द मजदूर सभा को एक साथ लाने मे भारतीय मजदूर संघ को सफलता मिली।

२४ दिसम्बर १६६६ को प्रथम श्रम आयोग के अध्यक्ष बी० गजेन्द्र गडकर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को भारत के श्रमिकों की समस्याओं के बारे में एक दस्तावेज सौंपा जिसे श्रमनीति के रूप में प्रसिद्धि मिली।

२६ अक्टूबर १६६६ का अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की स्थापना की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर दिल्ली में पहली रैली निकाली ताकि जन जागरण हो सके। इस अवसर पर मांग पखवाड़ा मनाया गया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को १२६ पृष्ठों का "भारत के मजदूरों का राष्ट्रीय अधिकार पत्र" १७ नवम्बर १६६६ को सौंपा गया।

प्रथम अधिवेशन :

भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के बाद १२–१३ अगस्त १६६७ को दिल्ली स्थित पचकुईयाँ रोड कम्युनिटी हॉल में प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ जिसमे ३२५ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मा. दत्तोपन्त ढ़ेगडी पहले महामंत्री बनाए गये।

१६७४ की रेल कर्मचारियों की हड़ताल :

यद्यपि रेल कर्मचारियों की आम हड़ताल ६ मई १६७४ से होनी थी किन्तु जोश में आकर हड़ताल ३ मई से कुछ स्थानों पर हो गई। सरकार ने कर्मचारियों का दमन कठोरतापूर्वक किया। गिरफ्तारियां हुई, कर्मचारियों की पिटाई हुई। आन्दोलन का नेतृत्व जार्ज फर्नान्डीज कर रहे थे। अन्त में कोई समाधान न निकलते देख जार्ज फर्नान्डीज ने जेल से मा. दत्तोपन्त ठेंगडी को एक पत्र लिखकर जो अधिकार पत्र था, आग्रह किया था कि वे हड़ताल वापसी की घोषणा उनकी ओर से करें। अन्त में एक बैठक हुई और जार्ज फर्नान्डीज के पत्र के आधार पर हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया गया। दिल्ली में पत्रकार वार्ता बुलाकर भारतीय रेल मजदूर संघ के संगठन मंत्री श्री आर.एन. फाटक ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की।

आपातकाल में भारतीय मजदूर संघ की भूमिका :

२५ जून १६७५ को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपात काल की घोषणा की। बहुत बड़ी संख्या में जनता को पकड़कर जेलों में ठूस दिया गया। मजदूरों के न्यूनतम बोनस में कटौती कर दी गई। ८.३३ प्रतिशत से घटाकर बोनस ४ प्रतिशत कर दिया गया। अन्य श्रमिक संगठन गिरफ्तार होने के भय से मौन थे किंतु भारतीय

अमृत वचन

भगवान सरलतम अंतःकरण में ही निवास करते है, अतः जीवन को सार्थक करने के लिए सरलता और सात्विकता नितांत आवश्यक है।

संत रामचन्द्र डोगरे जी महाराज

मजदूर संघ ने मुखर होकर विरोध किया और हजारों कार्यकर्ताओं ने बोनस कटौती का विरोध करते हुये गिरफ्तारी दी, और जेल गये। अन्त में जनता पार्टी का शासन होने पर वे जेल से रिहा किए गये। उनमें अनेक कार्यकर्ताओं को जिनकी नौकरी चली गई थी काम पर वापस लिया गया। भारतीय मजदूर संघ की भूमिका आपातकाल की कठिन परिस्थिति में सराहनीय रही। भारतीय मजदूर संघ को मजदूरों का विश्वास प्राप्त हुआ।

१९७८ का 'औद्योगिक सम्बन्ध' विधेयक :

जनता पार्टी के शासनकाल में मंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा श्रम मंत्री हुए। वे 'औद्योगिक सम्बन्ध' विधेयक लाये। विधेयक में अनेक बातें श्रमिक विरोधी थीं जिस के निमित्त दिल्ली में वोट क्लब पर एक संयुक्त मजदूर रैली हुई जिसमें दो लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। ४ खण्डों में तैयार इस विधेयक में, औद्योगिक विवाद आधिनियम में तथा ट्रेड यूनियन कानून में परिवर्तन की बात कही गई थी। ट्रेड यूनियन कानून में परिवर्तन के साथ ही गुप्त मतदान द्वारा यूनियन की मान्यता का प्रावधान किया गया था। ६५ प्रतिशत मत प्राप्त करने वाली यूनियन को सोल बारगेनिंग एजेन्ट, ५० प्रतिशत मत प्राप्त करने वाली यूनियन को चीफ बार्गेनिग एजेन्ट तथा २० प्रतिशत मत प्राप्त करने वाली यूनियन को सहयोगी बार्गेनिंग एजेन्ट का प्रावधान किया गया था।

भूतलिंगम कमेटी की रिपोर्ट

१२ मई १९७८ को भूतलिंगम कमेटी की अनुशंसायें प्रकाशित हुई। इसमें राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन १८०० रू० हो इसका सुझाव दिया गया था। साथ ही इसने हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया था। पूरे देश में इस रिपोर्ट के विरोध में जुलूस, धरने व प्रदर्शन किए गये। भारतीय मजदूर संघ ने इसके विरोध में देश व्यापी आन्दोलन किया।

हिन्द मजदूर सभा व भारतीय मजदूर संघ के विलय का प्रस्ताव

जनता पार्टी के शासन काल में भारतीय मजदूर संघ और हिन्द मजदूर सभा के विलय के सम्बन्ध में श्री मधुलिमये ने मा० दत्तोपन्त ठेंगड़ी को एक पत्र लिखकर भारतीय मजदूर संघ का हिन्द मजदूर सभा में विलय का आग्रह किया। पत्रोत्तर में श्री ठेंगड़ी जी ने कहा कि यह मामला वैसा ही होगा जैसे कि Marry in haste and repent in Leisure

परम पूज्य बाला साहब देवरस को मोहन धारिया के यहां भोजन पर बुलाया गया। वहां भोजन पर विलय के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि संगठन स्विच आन और स्विच आफ की भांति नहीं चलता है। बात जहां की वहां रह गई। इसके पीछे कारण यह था कि दिल्ली में जनसंघ का शासन था। वाटर वर्क्स में अपनी यूनियन थी और प्रभावी थी। हड़ताल हुई, जनसंघ के नेता हड़तालियों से समझौते के लिये तैयार नहीं थे। उनकी यह भी इच्छा थी कि भारतीय मजदूर सघं जनसंघ के विंग के नाते कार्य करे जिसे भारतीय मजदूर संघ ने अस्वीकार कर दिया था। एच०एम०एस० सोसालिस्ट पार्टी के अंग के रुप में कार्य कर रहा था। इसलिये जनता पार्टी की सोच यह थी कि बी०एम०एस० जनसंघ का विंग है और इसका विलय एच०एम०एस० में कर लिया जाए।

वर्ष १९८० की सदस्यता का सत्यापन :

वर्ष १९८० की सदस्यता का सत्यापन सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों का किया गया जिसका परिणाम १९८४ में आया। तब केन्द्रीय श्रम संगठनों के ध्यान में आया कि शुन्य से प्रारंभ होने वाला भारतीय मजदूर संघ आज केन्द्र में द्वितीय स्थान का श्रम संगठन हो गया। किन्तु भारतीय मजदूर संघ अपनी गति और आगे बढ़ाने में लगा रहा।

१९८२ का आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) :

आर.बी.आई. ने एक जांच किया था और बताया कि उद्योगों में कुप्रबन्धन, विविध कारणों और मजदूरों द्वारा किए गये आन्दोलनों से होने वाली हानि का प्रतिशत अलग–अलग है। कुप्रबंधन से होने वाली हानि का प्रतिशत ४६ है तथा अन्य कारणों से होने वाली हानि का प्रतिशत ५२ है तथा मजदूरों के आन्दोलन या मजदूरों के कारण होने वाली हानि का प्रतिशत केवल २ है। इसलिये आवश्यक सेवा के नाम पर केवल मजदूरों को दोषी कहना अनुचित है और हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है। यह तो उनके मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से हनन करना

सुभाषित

हिंसा बलमसाधूनां, राज्ञां दण्डविधिर्बलम्।
शुश्रूषा तु बलं स्त्रीणां, क्षमा गुणवतां बलम्।।

दुष्टों का बल 'हिंसा' है। शासको का बल 'दण्ड' (शक्ति) है।
स्त्रियों का बल 'सेवा' है और गुणवानों का बल 'क्षमा' है।

है। भारतीय मजदूर संघ ने इसका तीव्रतम विरोध किया।

१९९२ की डिसइनवेस्टमेन्ट कमीशन की रिपोर्ट :

इनमें चार बातें मुख्य थीं–घाटे में चलने वाले उद्योग में सरकार पैसा लगाये ताकि वे चल सकें। दूसरे उनके शेयर बेचकर उद्योग चलाये जायें। यदि उद्योग मजदूर चलाना चाहें तो उसकी नीति तय की जाय। यदि कोई उपाय न हो तो उद्योग को बन्द कर दिया जाय। भारतीय मजदूर संघ ने प्रस्ताव किया कि मजदूरों को उद्योग चलाने का मौका दिया जाय किंतु उद्योग के बकाए की देनदारी की जिम्मेदारी मजदूरों पर न डाली जाय। कमीशन की रिपोर्ट से मजदूरों में बेचैनी छा गई। मजदूरों ने अपनी रोजी रोटी जाते देखकर इसका प्रबल विरोध किया। कमीशन रिपोर्ट रद्द भी हो गई।

डंकल प्रस्ताव व गैट समझौता :

भारतीय मजदूर संघ ने डंकल प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। २० अप्रैल १९९३ को दिल्ली स्थित लाल किला के सामने एक विशाल रैली करके नरसिंह राव सरकार को आगाह किया कि वह डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न करे क्योंकि यह आर्थिक दास्ता का क्रूर फन्दा है। किंतु १५ अप्रैल १९९४ को मारकोश में नरसिम्हा राव सरकार ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए जो १ जनवरी १९९५ को 'विश्व व्यापार संगठन' (डब्ल्यू.टी.ओ.) बन गया। भारतीय मजदूर संघ ने डंकल प्रस्ताव के विरोध में साहित्य प्रकाशित किये। स्थान–स्थान पर गोष्ठियाँ करके जनजागरण किया।

विश्व व्यापार संगठन की पहली बैठक ९ दिसम्बर से १२ दिसम्बर तक सिंगापुर में हुई जिसमें भारत सरकार ने रूचि न लेकर एक सचिव स्तर के व्यक्ति को भेज दिया। सरकार की लापरवाही का दुष्परिणाम भारत की जनता को भुगतना पड़ा। इस समझौते का जोरदार विरोध किया गया। परिणामस्वरूप जब दूसरी बैठक अमेरिका स्थित सियाटल में ३० नवम्बर से ४ दिसम्बर ९९ में हुई जिसमें गैर व्यापारिक मुद्दे थे –

कृषि पर सब्सीडी, श्रम मानक, बाल श्रमिक व पर्यावरण जिसका प्रबल विरोध हुआ। भारतीय मजदूर संघ ने दिल्ली में इसके विरोध में रैली की।

केन्द्रीय श्रम संघों की सदस्यता सत्यापन आधार वर्ष १९८९ :

इस बार की सदस्यता सत्यापन में भारतीय मजदूर संघ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय मजदूर संघ के प्रथम स्थान पर आने से इण्टक अत्यन्त दुःखी था इसलिये श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकृत परिणाम घोषित न हो इस कार्य में बाधा डाली। अन्ततः अन्तिम परिणाम २६ व २७ दिसम्बर १९९६ को घोषित हो गया। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, भारतीय मजदूर संघ की जिम्मेदारी मजदूर क्षेत्र में और बढ़ गई।

कम्पयूटराइजेशन :

भारतीय मजदूर संघ ने बैंक और एल.आई.सी में कम्प्यूटराइजेशन का विरोध किया। प्रबन्धकों का कहना था कि बिना शर्त कम्प्यूटराईजेशन को स्वीकार करो तभी वेतन समझौता में एल.आई.सी. व बैंक कर्मचारी संगठनों को शामिल किया जायेगा। इसे अपने बैंक संगठन एन.ओ.वी. डब्ल्यू. ने स्वीकार नहीं किया। परिणामस्वरूप उसे वेतन समझौता से बाहर रहना पड़ा।

वर्तमान परिस्थिति और हमारा दायित्व :

वर्तमान परिस्थितियों में जहां मजदूरों की बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है, हजारों कारखाने बन्द हो गये हों, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो रहा हो, बिना दूर तक सोचे भारत सरकार ने वैश्वीकरण को स्वीकार कर लिया हो, विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को अपने गले लगा लिया हो, चौतरफा नुकसान ही नुकसान हो रहा हो और समाज में सांस्कृतिक अवमूल्यन हो रहा हो, सरकार की आर्थिक व औद्योगिक नीतियों के कारण चारों ओर असन्तोष व्याप्त हो, ऐसी परिस्थिति में सरकार की जन विरोधी नीतियों में बदलाव लाने के लिए भारतीय मजदूर संघ को आगे आना होगा। विदेशी शक्तियों की चुनौती को हमें स्वीकार करना होगा और जम कर टक्कर लेनी होगी। कृषि क्षेत्र पर हो रहे आघात के प्रति भारतीय किसान संघ सतर्क हो गया है और कड़ा विरोध कर रहा है। यद्यपि भारतीय मजदूर संघ विश्व व्यापार संगठन का विरोध कर रहा है उसे अपने विरोध को और तेज करना होगा। मजदूरों की रोजी–रोटी बचाने के लिए सभी मजदूर संगठनों को एक साथ लाकर मजदूरों को संघर्ष पर उतारना होगा तथा उनका नेतृत्व करने के लिये मनसा, वाचा, कर्मणा तैय्यार रहना होगा।

आज कौन सी पार्टी पावर

अमृत वचन

वाणी वह सार्थक है जो सुनने वाले को मधुर लगे।
कर्कश वाणी स्वयं की जिहवा को तो दूषित करती ही है,
दूसरे के कान के माध्यम से हृदय में विष घोल देती है।

संत उड़िया बाबा जी महाराज

में है उसका महत्व नहीं है, जो भी पार्टी पावर में हो उसकी जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियों का हमें विरोध करना होगा। आज जो स्वदेशी का विरोध करने वाले लोग हैं उनके ख्याल में नहीं आया कि वे अपनी आत्मा गवाँ रहे हैं। वे नहीं जानते कि स्वतंत्रता और संप्रभुता रहते हुए भी यदि आर्थिक जीवन विदेशियों के हाथ में जाता है, सभी उद्योग, हमारी कृषि, हमारे लघु उद्योग, सारा जीवन विदेशियों के हाथ में जाता है तो फिर आप राजा बने रहें इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है।

हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता का कोई अर्थ नहीं होगा। हमें विकास करना है अपनी प्रकृति के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर। अगर दुनिया में हमें जिन्दा रहना है तो अपने बलबूते पर न कि दूसरों पर आश्रित होकर।

अगर अपना उत्पादन नहीं बिकेगा तो और उद्योग बन्द होंगें। निजीकरण का खतरा प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों व रेल पर भी बढ़ा है। चारों ओर हताशा और निराशा का वातावरण बढ़ा है। हमें इससे उबरने के उपाय सोचने होंगे। इसका एक मात्र उपाय है जनता में जागरण, मजदूरों में जागरण, जागृत जनता और मजदूर इस संकट से उबरने का रास्ता अपनाएं यही एकमात्र उपाय है।

भविष्य के बारे में अभी से कुछ कहना उचित नहीं होगा किन्तु सत्य यह है कि इन्टक, एटक व एच.एम.एस. की शक्ति घटी है। आगे और घटेगी। सीटू के कार्यकर्ताओं का अपने नेताओं पर से विश्वास घटा है आगे और घटने की संभावना है। राष्ट्र एवं मजदूरों पर आये इस संकट में जैसे आज हम पूर्ण सतर्क रहकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं उसी तरह आगे भी करते रहेंगे ऐसा दृढ़ संकल्प लेना होगा। आगे की परिस्थितियाँ और विकट होंगी ऐसी सम्भावना है। अतः हमें सब प्रकार से उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैय्यार रहना होगा। सत्य संकल्प और दृढ़ निश्चय में सफलता मिलेगी इस विश्वास के साथ हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें यही समय की मांग है तथा आवश्यकता भी है।

♣ ♣ ♣ ♣ ♣

V.H. Lodha

Fibrex

Industries

Insulation Works (Lagging) in Sugar Factories
Various Chemical Tanks, F.R.P. Coating
&
other Fibre glass Products

4259, Anandi Bazar, Ahmedanagar-414001
Tel. : 0241-347910, 345810

राष्ट्र उद्योग तथा श्रमिकों से जुड़ी समस्याएं और उनका समाधान

हसु भाई दवे, महामंत्री, भा.म.संघ

नई आर्थिक नीति एवं आर्थिक सुधार :

सन् १९९१, जब से नई आर्थिक नीति को अपनाया गया है तभी से श्रमिक इन नीतियों के दुष्परिणाम का शिकार बने हुए हैं। छोटे–बडे हजारों की संख्या में कारखाने और लघु उद्योग बंद हुए हैं, लाखों श्रमिक बेरोजगार हुए हैं। इस प्रकार नई आर्थिक नीति श्रमिक, उद्योग व राष्ट्रहित के विरोध में जा रही है, यह आज हम निःसंकोच कह सकते हैं।

हमारा अतः अनुरोध है कि वर्तमान आर्थिक सुधारों के संबंध में अविलम्ब पुनर्विचार की आवश्यकता है। देश और अधिकांश विश्व की जैसी विषम आर्थिक परिस्थिति आज दिखाई दे रही है, उसके दृष्टिगत पुनर्विचार की नितान्त आवश्यकता है। इस संदर्भ में हमारा सुझाव है कि श्रमिकों को सेवा, सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए और उसकी आजीविका, प्रत्येक परिस्थिति में सुरक्षित रहनी चाहिए।

सामाजिक वार्तालाप :

केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रम नीति संबंधी किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व सामाजिक भागीदारों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। विनिवेश अथवा निजीकरण और नीतिगत फैसलों के पूर्व वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री, विनिवेश मंत्री एवं श्रम मंत्री, में अनिवार्यतः चर्चा होनी चाहिए। त्रिपक्षीय समिति को विश्वास में लिया जाना चाहिए। घाटा दे रहे प्रतिष्ठानों के बारे में मजदूर प्रतिनिधियों से बातचीत की जानी चाहिए। मॉडर्न फुड, बाल्को में जो हुआ और जिस प्रकार हुआ, उससे सरकार की नीयत पर आंच आई है।

श्रम कानूनों में संशोधन :

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग इस समय कार्यरत है। श्रम अधिनियमों, कानूनों में संशोधन आदि का सारा काम आयोग के अधिकार क्षेत्र में दिया गया है इसलिए श्रम कानूनों/अधिनियमों में श्रम आयोग की रिपोर्ट आने तक किसी प्रकार का कोई संशोधन तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत करना ही हो तो भी त्रिपक्षीय समिति से संशोधन के पूर्व विचार विमर्श किया जाना चाहिए। कोई भी संशोधन केवल श्रम मंत्रालय द्वारा ही किया जाए।

अन्य सुझाव :

(१) श्रम मंत्रालय में अन्य मंत्रालयों की घुसपैठ रोक कर इसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए ।

(२) सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सुधारों पर राष्ट्रव्यापी चर्चा होनी चाहिए।

(३) कृषि मजदूर व प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी विधेयक १९९० तुरन्त पारित किया जाना चाहिए।

(४) भविष्य निधि ब्याज दर १२ प्रतिशत से ९.५ प्रतिशत करना, श्रमिकों के धन की लूट है। यह निर्णय भविष्य निधि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर छोड़ देना चाहिए और बोर्ड जो सिफारिश करे उसे मानना चाहिए।

(५) बोनस की सीमा रोक हटनी चाहिए। आज ३५००/– से अगर एक रूपया भी अधिक है तो बोनस मिलता नहीं और इस प्रकार काफी हानि होती है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इन्डस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट व प्रोविडेंट फंड एक्ट की वेतन भुगतान सीमा संबंधी रोक हटनी चाहिए। यह रोक प्रारम्भ से चली आ रही है। दूसरे कितने ही संशोधन हो गए या हो रहे हैं, किन्तु यह रोक बरकरार है। इसको भी हटाने का संशोधन तुरन्त लाया जाना चाहिए।

(६) **असंगठित क्षेत्र :** महाराष्ट्र, गोवा, केरल व तमिलनाडु में जो श्रमिकों को कानून से सुविधाएं दी गई हैं, वैसी सुविधाएं अन्य प्रदेशों के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी जाएं। श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि केन्द्र व राज्य सरकार, उद्योगपति तथा ट्रेड यूनियन सबको मिलकर ऐसी लेबर नीति पर विचार करना चाहिए जिससे बेरोजगारी नहीं बल्कि रोजगार बढ़े और गरीबी कैसे हटे, इस ओर पूरा ध्यान लगाना चाहिए।

अमृत वचन

सम्पूर्ण स्वर्ग आपके ही भीतर है।
संपूर्ण सुख का स्त्रोत आपके हृदय के अंदर है। ऐसी स्थिति में आनंद को अन्यत्र ढूंढना सर्वथा असंगत है।

स्वामी रामतीर्थ

आज की समस्याएं :

आज लाखों छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। ३१ मार्च १९९९ तक ३,०६२८१ औद्योगिक इकाइयाँ रूग्नता से ग्रसित थी। केवल एक वर्ष में ८४६८५ इकाइयाँ रूग्न हुई हैं। इस गति से लाखों उद्योग बंद हो जाएंगे और करोड़ों लोग सड़क पर आ जाएंगे। मात्रात्मक प्रतिबंध के कारण लघु और कृषि उत्पादों को संरक्षण मिला हुआ था, किन्तु १ अप्रैल २००० को ७१४ तथा १ अप्रैल २००१ को ७१५ वस्तुओं पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। भारत को प्रतिबंध हटाने के लिए ६ वर्ष की अवधि प्राप्त थीं और ३१ मार्च, २००३ तक हटाया जा सकता था फिर यह जल्दबाजी किसलिए ? केवल अमेरिका को प्रसन्न करने के लिए। इतना महत्वपूर्ण निर्णय भारत की जनता अथवा संसद को विश्वास में लिए बिना ही कर लिया गया। इस निर्णय से भारत की संप्रभुता पर चोट लगी है।

वार्षिक उत्पाद दर का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। विनिवेश असफल रहा है। मार्डन फूड इसका ताजा उदाहरण है। मुनाफा बढ़ने की बजाय यह प्रतिष्ठान रूग्न हो गया है अन्य कम्पनियाँ भी इसी दशा को प्राप्त होंगी।

३० करोड़ डालर पूंजी सीधे विदेशी निवेश, सरकार द्वारा स्वीकृति होने के बावजूद गत एक दशक में केवल २५ प्रतिशत ही पूंजी निवेश ३० करोड़ डालर से अधिक हुआ है। (सरकार को प्राप्ति का ३० प्रतिशत उधार सेवा कार्य में चला जाता है।)

औषधि क्षेत्र में हमारी स्थिति बहुत मजबूत थी किन्तु १९७० पेटैंट अधिनियम में संशोधन के कारण वह स्थिति समाप्त हो गई है।

विश्व व्यापार संगठन द्वारा किसानों तथा आयात को प्राप्त सब्सिडी हटाए जाने पर कितना जोर डाला गया है यह अब सर्व–विदित है। परिणामस्वरूप किसान आत्महत्या करने पर विवश हैं। गत वर्ष केवल आंध्र प्रदेश में ३०० किसानों ने आत्महत्या की है। उन्हें कहीं से भी प्रोत्साहित करने वाला मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है।

गरीब और अमीर की खाई बढ़ी है :

कोई भी देश अपनी आन्तरिक वायुयान अथवा यातायात सेवा विदेशी हाथों में नहीं सौंपता। इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। संसार का कोई देश अपनी संचार व्यवस्था को भी विदेशियों के लिए नहीं खोलता।

हम एनरॉन के मामले में पूर्ण जांच की मांग करते हैं। एनरॉन समझौता अविलम्ब समाप्त किया जाना चाहिए। गोडवोले समिति ने पूर्व सरकार द्वारा एनरॉन द्वितीय चरण को अनुमति प्रदान किए जाने की आलोचना की है। गोडवोले ने सरकार द्वारा निर्णय प्रक्रिया के प्रत्येक कदम पर असफल रहने के कारणों के संदर्भ में संपूर्ण दाभोल पावर कारपोरेशन की न्यायिक जांच करवाने के लिए कहा है। भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि उन सभी व्यक्तियों, जो दुबारा वार्ता करने ओर केन्द्र सरकार द्वारा काउंटर गारंटी दिए जाने के लिए जिम्मेदार हैं उनकी स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए।

यह अब सिद्व हो सकता है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) साम्राज्यवादी विकसित देशों के हाथ की कठपुतली है विशेषकर अमेरिका की। भारतीय मजदूर संघ मलेशिया के श्री मौहम्मद महातिर के इस विचार से सहमत है कि सभी विकासशील देशों को इकट्ठे होकर विश्व व्यापार संगठन के भीतर एक समूह का निर्माण करना चाहिए और इस समूह के साथ विकसित देशों जैसा व्यवहार होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि विकसित देश इस स्थिति को मान्य करने के मूड़ में नहीं है। इसलिए विकासशील देशों को एक साथ विश्व व्यापार संगठन को छोड़ देना चाहिए और वर्तमान संगठन के मुकाबले अपना विश्व व्यापार संगठन बनाना चाहिए। इस प्रकार दूसरे विश्व व्यापार संगठन निर्माण की दिशा में भारत ने पहल करनी चाहिए। समय के साथ–साथ न केवल विकासशील देश अपितु विकसित देशों के निर्धन मजदूर और कृषक भी इस संगठन के समर्थन में आगे आ जाएंगे। अपने देश में लोगों को इस बात की कदाचित जानकारी नहीं है कि विकसित देशों के उपभोक्ता और मजदूर संगठन उनके ही देश की बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों के निकृष्ट ओर षडयंत्रकारी चालबाजियों के विरूद्व हैं। उन विकसित देशों के मानवतावादी बुद्विजीवियों ने 'एक दूसरा आर्थिक शिखर मंच' की स्थापना जी–७ देशों की चालों का विरोध करने के लिए की है। भारतीय मजदूर संघ प्रतिस्पर्धा विश्व व्यापार संगठन निर्माण की मांग करता है। ■

सुभाषित

यावत् भ्रियते जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्।
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेना दण्डमर्हति।।

शरीर के भरण-पोषण के लिए जितना आवश्यक है, उतने पर ही मनुष्य का अधिकार है। जो अधिक ग्रहण करता है, वह 'चोर' है, अतएव दण्डनीय है।

कार्यकर्ता

श्रीनिवास जोशी, पूर्व महामंत्री, भा.रे०.म.संघ

कार्यकर्ता हर संगठन के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। रीढ की हड्डी जितनी मजबूत होगी शरीर उतना ही मजबूत होगा। कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम करेगा तो संगठन दिन–ब–दिन मजबूत हो जायेगा, विस्तारित होगा।

कार्यकर्ता में वैसे तो बहुत गुण होने चाहिए परंतु चार प्रमुख गुण उसमें होंगे तो उसका प्रभाव बढ़ेगा साथ ही साथ संगठन को लाभ होगा। जिन चार प्रमुख गुणों की आवश्यकता है उनकी चर्चा यहां की गई है।

१) कार्यकर्ता के सिर पर बर्फ होना चाहिए – यानि उसका दिमाग हमेशा ठंडा रहना चाहिए। सामने कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न पैदा हो उसे अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। दिमाग का संतुलन नहीं खोना चाहिए, विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति सदैव प्रतिकूल नहीं रह सकती। हमेशा उसमें परिवर्तन होगा ही। तब तक शांत रहने से नुकसान कम होगा। यहां एक उदाहरण देना उचित होगा–

कभी–कभी ऐसा होता है, परिवार के लोग एकत्रित होकर बात कर रहे हैं, शाम हो चुकी है, अंधेरा फैल गया है और अचानक बिजली गायब हो जाती है। ऐसे वक्त समझदार लोग चुपचाप बैठे रहेगें क्योंकि कुछ देर में विद्युत प्रवाह शुरू हो सकता है फिर थोड़ी देर में अंधेरे का अभ्यास हो जाता है तथा मोमबत्ती, माचिस या टार्च कहां रखा है, उसका स्मरण हो जाता है और फिर धीरे से उठकर उजियारे की व्यवस्था हो जाती है। परंतु ऐसे वक्त कोई ऐसा भी निकल आता है जो अपना संतुलन खो बैठता है, घबराहट में एकदम से उठकर उजियारे की व्यवस्था करने चल देता है, लेकिन किसी सामान से टकरा जाता है और सारा अनर्थ कर बैठता है। ऐसे वक्त संतुलन की अत्यंत आवश्यकता होती है। दिमागी संतुलन के कारण ही अनर्थ, नुकसान टाला जा सकता है।

२) जिव्हा पर मिश्री या शक्कर होनी चाहिए :– यानि कार्यकर्ता को दूसरे से बात करते वक्त मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरों के प्रति अपशब्दों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। शब्दों का प्रयोग सुनियोजित ढ़ंग से करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि धनुष से निकला तीर व मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आ सकता। शस्त्रों के घाव तो कालान्तर से भर जाते हैं परंतु शब्दों के घाव कभी नहीं भर सकते। इसका स्मरण सदैव होना चाहिए। कभी–कभी क्षमा मांगने से काम चल जाता है लेकिन क्षमा दिल से मांगनी चाहिए। क्षमा करना भी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि *"To err is human"* इस बात को भूलना नहीं चाहिए। गलतियां सबसे हो सकती हैं। समय पर क्षमा मांगना या क्षमा करके भविष्य का अनर्थ टाल सकते हैं। बहुत नुकसान भी टाला जा सकता है। संस्कृत में एक सुभाषित आता है *"क्षमा बलम् अशक्तानां, शक्तानां भूषणं क्षमा ! क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम् ल सिध्यति।।"* अर्थात दुर्बलों के लिए क्षमा बल सिद्ध होता है तो बलवानों के लिए क्षमा भूषण बन जाता है। क्षमा करने से दूसरों को वश में किया जाता है, क्षमा करने से क्या नहीं साधा जा सकता। सब कुछ ठीक हो जाता है।

अनेक बार दूसरों के साथ चर्चा करते वक्त मतभेद पैदा हो जाना स्वाभावकि बात है लेकिन कटुता का भाव पैदा नहीं करना चाहिए। यह कहकर कि *"माफ करें, मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता"*, चर्चा को रोक दें तो कटुता नहीं पैदा होगी। मतभेद तो हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं करना चाहिए। हो सकता है आज हमारी बात से दूसरा सहमत न हो तो कालान्तर में उसमें परिवर्तन हो जाएगा अगर हमारी बात सत्य है, उचित है तो यह परिवर्तन होकर रहेगा। अपना मन साफ रखेंगे तो दूसरों में परिवर्तन जल्दी होगा। धीरज रखना चाहिए एक ही विषय में मतभेद हो तो जरूरी नहीं कि अन्य अनेक विषयों में मतभेद ही हो।

३) अंतः करण में आत्मविश्वास हो :– जिस कार्य में हम लग गये हैं उसके लिए, आत्म विश्वास पैदा करना आवश्यक है। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उस कार्य के बारे में/संगठन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। समय–समय पर अधिकारियों से संपर्क बनाना तथा शंका निवारण से जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। अद्यतन (up to date) जानकारी प्राप्त होने से किसी प्रकार का

अमृत वचन

एक मे अनेकत्व दिखाने वाली विद्या को विज्ञान कहते हैं।
जबकि अनेकत्व में एक दिखाने वाली विद्या जीज्ञान है।

स्वामी धर्मानन्द सरस्वती जी

भ्रम नहीं पैदा होगा। संगठन के अधिकारी व्यक्तियों द्वारा निर्मित साहित्य अत्यंत उपयुक्त होता है। ऐसा साहित्य अपने संग्रह में अवश्य रखकर समय पर उसे पढ़ने से आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है। कार्य के प्रति निष्ठा होती है। अन्य संगठन के विचारों का भी परिशीलन करने से अपना ज्ञान बढ़ जाता है। दूसरों के सही व अच्छे विचारों का स्वागत करना उचित होगा। दूसरा कार्यकर्ता आयु में, योग्यता में छोटा है तो भी उसके अच्छे विचारों को महत्व देना चाहिए। उन्हें ग्रहण करना चाहिए। एक सुभाषित यहां भी आता है. *"अमित्रादपि सद्वृतं बालादपि सुभाषित ग्राह्यम।"*

अर्थात शत्रु के (अमित्र) सदाचरण तथा बालक की अच्छी बात का स्वागत करना चाहिए। हम दूसरों के विचारों का स्वागत करेंगे, तो हमारे विचारों का भी स्वागत होगा, जो आत्मविश्वास पैदा करने में सहायक होगा।

४) पैरों में चक्र होना चाहिए :– भरपूर प्रवास करना चाहिए। सतत प्रवास करने से संगठन की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। अन्य कार्यकर्ता से संपर्क बना रहता है। उनकी मनः स्थिति कैसी है यह जानने के लिए संपर्क आवश्यक है। संगठन के कार्यकर्ताओं में कभी–कभी मनमुटाव पैदा हो जाते हैं और भविष्य में संकट की स्थिति निर्माण हो जाती है। वैयक्तिक संपर्क से मनमुटाव दूर किए जा सकते हैं। और संगठन के प्रगति की बाधा दूर हो जाती है। प्रवास में जहां तक हो अनुयायियों के घर में ही ठहरने की/रहने की व्यवस्था हो तो खर्चे में भी कटौती हो सकती है। सामान्य कार्यकर्ता के घर में रहने से उसके घर के लोगों को भी संगठन से प्रेम पैदा हो जाता है, जो आवश्यक है। इतिहास में झांककर देखेंगे तो पता चलेगा कि जगद्गुरू आद्य शंकराचार्य जी, राष्ट्रसंत समर्थ रामदास स्वामी, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, द्वितीय सरसंघचालक प. पू. गुरूजी, श्रद्धेय ठेंगडीजी आदि श्रेष्ठ लोगों ने प्रवास के सहारे ही अपने विचारों का फैलाव किया है, संगठन को मजबूत किया है।

इस प्रकार इन चार प्रमुख बातों पर अमल होता है तो सुलझा हुआ कार्यकर्ता पैदा होगा, जिससे संगठन का विस्तार आसानी से होगा।

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

With best compliments from.....

Brij Mohan Sethi

Prince Polonia

Luxary Hotel

2326, Tilak Gali, Pahar Ganj, Near Imperial Cinema, New Delhi-110 055
Tel. : 3511930, 3511931, 3511932, 3511933, 7521445, Fax : 3557646

आर्थिक गुलामी के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो जाओ

– दत्तोपंत ठेंगड़ी

भारतीय मजदूर संघ अन्य कई संस्थाओं और नेताओं के समान सस्ती लोकप्रियता या प्रचार के पीछे नहीं जाता है। जैसे हम औद्योगिक क्षेत्र में कहते हैं कि आवश्यकता आधारित न्यूनतम पारिश्रमिक (Need based rninimum Wage) हरेक को मिलना चाहिए। वैसे ही आवश्यकता आधारित न्यूनतम प्रचार (Need based minimum publicity) मजदूरों को मिलनी चाहिए, यह आपसे हमारी प्रार्थना है। हम उन लोगों में नहीं हैं जो सस्ते प्रचार में विश्वास रखाते हैं, जो छवि निर्माण (इमेज बिल्डिंग) में विश्वास रखतें हैं।

आज हिन्दुस्तान में सभी संस्था के लोग छवि निर्माण (इमेज बिलडिंग) के प्रयास में हैं। ऐसी संस्थाओं के एक व्यक्ति– दो व्यक्ति का इमेज बिल्डिंग करने से उनका काम बढेगा या देश का भला होगा मुझे ऐसा नहीं लगता। वास्तव में इस विषय का शास्त्रीय अन्वेषण (Scientific Study) एक व्यक्ति ने किया है। उसका नाम है पिटर ड्रकर। अपने अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर पिटर ड्रकर ने कहा है कि छवि निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर तरह से नुकसान होता है, पिटर ड्रकर कहते हैं कि छवि निर्माण के प्रयास में लाभ होता दिखता है, लेकिन जिस व्यक्ति की छवि (image) आप बनाते हैं उसका दिमाग भी बिगड़ जाता है। आपका संगठन खोखला हो जाता है और देश का भी नुकसान होता है। स्टालिन, हिटलर, मुसोलनी इन सबका उदाहरण देकर पिटर ड्रकर ने ये बातें कही हैं। अपनी पुस्तक के एक अध्याय में उन्होंने एक बात कही है कि यह करिश्मा का खेल है। लेकिन न्यूनतम प्रचार जिसके कारण मजदूरों को क्या कहना है –यह जनता की सरकार के सामने आ जाए। इतना सहयोग चाहिए, इसके लिए मैं आभारी हूँ कि मीडिया से अच्छा सहयोग मिला है। आगे भी इसी तरह का सहयोग देते रहेगें, ऐसा विश्वास है।

ऐसा दिखाई देता है कि वित्त मंत्री बनने, शपथ ग्रहण करने के बाद उनको एक बीमारी हो जाती है । अंग्रेजी में कहते हैं *'एम्नेशिया'* यानि सभी कुछ भूलना, कोई कुछ कहे भूल जाना। मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया? कहाँ जाना है ? कुछ भी याद नहीं रहना यही एम्नेशिया है। यह पूर्ण 'एम्नेशिया' वित्त मंत्री को हो जाता है।

मलेशिया के महातिर मुहम्मद ने एक कमीशन बनाया था। उसका नाम था *'साउथ कमीशन'*। तंजानिया के जुलियस न्यरेरे उसके अध्यक्ष थे एवं उसके प्रमुख सचिव थे हमारे डा० मनमोहन सिंह। डा० मनमोहन सिंह के वैचारिक नेतृत्व में एक रिपोर्ट बनी। वह रिपोर्ट आप देख सकते हैं। चैलेज टू द साउथ (Challenge to the South) उस रिपोर्ट का नाम है। उसकी भूमिका में उन्होंने कहा है कि हम लोग पर जो आर्थिक साम्राज्य आ रहा है, उसका प्रतिवाद करना चाहिए। उसके लिए विकासशील देशों को आपस में साउथ–साउथ को–आपरेशन करना चाहिए। ये वही बातें हैं जो हम बोलते हैं। लेकिन क्या विवशता आई कि उन्होंने जैसे ही वित्तमंत्री की शपथ ली सब भूल गए। पूर्ण विस्मृति हो गयी । उन्होंने पहले जो भी बोला था, ठीक उसके विपरीत कार्य करना प्रारम्भ किया। जैसे डा० मनमोहन सिंह ने किया वैसी ही यशवंत सिन्हा के दिमाग की भी हालत है । मैं आपसे कह रहा हूँ – यदि यह झूठ होगा तो वह प्रतिवाद करें।

स्वदेशी जागरण मंच की चिंतन बैठक नागपुर में हुई। उस बैठक में यशवंत सिन्हा जी ने भी हिस्सा लिया था। उस बैठक में यशवंत सिन्हा जी ने दुःख व्यक्त किया था कि विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित होने से हमारा सब तरह से नुकसान हो रहा है और हमारी संप्रभुता भी खतरे में पड सकती है। हमें निश्चय ही विश्व व्यापार संगठन छोड देना चाहिए ऐसा यशवंत सिन्हा जी ने कहा था। लेकिन उन्होंने जैसे ही वित्त मंत्री की शपथ ली, पूर्ण विस्मृति हो गयी । वह सब कुछ भूल गये उन्होंने जो बोला था, उसके ठीक विपरीत व्यवहार करना शुरू किया।

मैं अलग–अलग देशों में पत्र लिखना चाहता हूँ कि यदि राजनेताओं की एम्नेशिया का कोई इलाज मेडिकल सांइस में हो तो वे हमें जरा बताएँ । इन दिनों यशवंत सिन्हा जी हमें बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत प्रगति कर रही है, यह तो अभिनन्दनीय

अमृत वचन

ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है और समय बीतने पर किया हुआ महान उपकार भी व्यर्थ हो जाता है।

योग वशिष्ठ

बात हैं। अब पहला कदम इस बजट के समय उठाया गया है वह आश्चर्यजनक है

१९४७ के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं था । यशवंत सिन्हा जी ने श्रम मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में अवैध हस्तक्षेप किया है। जो काम श्रम मंत्रालय का है जिस काम को करने के लिए श्रीमान रवीन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई है और जिसका काम चल रहा है, उसके क्षेत्राधिकार में उसके कानून में परिवर्तन करने की संसद में घोषणा की है। कानून की भाषा में यह अपराध है और इस दृष्टि से मिस्टर यशवंत सिन्हा इज ए क्रिमिनल। जो श्रम की मर्यादा थी वह, खत्म हो गई। इसके कारण लाखों मजदूर आज असुरक्षित हो गए हैं। 'कांट्रैक्ट लेबर' फिर से शुरू हो जायेगा। यानि यह हर तरह से बात मजदूरों के खिलाफ जाने वाली है।

इस समय इनका कहना है कि नइ आर्थिक नीति काफी सफल हो रही है। मैं सिन्हा जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी कौन–कौन सी नीतियॉ सफल हुई हैं ? बताइए, आपने कहा था कि बजट के कारण बहुत बडा विदेशी निवेश होगा। विदेशी निवेश से कितना पैसा आया? इससे कितना विकास दर बढेगा ? लक्ष्य तक आप पहुँचे हैं क्या? आपने विनिवेश की बात की। क्या हुआ उसका ? मॉडर्न फुड कूड़े के भाव बेचे गये। आज माडर्न फुड बीमार है। बाल्को का मामला आपके सामने है। मैं मानता हूँ कि विनिवेश मंत्री अरूण शौरी ईमानदार हैं। मैं अरूण शौरी की ईमानदारी पर प्रतिवाद नहीं करता। लेकिन या तो बाह्य दबाव के कारण या नीचे से नौकरशाहों द्वारा गलत सलाह के कारण उन्होंने बाल्को का समझौता किया है वह समझौता पूरा का पूरा झूठ है, फ्रॉड है। ये दोनों परस्पर विरोधी बातें, मैं कह रहा हूँ और इसका भी वही नतीजा होने वाला है जो नतीजा मॉडर्न फुड का हुआ। अरे, वह तो लाभ में चल रहा था, उसे क्यों बेच रहे हो?

सरकार की ओर से दुष्प्रचार बहुत चलता है, कि सार्वजनिक उद्योग घाटे में जा रहा है। उनका हम निजीकरण करेगें। कौन–सा सार्वजनिक उद्योग घाटे में जा रहा है, यह सरकार को पता है क्या? मंत्री और प्रधानमंत्री को पता है क्या? ये लोग, नौकरशाह जो कहेगें, वही मानकर चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि बहस हुई, जाँच हुई तो मैं उनके सामने तथ्य देने के लिए तैयार हूँ। कई तथ्य ऐसे हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक उद्योगों को जानबूझकर घाटे में ले जाया गया है और कहा तो यह भी जा रहा है कि घाटा मजदूरों के कारण हो रहा है। यह घाटा मजदूरों के कारण नही हो रहा है। वे इस तरह से गलत प्रबन्धन कर रहे हैं कि सार्वजनिक उद्योग घाटे में जाए, ताकि उसे आसानी से इस आधार पर दूसरों के हाथों बेचा जा सके। क्योकि जिसके हाथ में जाएगा वे पहले से ही पैसे आपके जेब में रख देते हैं, वे उन्हें खरीद लेते हैं। अधिकांश नौकरशाह बिकाऊ हैं, बहुत सारे पहले से बिके हुए हैं। वे झूठी रिपोर्ट देते हैं कि सार्वजनिक उद्योग घाटे में जा रहे हैं। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूँ कि संयुक्त समिति बैठाइए, हम लोगों को भी उसमें बैठाइये। हम बता सकते हैं, ये उद्योग घाटे में नही जा सकते अपितु सही ढ़ग से प्रबन्ध किया तो लाभ में जायेंगे। इस चीज को करने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। आप विदेशियों से पैसे लेकर अपने देश के साथ गद्दारी करते हुए एक–एक सार्वजनिक उद्योग को गलत प्रबन्धन के कारण घाटे में धकेल रहे हैं। ऐसे कौन–कौन गद्दार हैं, उन्हें पता करने की आवश्यकता है। हम उन्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं।

अब एनरॉन का मामला है। गोडबोले समिति ने अपना अंतरिम रिपोर्ट दिया है। हम पहले से माँग कर रहे हैं कि एनरॉन का जो समझौता हुआ, वह स्पष्ट रूप से गलत था। यह समझौता कैसे हुआ ? कौन–कौन से राजनीतिक दल उसमें शामिल थे ? कौन–से नौकरशाह उसमें शामिल थे और जो पुर्नसमझौता हुआ उसके लिए कौन–कौन जिम्मेवार है ? खासकर जब तेरह दिन की सरकार थी उन दिनों जब दूसरे दिन सरकार जाने वाली थी हड़बड़ गड़बड़ करके चार लोगों को मिलाकर और बताया गया कि केन्द्र सरकार ने काउण्टर गारंटी दी है। यह जो चालाकी है किसने की है? यह सारा सामने आना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। पूरी छानबीन होनी चाहिए और यह गड़बड़ी करने वाले लोगों को छोड़ना नही चाहिए। उन्हें पहचानना और दण्डित करना चाहिए। नहीं तो इस तरह की गड़बड़ हमेशा चलती रहेगा। एनरॉन के बारे में हमारा कहना है कि एनरॉन को ध्वस्त कर देना चाहिए (Enron Should be

सुभाषित

मुक्तसंगो नहंवादी धृत्युत्साह-समन्वितः।
सिद्धयसिद्धयो-निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते।।

वह व्यक्ति जो पक्षपात विहीन हो, जो अहंकारी न हो, बुद्धि एवं उत्साह से भरा हो, सिद्धि एवं असिद्धि (असफलता) में निर्लिप्त व निर्विकार हो, सात्विक कर्त्ता कहलाता है।

scrapped)। फिर क्या होगा क्या नहीं, विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। एनरॉन निश्चय ही वापस जाए (Enron must go back)।

हमारा भारतीय मजदूर संघ कुछ रीति–नीति लेकर चला है। हमारी नीति इस प्रकार है, जिसे कहते हैं उत्तरदायी सहयोग (Responsive Cooperation)। इसका मतलब यह है कि सरकार में पार्टी कौन–सी है, इससे लेना–देना नहीं है। जो भी सरकार हो, उसकी नीतियाँ राष्ट्र और मजूदरों के लिए अच्छी हैं या बुरी, हम यही देखने वाले हैं।

हम सरकार का उसी स्तर तक सहयोग करेगें जिस स्तर तक सरकार जनता, मजदूर और देश का सहयोग करेगी। लेकिन हम उस स्तर तक सरकार का विरोध करेंगे जिस स्तर तक सरकार जनता, मजदूर और देश का विरोध करेगी। सरकार की नीति क्या है इसको देखकर हम अपना रूख तय करते है। कौन–सी पार्टी सरकार में है यह हमारे लिए महत्व की बात नहीं है। पार्टीयाँ तो आती रहती है। यह प्राचीन राष्ट्र है। यहाँ कितनी ही पार्टी आयी है कितनी ही सरकारें आती रहेंगी।

बहुत लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि अरे भाई आपकी रैली से सरकार को धक्का लगने वाला है। हमने कहा कि हमारी रैली के कारण सरकार को धक्का लगने वाला नहीं है। सरकार स्वयं को धक्का लगाने का काम स्वयं ही कर रही है। उसमें हमारी आवश्यकता नहीं है। किन्तु सरकार जाने से क्या होगा, इसका सब लोगों को ख्याल रहता है। एक पार्टी की सरकार जाने के बाद दूसरी किस पार्टी की सरकार आयेगी, यह सोचना ही गलत है। एक पार्टी की सरकार जायेगी तो दूसरी पार्टी की आयेगी। परिणाम एक समान रहेंगे। श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था के लिए जागरूक जनशक्ति, नित्यसिद्व जनशक्ति होनी चाहिए जो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसके लिए अंकुश का काम करे। एक प्रधानमंत्री के जाने एवं दूसरे प्रधानमंत्री के आने से विकल्प में बड़ा फर्क होगा ऐसा महसूस नहीं होता है। हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है राजसत्ता हाथी के समान होती है। लेकिन जब कोई हाथी मेरे बगीचे में या आपके जंगल में घूम रहा होता है तो क्या आप हाथ पर हाथ रखकर कहेगें कि हे भगवान, हाथी जी का मूड अच्छा रखो, नहीं तो मेरा बगीचा खराब हो जाएगा, मेरा जंगल ध्वस्त हो जाएगा। हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। किन्तु यदि हाथी गड़बड़ करेगा तो ? तो प्राचीन परंपरा है कि समाज में नैतिक नेतृत्व का निर्माण हो। यही नैतिक नेतृत्व (मोरल लिडरशिप) हाथी के लिए समाज के हाथ का अंकुश है। जो राष्ट्रभक्त लोगों का जन संगठन है, वही सत्ता का अंकुश है, जो नैतिक नेतृत्व के हाथ में रहता है। हाथी ठीक काम करता है तो ठीक है। हाथी गड़बड़ करना शुरू करता है तो हाथी को गण्डस्थल पर नैतिक नेतृत्व का अंकुश दबाएंगें तो हाथी को चीं–चीं करके बैठना पड़ेगा। जागरूक, प्रशिक्षित, नित्य सिद्ध जन शक्ति सभी सरकारों के ऊपर अंकुश है। सरकार आए या सरकार जाए किन्तु राष्ट्र निरंतर गतिमान रहेगा (The Government may come the government may go but the nation will go on forever)। इस दृष्टि से हम लोग एक स्थायी विकल्प के रूप में "जन शक्ति" का निर्माण करने के लिए इच्छुक हैं। इसलिए यह रैली बुलायी है।

लोगों के मन में तरह–तरह के प्रश्न हैं। कुछ वर्ष पूर्व हमारी रैली हुई थी कुछ लोगों ने कहा कि ठेंगड़ी जी आपकी ताकत क्या है ? आप मल्टीनेशनल (बहुराष्ट्रीय कंपनियों) के खिलाफ युद्व की घोषणा कर रहे हैं। मल्टीनेशनल तो सरकार का कवच पहने हुए है। हमने कहा कि ऐसा है कि हम अपनी सरकार के विरोध में नहीं हैं, समर्थन में भी नहीं हैं। हम मल्टीनेशनल का विरोध करते हैं। लेकिन यदि मल्टीनेशनल को बचाने का काम सरकार करती है तो हमें सरकार का भी विरोध करना पड़ेगा। प्राचीन काल में ऐसा हुआ कि जनमेजय राजा ने सर्प यज्ञ किया। यज्ञ में एक–एक सर्प का नाम लेकर यज्ञकुण्ड में आहुति दी जानी लगी। उन्होनें *"तक्षकाय स्वाहा"* करके आहुति दी। बाकी सारे साँप आ गये, लेकिन तक्षक नहीं आया। उन्होंने सोचा कि मैंने 'तक्षकाय स्वाहा' कहा लेकिन तक्षक क्यों नहीं आया ? उन्होनें जब दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि इन्द्र ने अपनी पीठ के पीछे तक्षक को छिपा रखा था। जनमेजय ने इन्द्र से कहा कि आप तक्षक को छोड़ दो। इन्द्र ने कहा, नहीं मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर बाध्य होकर उन्होनें कहा "इन्द्राय तक्षकाय स्वाहा"। जैसे ही ऐसा कहा गया, इन्द्र पीछे हटे और तक्षक यज्ञकुण्ड में आ गिरा। हमारा आज के सरकार से वैसे कोई विरोध नहीं है

अमृत वचन

जो झुकना जानता है, विनम्र है, दुनिया उसे उठाती है।
जो अकड़ना ही जानता है, दुनिया उसे उखाड़ फेंकती है।

शेख सादी

लेकिन यदि वे तक्षक को अपने पीछे छुपाते हैं तब हमको इस सरकार के बारे में भी कहना होगा कि *"इन्द्राय तक्षकाय स्वाहा"*।

अब गेंद उनके पाले में हैं। सरकार को तय करना है कि हमें उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी। यदि वे चाहते हैं कि हम उससे मिलकर चलें तो मल्टीनेशनल को सुरक्षा देने का गोरखधंधा आज के इस सरकार को बंद करना चाहिए। वरना "इन्द्राय तक्षकाय स्वाहा" कहना पड़ेगा।

सभी लोग जानते हैं कि लाखों मजदूर बेरोजगार हैं। सरकार की नीति के कारण आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है। हर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है। लाखों की तादाद में लघु उद्योग बंद हो गये हैं। हर तरह से लाखों लोग परेशान हैं। लोगों ने पूछा कि आपकी ताकत क्या है ? लोग पैर तले कुचल रहे हैं फिर भी आपने जबाब नहीं दिया। आज हम यह कह सकते हैं कि हमारी ताकत बहुत बड़ी है और हमारी ताकत बढ़ाने का काम स्वयं सरकार कर रही है। सभी उद्योगों को मिटाने और मजदूरों को बेरोजगार करने का काम शुरू किया गया है। किसानों को भी आयात शुल्क और सब्सिडी के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लघु उद्योग बंद हो रहे हैं। इससे हमारे समर्थन में बाकी लोग आकर खड़े हो जायेगें। इसके लिए सरकार स्वयं काम कर रही है और अपने लिए शत्रु निर्माण करने में यह सरकार स्वयं लगी हुई है। इसी से यह ज्ञात हो जाता है कि हमारी ताकत क्या है। हमारा कहना है कि सरकार की कृपा से हमारी ताकत दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही हैं। वे अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। यह बात ध्यान में रखना चाहिए। किन्तु आखिर हम सब कब तक चुप बैठेगें और इस दृष्टि से लोग पूछते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। इस विषय को हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। इतिहास में कई बार ऐसे प्रसंग आये हैं कि जनता और राष्ट्र को खाने के लिए तैयार खड़ी आसुरी शक्तियों का मुकाबला करने वाली साधन विहीन दैविक शक्तियाँ छोटी दिखती हैं। एक ओर सर्वसाधन युक्त आसुरी शक्तियाँ खड़ी होती हैं और दूसरी ओर साधनहीन देशभक्त शक्तियाँ होती हैं। इस अवस्था को देखकर सबके मन में भय पैदा होता है – *"रावण रथी विरथ रघुवीरा। देखि विभिषण भयहुँ अधीरा।"* विभीषण ने देखा कि रावण के पास साधन है, और राम बेचारा जमीन पर खड़ा होकर लड़ रहा है। विभीषण के मन में भय पैदा हुआ लेकिन आसुरी शक्ति का विजय हुआ क्या? सर्वसाधन सम्पन्न आसुरी शक्ति को परास्त करते हुए दैवी शक्तियां विजय हुई। यही बात शालिवाहन के समय हुई। वे साधनहीन थे, फिर भी विजयी हुए। कैसे विजयी हुए? केवल साधन के आधार पर नहीं। यह जो कहा गया है कि विजय उपकरण के आधार पर नहीं मानसिकता के आधार पर होती है। तीसरा प्रंसग तो अभी साढ़े तीन सौ साल पहले हुआ शिवाजी के समय। हिन्दस्तान की सारी आसुरी शक्तियां एकत्रित थीं। उनके पास विशाल खजाना था। बड़ी –बड़ी सेनायें थीं और तय करके आये थे कि हमारा राज्य सारे हिन्दुस्तान पर होगा।

उसका विरोध करने के लिए खड़े हुए लोग साधन सम्पन्न नहीं थे और इस कारण आप कहें कि उनके खिलाफ आप कैसे खड़े हो सकते हैं? जैसा आज हम कह रहे है कि मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो हम उसका विरोध करेगें। लेकिन प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतने बड़े शत्रु का हम विरोध कैसे करेंगे ? मरने के अलावा और क्या रास्ता है ? आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। इसमें भी रास्ता है। साधनों के आधार पर नहीं है, मानसिकता के आधार पर है, इच्छाशक्ति के आधार पर है। आज यही मानसिकता हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंनें कहा कि हमारी ताकत के अनुसार तो हमें मरना पड़ेगा। हम मरने की तैयारी करें– *"धर्मासाढ़ी मरावे" (धर्म के लिए मरने की तैयारी करें)*। किन्तु मरने की तैयारी करें उस समय यह सोचना कि अरे बाप अब क्या होगा, यह नहीं चलेगा। तो उन्होंनें कहा कि मरते–मरते सबको मारना है–मारिता मारिता ध्यावे राज्य आपुण। और इस तरह सबको मारते–मारते अपना राज्य छीन कर लाना। ये रामदास स्वामी का कहना है। हम जानते हैं कि आज हम आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन मरते–मरते भी अपना राज्य, अपना स्वत्व छीन कर ले आयेगें और हम यशस्वी होगें। आज से साढ़े तीन सौ साल पहले इसी मानसिकता से वे लोग यशस्वी होगें। इस मानसिकता का काम हम राष्ट्र

सुभाषित यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते।
न कंचित् अवमन्यन्ते नराः पण्डितबुद्धयः।।
जिस व्यक्ति में विवेक होता है, वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ काम करने की इच्छा रखता है व करता भी है तथा वह किसी भी वस्तु को तुच्छ समझ कर उसकी अवहेलना नहीं करता ।

जागरण से करेगें। इस दृष्टि से हमें कहना चाहिए कि हम गरीब होंगे, लेकिन चूँकि हमारे इरादे नेक हैं हम ही यशस्वी होने वाले हैं। यह आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए।

वास्तव में ये लोग जितना दिखते हैं उतने बलवान नहीं हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। अमरीका नीचे आ रहा है। अलग–अलग लोग उसके दुश्मन बन रहें हैं। यूरोपीयन कम्युनिटी के किसान, मजदूर इनके खिलाफ हैं, दक्षिण–पूर्व एशिया की जनता इनके खिलाफ हैं, चाइना, जापान इनके खिलाफ है, खुद अमरीका का मजदूर आंदोलन उसके खिलाफ है और जो उपभोक्ता आंदोलन है वह भी इनके खिलाफ है। अमरीका में भी मानवतावादी लोग हैं उन्होनें अपना फोरम बनाया है। फोरम का नाम है– द एडल्ट इकोनॉमिक समिट (The Adult Economic Summit) जहाँ–जहाँ सरकार होती है वहाँ यह समिट जाती है और सरकार के निर्णय के खिलाफ प्रस्ताव पास करती है। विरोध बढ़ रहा है और अमरीका नीचे जा रहा है।

स्वातंत्रय प्राप्ति के पश्चात् जितनी सरकारें आयी, उनको ये धौंस देते रहे– हम जो कहते हैं वही करो, नहीं तो हम आर्थिक प्रतिबन्ध लगा देगें। वास्तव में उनकी धौंस में कोई ताकत नहीं है। लेकिन वे धौंस देते है, और अभी तक की सारी सरकारें इस धौंस के अंदर आकर उनके कहने के मुताबिक चली। हमें आशा थी कि आज की सरकार देशभक्त लोगों की है यह इनके धौंस के आगे झुकेगी नहीं। ये झुक रहे हैं जिस धौंस के सामने ये झुक रहे हैं वे क्या कर सकते हैं ? आज वो धौंस दे रहे हैं हम आर्थिक प्रतिबंध लगायेगें। भारत की जनता की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि आर्थिक प्रतिबंध हम लगायेगें–धौंस आप किसको दे रहे हैं ? वास्तव में आर्थिक प्रतिबंध के कारण ज्यादा से ज्यादा एक साल हमें कष्ट का सामना करना होगा। हमें पेटी कसनी पड़ेगी। हमें पेटी कसने की आदत है। अगर एक साल तक हमने पेटी कस ली तो अमरीका को नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि भारत को अमरीका की जितनी जरूरत है उससे अधिक अमरीका को भारत की जरूरत है। (America needs India more than India needs America) और इस तरह से एक साल तक हम राह देखें तो अमरीका को झुकना पड़ेगा। अमरीका का सामान्य नागरिक एक साल तक कष्ट नहीं सह सकता है। जो अमरीका–वियतनाम के सामने झुक गया था, वह हर जगह झुक सकता है। क्यों झुक जाता है ? अमरीका का नागरिक ज्यादा देर तक लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता।

हमारे यहाँ सभी नागरिक कुछ न कुछ बचत करता है। थोड़ा–सा कमाया तो भी थोड़ा–सा पैसा बचाता है। अमरीका में आगे के तीन साल के क्रेडिट कार्ड को खत्म करके रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। वे लोग एक साल तक राह नहीं देख सकते। हम भारत सरकार को कह दें कि अपनी इच्छा शक्ति को जाग्रत करो। जनता आपके पीछे रहेगी। इच्छा शक्ति के कारण भारत सरकार ने यदि उनके धौंस को नही माना तो एक साल मे उनको नीचे आना पड़ेगा।

हमारे यहाँ एक लोककथा है। लोककथा ऐसी है कि एक पति–पत्नी थे। पति हमेशा अपनी पत्नी को धौंस देता रहता था कि फलाने काम करो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। अब बहुत काम ऐसे होते हैं जो पत्नी नहीं करना चाहती थी। लेकिन पति धौंस देता था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा तो बेचारी बात मान लेती थी। यह बात उसने एक दिन अपनी एक सहेली से बताई। सहेलियों ने कहा कि वह केवल धौंस दिखाता है, धमकी देता है, चिंता मत करो। एक दिन जब तुम्हारा पति कहें कि मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा तो तुम कहना कि जाओ। तुम्हारा कौन सामान बाँधना है, कपड़े वगैरह बताओ–मैं बाँध देती हूँ। पत्नी ने पूछा कि ऐसा कहूँ पति से? सहेली ने कहा – हाँ। एक दिन पति जब आया, उसने पत्नी से कुछ काम करने को कहा और धौंस दिखाया कि यह कार्य तुरन्त होना चाहिए नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। पत्नी ने शांत भाव से कहा –आप जा सकते हैं। आपको जाते समय कौन–कौन कपड़े चाहिए, बताइए? मैं गठरी बाँध देती हूँ। यह उसके लिए अनपेक्षित था। उसने सोचा ही नहीं था कि पत्नी ऐसा कहेगी। कहा ठीक है ये कपड़े दो–वह कपड़े दो मैं जाता हूँ। पत्नी ने गठरी बाँध दी। उसको चाय पिलायी एवं विदा कर दिया। पति जब घर से बाहर निकाला तो उसका पैर आगे नहीं बढ़ रहा था। सोचता था, कहाँ जाऊँ? पहले से कुछ सोचा तो था नहीं। फिर सोचा कि

अमृत वचन

अपना अधिकार छोड़ दो पर अपना कर्तव्य कभी मत छोड़ो। ममता त्याग दो, लेकिन आदर और प्यार देना कदापि न छोड़ो। कामना छोड़ दो, लेकिन उदारता कभी मत छोड़ो।

स्वामी शरणानन्द जी महाराज

थोड़ा आगे जाता हूँ पत्नी को पश्चाताप होगा तो बुला लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गाँव न छोड़ना पड़े इसलिए उसने गाँव के बाहर के मंदिर पर जाकर बैठ गया। वह बैठकर सोचने लगा, उसे खोजने उसकी पत्नी क्यों नही आ रही है? चौबीस घंटे बीत गए, फिर भी उसकी पत्नी नहीं आई–और २४ घंटे बीत गए फिर भी उसकी पत्नी आयी नहीं। उसका धीरज टूट गया। शाम को उसके घर की गाएँ और भैंस चारा खाकर उसी रास्ते से घर जा रही थी। चूँकि उसका धीरज टूट चुका था, वह अपनी भैंस की पूँछ पकड़कर घर जाने लगा, और जाते समय मंत्र के सामान जपने लगा कि भैंसा मुझे जबदरस्ती घर क्यों ले जा रहे हो, मैं घर जाना नहीं चाहता। ऐसा कहते–कहते वह अपने घर चला गया। मैं आपको बताता हूँ कि भारत सरकार ने थोड़ी इच्छा शक्ति दिखाई तो मिस्टर बुश को हम अपनी ताकत का अंदाजा करा सकते हैं।

आज हम सभी यह सोच रहे हैं कि डब्ल्यू० टी० ओ० क्या है? यह फ्रॉड–धोखेबाज, बेईमान देशों का एक क्लब है। लोग हमें कहते है डब्ल्यू० टी० ओ० के बाहर मत आइए। अरे कौन है यह वर्ल्ड ट्रेड आगर्नाइजेशन? विकसित देशों ने, गोरे देशों ने गैर गोरे देशों पर अपना आर्थिक साम्राज्य बिछाने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। महातिर मुहम्मद ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि विश्व व्यापार संगठन में जितने विकासशील देश हैं, उनको इकठ्ठा होकर अपना एक क्लब बनाना चाहिए। आज क्या होता है डब्ल्यू० टी० ओ० में, दादागिरी चलती है। ये गोरे देश गैर –गोरे देश पर दादागिरी चलाते हैं। विकासशील देशों के ब्लाक को यह बताना चाहिए कि हम गोरे देशों की दादागिरी नहीं चलने देंगें। यदि वे मानते नहीं तो हम डब्लू० टी० ओ० छोड देगे और अपना अलग संगठन खड़ा करेगें। भारतीय मजदूर संघ का भी यह कहना है कि वे डब्ल्यू० टी० ओ० में दादागिरी छोडन वाले नहीं। इसलिए विकासशील देश एक क्लब बनाने के लिए तैयार रहे। यह हमारी जानकारी में है। यह कपोल कल्पना नही है। लेकिन उनको भारत जैसे किसी बड़े देश का नेतृत्व चाहिए। यदि यह नेतृत्व करने भारत आगे आता है तो सारे विकासशील देश उसके साथ आ जायेंगें। इस तरह का ब्लॉक बनाते हुए अपने प्रयास पर भारत को एक और डब्ल्यू०टी०ओ० अर्थात विकासशील देशों का एक नया प्रतिस्पर्धी विश्व व्यापार संगठन, खड़ा करना चाहिए। ताकि यह व्यापार संगठन उसको चुनौती दे। उनकी हालत अच्छी नहीं है। न अमरीका की हालत अच्छी है, न यूरोप की हालत अच्छी है। यदि हम हिम्मत के साथ खड़े हुए तो कोई कारण नहीं कि हम अपने हितों की रक्षा न कर सकें। इस संगठन को खड़ा करने में आर्थिक समस्या नहीं है, मानसिक समस्या है। यदि भारत सरकार मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यह काम करती है तो हम सभी को दबा सकते हैं। इच्छा शक्ति नष्ट न हो। नष्ट होने का कारण क्या है ? अरे १०० करोड़ लोग आपके पीछे हैं। इनकी इच्छा शक्ति गँवा बैठे, खो बैठे, तो क्या कारण हो सकता है? आज हम सरकार से प्रार्थना करेगें कि अपनी इच्छा शक्ति जाग्रत करे और उनके खिलाफ खड़े हो जाए। सरकार उनके खिलाफ खड़ी होती है तो हम सरकार का साथ देगें। सरकार उसको प्रश्रय देती है तो हम सरकार का विरोध करेगें। यह हमारी स्पष्ट नीति है। हम माँग करते है, दूसरा डब्ल्यू० टी० ओ० प्रतिस्पर्धी विश्व व्यापार संगठन को सरकार खड़ा करे। सरकार नहीं खड़ा करती है तो हम लोग खड़ा करेगें। इस दृष्टि से आज से केवल चार साल पहले भारतीय मजदूर संघ की रैली में बात की गई थी। तब मजदूर अकेला था, आज उसके कंधे से कंधा लगाकर किसान खड़े हैं। बीमारी एक ही है कि सब लोगों को सरकार ने स्वयं अपना दुश्मन बना लिया है। वे सारे हमारे मंच पर आ सकते है। भारत का देशभक्त जनता विश्व बैंक, आई.एम.एफ. और विश्व व्यापार संगठन को ललकार कर कह सकती है कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। कमजोर इच्छा शक्ति होने के कारण आपने उनकी कई बातें मान लीं तो अब भारत की जनता आपकी बातें नहीं मानेंगी। हमें लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि जनशक्ति जाग्रत हो। आज सर्वसाधारण लोगों को, किसानों को नवयुवकों को, गरीबों को, व्यापारियों को एक मंच पर खड़ा हो जाने की जरूरत है। राष्ट्रविरोधी, गरीब–विरोधी, मजदूर–विरोधी, किसान–विरोधी शक्तियों को हम ललकारें की हम अब तैयार है–युद्वम देहि। युद्व के लिए तैयार हो जाओ–युद्वम देहि। हमारा नारा यही होगा युद्वम देहि। देखेगें कि लड़ाई में क्या होता है? ■

सुभाषित

हिमालयं समारभ्य यावद् हिन्दुसरोवरम्।
तं देवनिर्मितं देशं 'हिन्दुस्थानं' प्रचक्षते।।

हिमालय से लेकर हिन्द महासागर तक विस्तृत एवं देवताओं द्वारा निर्मित इस देश को 'हिन्दुस्थान' कहते हैं।

Memorandum submitted to IInd Indian Labour Commission on behalf of BRMS on 24.7.2001

Bharatiya Railway Mazdoor Sangh feels pleasure to appear before you to suggest various burning issues being faced by the labourers, industries & above all nation. The country is passing through a critical financial transition particularly with the beginning of new economic policies i.e. liberalisation, privatisation & globalisation (L.P.G.). The efforts are going on to deprive or snatch away what working class has achieved so far by their long struggle and sacrifices. There is threat before the industries to survive or the nation is going to economic slavery (sage) of developed countries & multinationals.

Under the above mentioned scenario, the second labour commission has to play a very vital (crucial) role and it has to lay down the policies and direction to the government for the survival of the nation, industry & labour. We hope the recommendation of second labour commission would be a great milestone in this regard and it will set the path of destiny of the nation.

BRMS, being the largest federation working in the railway has the distinction of being an affiliate of a largest central trade union in India i.e. **BMS**, feels its duty to forward its suggestions for your kind consideration.

RECRUITMENT POLICY

So far as recruitment of manpower is concerned, railway has its machinery i.e. railway recruitment boards for group C & D, which are functioning properly & satisfactorily. A slight improvement in this regard is needed i.e. the discretionary powers given to General Managers to appoint few persons/percentage of the vacancies in the name of various quotas viz. sports quota, cultural quota and scout & guides quota, as quota system provides the scope of malpractice either under the political influence or pressure from recognised trade unions or some other considerations. These discretionary powers should be withdrawn henceforth.

DOWNSIZING OF THE MANPOWER

Under the influence of (L.P.G.) in each department / industries, the manpower is being downsized either by surrendering the posts irrationally or through inducement given to workers for opting V.R.S. In certain sectors, compulsory Exit policy has also been adopted. In Indian railways though VRS & Exit policy has not yet been introduced but same is understood to be under active consideration of Ministry. Even without introducing that schemes, the strength of railway staff has gone down considerably upto the extent of 3 lacs during the last decade. Though net work of railway in terms of trains, track length and work load is growing very fast. However, it is the fact that in certain sectors, workers/ employees are underworked, due to incumbent and faulty policies of the management in other words, we can say that the situation is compulsorily created by management for the worker to sit idle, because the work, which is supposed to be performed by them, is being got executed through contractors or by other outside agencies. The artificial circumstances being created to hand over most of the existing establishment to the private sectors. The adverse effects of privatisation is being visualised in various areas. Thus workers are not surplus rather the prevailing system and policies are making them surplus. Privatisation and contract system has not only ruining the fate of workers but also ruining the future of industry & nation thereby paving the way for various scandals coming to light everyday.

CONTRACT/CASUAL LABOUR

As a result of great struggle particularly in the railways, casual labours achieved the rights of permanent absorption (after a specific period) and in other industries also, but efforts are being done to take U-turn under the pressure of industrialist. The budget speech of our Hon'ble Finance Minister Mr. Yashwant Sinha has greatly disappointed the working class and it is visible that govt. is all prepared to adopt "Hire & Fire" policy. Ban on the fresh recruitment is the boon for such induction. Sometimes contractors create obstructions in the permanent appointment of workers due to their vested interests. In this regard it is

अमृत वचन

सुख व प्रसन्नता के लिए ऋण रहित होना परमावश्यक है।
ऋणी व्यक्ति या राष्ट्र कभी भी सुख की नींद नहीं सो सकता।

स्वामी विवेकानन्द सरस्वती

highly recommended by this federation that such practice be legally banned & even if it is essential to induct manpower through contractors, at least salary should be paid at par with regular employee, deployed for such/same work.

A legislation is urgently required to expand the scope of the existing Act to cover the workers working under the private contractors and also to plug the loop-holes in the Act. The main loop-hole of the Act is that the Contractors or the Management employing the casual workers impose artificial break, during the calendar year or before completing continuous 240 days, and in this way continuing year after year on lumpsum pay which is very below to the specified grade & other emolument for such work. Workers always remain in a very weak bargaining position, which forces them not to raise any dispute either in the court or anywhere else.

WORKING CONDITIONS

In Railway Department, the working conditions of the worker because of effective collective bargaining and various legislation is satisfactory to some extent, but not an ideal comparatively to reputed MNC's employees. The working conditions of the railwaymen in diesel shed/ locoshed, small workshops, gangmen in the open railway is very poor. Gangman who can be equated with General Manger in terms of the importance of the operation of trains, have not proper accommodation. They are forced to live in the wooden gang huts and there duty hours are also beyond the statutory limits. The low grade railway workers are not able to enjoy the fruits of various labour laws i.e. I.D. Act, Factory Act, HOER Act, etc. due to antipathy of the Labour Department. Due to laxity on the part of the Labour Department officials, railways administration does not bother or pay attention to the labour department's action or directions. If the datas of the number of cases of railway workers disposed of by the labour department are collected it will be found very very negligible.

A suitable amendment is required in the labour legislation particularly in conciliation machinery. Conciliation officer/labour enforcement officer should be given more powers including powers of prosecuting officials found practising unfair labour practices/non-complying the notices, as described in the I.D. Act. Railway administration have the audacity to circulate the orders from time to time making the trade union rights null & void. For example there is a circular issued by the railway administration not to attend the joint meeting called by RLC/ALC in the conciliation proceedings with the unrecognised registered unions vide Railway Board's letter No. E (LR) 1183/STI-32 dt. 15-04-1983.

SAFETY AND HEALTH

Indian railways own production units viz small, medium and large workshops and different sheds, where workers are engaged in the production and maintenance work to handle heavy machines but there are no uniform safety standards. Safety and health measures in these units are not up to the mark particularly other than full fledged production units such as ICF, RCF etc.

BRMs suggests that an independent safety and health department under the Ministry of labour be created to enforce the safety measures and to supervise the same, wherever industrial worker works. Violation of safety measures by the management should be brought under the criminal offence. Under the safety and health head, a provision is warranted to post a medical officer, where 250 or more workmen are employed in the workshop, with ambulance facility.

FUNCTIONING OF TRADE UNIONS

(i) Trade unions are the bargaining agent of the workers, a liasioning agency between the workers and management and promoters of workers interest coinciding with the industries interest, hence there is a need to give trade union the legislative protection and moral support by the management, as well as by the government. But it is very disappointing that systematic onslaught is being resorted to weaken the trade union to achieve the freedom for exploitation of workers or suppress the descent voice against their unfair labour practices. Management sponsored unions has the vital role in this regard. However, we would like to concentrate on the trade unions existing in the Indian Railways only.

The Trade Union Act, 1926 is completely silent on

सुभाषित

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।
वर्षं तद् भारतं नाम 'भारती' यस्य सन्ततिः।।

पृथ्वी का वह भू-भाग, जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, "भारतवर्ष" कहलाता है तथा उसकी सन्तानें (हम) भारतीय हैं।

the recognition rules of the trade unions, which provides large scope to the management to promote only those trade unions which are committed to managements interest and to crush those, who are committed to workers interests, industry's interest & national interest.

In absence to uniform recognition rules the true & real representatives of workers don't have the say in formulation of railway policies and programmes. There is an example in railway industry, the trade union having the political patronage are enjoying the fruits of recognition since its date of its inception and on the other hand there is trade union committed for the national interest industries and workers interest having no political patronage are being deprived of its legitimate right of recognition, despite of the largest membership and having the distinction of an affiliation to the largest central trade union. BRMs is the victim of drawbacks of the Trade Union Act, which is silent on recognition rules.

(ii) Trade Union Act 1926 does not discriminate the unions based on recognition and (Registered) trade union, but administration to serve their own interest have created discrimination by dividing the unions in the name of recognised & unrecognised (but registered) trade union by issuing certain instructions to not only supersede the Act but to make whole Act as null & void by issuing these instructions, where as Act is enacted by Parliament comprising of Lok Sabha, Rajya Sabha & President & no amendment can be done in Act without approval of parliament but the administration is making the whole Act null and void. Certain examples are cited for perusal by the commission.

Trade Union Act 1926 mentions the word registered trade union and regd. trade unions are entitled to avail all the right enumerated in the Act i.e. holding meetings, collecting the membership fee, raising the industrial disputes & negotiating on the disputes etc. but the management have created another class of trade union that is called "recognised unions". It has already been previously mentioned that the recognition is granted by the management at their sweet will. Unfortunately registered trade unions are deprived of the rights mentioned in the trade union in the face of recognised unions. In the railway department the discrimination between a registered and recognised trade union is vital. The railway administration by their local (administration) orders restricts the regd. Trade union to discharge and enjoy its legal rights. Thus prohibiting them to function. Few examples are cited as under.

The regd. trade union has the right to hold meetings and demonstration in the peaceful manners and express their views as also granted as fundamental rights by the constitution of India, but railway administration treating themselves above the trade union Act as well as constitution of India, prohibits these right by its circular no. RBS/E/D&A 69/GSI/6 datd 01/07/1969 and notification no. 157-G in fortnightly gazette of 15/04/1974 and many other circular issued from time to time. Various restrictions are imposed by the railway administration orally in undeclared form and sometimes, the representative of Trade Unions are made vicitms of repressive measures.

(iii) Registered unions in the railway has no opportunity to negotiate with the railway administration (officials) at their place or before conciliation officials (ALC/CLC/LEO) as mentioned in railway circulars. This attitude of railway is in violation of fundamental rights of workers representing through registered trade union and denial of trade union rights ultimately detrimental to industrial relations.

(iv) BRMs sincerely request the commission to make the trade union Act more specific and in speaking orders to deal with each & every expected circumstances. One suggestion is that every registered trade union should be allowed to avail all the rights mentioned in the trade Union Act & other Acts

अमृत वचन

इनसान यदि लालसा और महत्वाकांक्षा को त्याग दे तो वह बादशाह से कही ऊंचा दर्जा हासिल कर सकता है। लालच ही उसकी ऊचांई में बाधक बनता है।

शेख सादी

irrespective of recognition. Recognition in our views grants some privileges to trade union office bearer such special leave, travelling facility office accommodation etc.

(v) The provisions should be introduced in the Act to allow any office bearer of the registered as well as recognised trade union to depute any serving office bearer as a "Whole Timer" of trade union on deputation basis, provided union agrees to pay amount, which he draws from the industry/ management to set an ideal example before co-workmen & management.

TRADE UNION RECOGNITION

Much have been explained in the above para regarding recognition of the trade union, here we like to mention few more suggestions to be incorporated in the trade union Act under a separate chapter "*Trade Union recognition*".

(i) Recognition of a trade union should not be left on the mercy of management. It should be brought under the power of deptt. of labour i.e. registrar of trade unions. The registration of trade union is done by the registrar of trade union. Likewise the merit of recognition should also be decided by the same authorities, who have the essential datas & figures of membership etc. through annual returns submitted by the unions.

(ii) The following criteria should be adopted for recognition of Trade Union.

(a) 5 years old registrations of union with registrar & regular submission of returns for the said period.

(b) Union should not be based on a particular category, sub departmental category, caste, creed, religion, sex, language, region, class etc.

(c) Its membership should not be less than 30%. However the trade union representing at least 15% membership be granted all the rights except privileges provided by the management i.e. leave, travelling facility.

(iii) There must be separate legislative provision for granting recognition to the unions by registrar of the trade union in trade union Act.

(iv) The membership verification for recognition should be done by the registrar trade union by the method feasible in the particular industry. It may be either verification through annual returns on verification through random sampling as being presently followed for the verification of strength of central trade unions or through secret ballots, if it so warrants.

(v) Recognition should not be allowed to become a source of power & pulp, so that office bearer of a trade union should not get opportunity to become inactive, inertia & prone to inducement, allurement & lust of power. The minimum essential required facilities for smooth functioning of trade union such as a limited (prescribed) special leave, limited travelling facility to limited members or office bearer and office accommodation.

(vi) Workers participation in the management is need of the hour, hence departmental joint councils or departmental management board should be represented by the representative of registered trade unions also.

(vii) The various committees constituted by the management for the welfare of workers and for growth of productivity should be represented by proportional representation of all the trade unions irrespective of recognition, based on the membership strength.

(viii) In general the role of trade union leaders is very vast. he should not be only the leader of trade union, actually he is the leader of whole industry. The leader of trade union is not less than highest executive of the industry so far as the welfare of industry is concerned. With this spirit trade union leaders are supposed to discharge their duties like other workmen to set an example of inspiration to mass worker instead of worth- less show piece for production of industry, but keeping in view the practical

सुभाषित हिन्दवः- सोदराः सर्वे न हिन्दुः पतितो भवेत्।
मम दीक्षा हिन्दु-रक्षा मम मन्त्रं समानता।।
सारे हिन्दु सहोदर (माँ जाये भाई) है। कोई भी हिन्दु नीच या पतित नही हो सकता। ' हिन्दु रक्षा ' मेरी दीक्षा है और समानता मेरा मंत्र है।

necessity to discharge trade union activities some relaxation in fixed terms is justified in the interest of both workers and management. For example trade union office bearer may be granted fixed duration of time that may be upto limit of two hours daily with specified time period to perform local activities of trade union. For outside activities (other than the working place) limited number of special leave be granted during a year.

(ix) Recognition once accorded should not be taken as granted forever. To make trade union active, competitive & militant, it should be reviewed periodically by the recognition granting authority as per the norms laid down for granting initial recognition.

(x) No retired personnel or outside personnel should be allowed to become an office bearer of a recognised union at all.

INDUSTRIAL RELATION

Industrial relation is a two-way traffic. The management & the workers are equally responsible for maintaining healthy, cordial industrial relations. It can be achieved only when both the parties presume themselves & behave like the two wheels of a chariot.

Trade union should be debarred to have an affiliation with any political party, by the legislative provisions, because experiences show that due to the political factors more & more intra union conflict emerges and atmosphere of the industry is bound to viciate due to the political reasons.

The political affiliation of a trade union leads the trade union activities to near zero, if affiliated political party is in power/govt. On the other hand the trade union having affiliation with opposition party create unwarranted chaos in the industry jeopardising the industrial relations.

Sometimes social and economic factors also lead industrial conflicts particularly in these days with the adoption of economic reforms comprising of liberalisation, privatisation & globalisation, industrial peace is at stake. In the name of economic reforms indirectly or sometimes directly also workers of trade union are made the targets and working class as a whole are in a very apprehensive stage about their future and so long this situation prevails, industrial relation is bound to be in peril.

Regular dialogue between the trade union and management, the management attitude to take the trade union in to confidence before introducing any new policy & programmes may help in maintaining industrial relations. Works committees/staff council at different levels should be constituted by open election at a regular period of one year, where mutual dialogue be held regularly.

Proper staff grievances cell and effective grievances redressal machinery should be created. The effective grievances redressal machinery will certainly minimise workers unrest, facilitating harmonial industrial relation.

In railways there are facilities for training of management and trade union personnel in industrial relations. Workers education board under the *"Ministry of labour"* also arranges such programme at their own or finances the trade unions for conducting the trade union education programmes. A tragedy is that in Indian Railway even for these programmes, the delegates are nominated and opportunity is provided only to recognised trade union activists. The labour department has got no statutory to compare the railway to provide such facilities or equal opportunities to the registered trade union activists.

There are numbers of workers organisation in every industry having different number of followers but everyone has some definite followers. Each has got some importance in the functioning of industry and maintaining industrial relations as such due regard must be given to all functioning workers organisations. Once or twice in a year, an informal meeting of the representatives of all the organisations and management should be held and views of each other be exchanged like members of family.

These are numbers of problems in the Indian Railways and it is not able to exploit the maximum of the resources due to common railwaymen's non participation in the business of railways. The root cause of this is the communication gap between managerial

अमृत वचन

सरलता भक्ति-मार्ग का सोपान है तथा संदेह और कपट तो अवनति के चिह्न है। भक्त का निष्कपट और निष्ठावान होना बहुत जरूरी है।

संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज

executives cadres and workers at the lower stage. The change of this beauraratic attitude is must, if the railway really desires to deliver the goods and achieve better industrial relations to meet the future challenges.

CONCILIATION

The conciliation provision in the industrial dispute act is very inadequate. Concilation officers are too handicapped to deliver the results due to lack of power as per the provision of I. D. Act. The ministry of labour is overburdned with the cases forwarded by the conciliation officer as a result of *"Failure of Conciliation"* awaiting references. Normally at least 10 year are consumed for a particular case to be referred to Industrial tribunal / labour court / arbitrator. There is a need to amend I.D Act granting more powers to the conciliation officer and the conciliation officer be empowered to refer the cases directly to industrial tribunal/labour court/ arbitrator. There is more tragic situation, various labour courts/tribunals remains unmanned sometimes for a considerable period.

To minimise the failure rate of concilation it is advisable to strength the hand of conciliation officer with the punitive powers enforcing/compelling the parties to make the concilation success through the legislative amendments.

DEARNESS ALLOWANCES

(i) Dearness allowance must be calculated on month to month basis & point to point basis on all India consumer price instead of existing practices.

(ii) 100% neutralisation of price rise should be the principles for determining the quantum of dearness allowances to ensure that real wages of employee is not eroded by price escalation. The demand from the industrial house to pay the dearness allowance as per the paying capacity of this industry is not fair.

WAGE DIFFERENTIALS

It is very appropriate to adopt the conception of normative wage ratio between lowest paid and highest paid employee of an organisation. BRMS is of the view that of differential ratio between the lowest paid and highest paid employee of the country should be 1:10 means that if a lowest paid workers of any sector gets Rs. 100/- then it should not be more than 1000/- to the president of India (highest paid public servant).

WAGE FIXATION

(i) It is more relevant to formulate a national wage policy, national price policy and national expenditure policy to ensure uniformity. To avoid workers dis-satisfaction a single national wage board would be more useful but national wage board must have the equal representative of workers & Govt. to be headed by an independent, impartial chairman not below the rank of sitting / Retd. Judge of Supreme Court. Wages should be fixed on the basis of job evaluation and job analysis. The other perks may be decided industry wise on the basis of collective bargaining through bipartite talks, keeping in view the paying capacity of the industry.

Presently voices from various forums as well as recommendations made by several committees constituted by Govt., the idea of wage freeze & D.A. freeze is being discussed to improve the economy of the country. Trade unions have taken very serious view and a great resentment is prevailing amongst the working class. The workers because of their weakest position are made scapegoat for all the evils of the economy and financial imbalances. The fact is not so, the economic disastrousness is not due to working class and also not due to expenditure incurred on their wages. On the contrary these are due to the mismanagement, political insightedness, corruption at highest level and lack of will power.

The worker dis-satisfaction sometimes emerges due to social factor originating from sectoral imbalance in the wage structure between public and private sectors, between govt & public sectors, so there is utmost need to strike a sectoral balance, while formulating wage policy.

(ii) Uniform period for the duration of settlement/ agreements/pay commission's report on wages should be laid down for five years for all govt. public sector & financial institution officials.

सुभाषित

कदा वयं हि लप्स्यामो जन्म भारतभूतले।
कदा पुण्येन महता प्राप्स्यामः परमं पदम्।।

देवता लोग भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि कब वह पुण्य का दिन प्राप्त होगा, जब भारतभूमि पर जन्म का सौभाग्य मिलेगा और परमपद प्राप्त हो सकेगा।

BONUS

Bonus in Indian Railway is paid linking with the productivity (PLB), but its benefits is restricted due to the ceilings imposed in the payment of Bonus Act 1965. Both the ceiling i.e. eligibility ceiling and bonus calculation (Wage) ceiling should be removed making provision "*Bonus for all*" calculation as per their actual emoluments.

LABOUR LEGISLATION

Most of labour legislation enforced have become either obsolete or irrelevant in the changed social, financial & political circumstances. Many of them & service conduct rules are still prevailing, which were enacted before independence as many of the clauses of new Act are based on the previous Acts enacted by Britishers. Many of the clauses in Acts or service conduct rules have no relevancy in the present scenario. For example payment of wages Act is obsolete mere on the reason of one condition that it is applicable to those, whose per month emolument does not exceed Rs. 1600/-, where as even group 'D' lowest paid employee's basic pay is Rs. 2550/- P.M. + D.A. as admissible from time to time. This requires immediate amendment covering all those employees, who are at par with 1600/- P.M. of that time, to be enhanced as per D.A. & revision of pay in future.

In the service conduct rules, employees are supposed to take prior permission before giving or accepting the gift of even 1 kg. sweet due to very minimum limit fixed for exemption. In USA participation political activities is restricted to only 11% of employees who are working in strategic points/institutions.

All such legislation requires immediate amendment matching with the our sociological, economical & political circumstances but not on the pressure from external powers and industrialist/business houses.

LABOUR RESEARCH AND INFORMATION

(i) Consumer price index number currently compiled does not reflect adequately the actual price changes, because of agency engaged for data collection does not pay proper attention. Due to their laxity, the collected datas don't cover whole market and whole items consumed by the consumer. Practically it will seem like a joke, an orderly of the district magistrate in actual sense collects the datas on behalf of D.M., on which the consumer price index is circulated.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

सरस्वती विद्या मंदिर आवासीय एवं डे–स्कॉलर तथा शारदा

शारदा विहार परिसर, केरवा बाँध मार्ग, भोपाल

विद्या भारती एवं सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यभारत से संबद्ध

अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त प्रकृति के मध्य स्थित कक्षा ६ से कक्षा १२ तक का आवासीय एवं डे–स्कॉलर विद्यालय

- *भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुरूप शिक्षा*
- *व्यवसायोन्मुखी शिक्षा*
- *तकनीकी शिक्षा के लिए बढ़ते चरण*

शारदा विहार महाविद्यालय (आवासीय एवं डे–स्कॉलर सुविधा)

बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध महाविद्यालय में संकाय B.C.A, B.Sc. B.Sc (Computer), B.Com., B.Com (Computer)

विशेषताऐं : *अत्याधुनिक कम्पयूटर केन्द्र*
श्रेष्ठ शिक्षा

हमारे अन्य प्रकल्प

कामधेनू गौशाला एवं गोबर गैस संयंत्र, सरस्वती विद्या मंदिर ग्रामीण विद्यालय, डॉ हेडगेवार चिकित्सा केन्द्र, कामधेनू गौशाला एवं गोबर गैस संयंत्र, उत्तम कृषि परिक्षेत्र, सेवा एवं संस्कार केन्द्र, वानस्पतिक उद्यान

शारदा विहार जनकल्याण समिति, शारदा विहार परिसर, केरवा बाँध मार्ग

६६६६४५, ६६६६४६, e-mail

राकेश मोहन कमिटी की रिपोर्ट – एक विशलेषण

– आई.पी.एस. चौहान, सहायक महामंत्री, उ०रे०क० यू०

परिचय : डॉ राकेश मोहन के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा रेलवे की आर्थिक दशा एवं दिशा को सुधारने हेतु एक समिति गठित की गयी थी जिसने १२ फरवरी २००१ को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया तथा दिनांक ७ अगस्त २००१ को ५१७ पृष्ठों की विस्तृत रिर्पोट रेल मंत्री को सौंपी है। इस समिति को "Expert group on Railway" की संज्ञा दी गयी है परन्तु वास्तव में यह "Expert group outside railway" है क्योंकि इस समिति के कुल सत्रह सदस्यों में से चौदह रेलवे से बाहर के लोग हैं तथा रेल उद्योग से दूर का भी सम्बन्ध नही है। मात्र तीन सदस्य ही रेलवे से संबधित है। बाहरी सभी सदस्य अर्थशास्त्री, उद्योग जगत एवं व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं। रिर्पोट के प्रारम्भ में ही विनम्रतापूर्वक सत्य स्वीकार किया गया है कि किसी भी वाह्य व्यक्ति के लिए रेलवे जैसे बड़े एवं अत्यन्त जटिल प्रतिष्ठान को समझना बहुत ही मुश्किल का काम है। "It is not easy for outside experts to grasp the many complexities of the operation of this massive enterprise."

रिर्पोट के अन्तर्गत रेलवे की वर्तमान आर्थिक स्थिति की समीक्षा, दुर्दशा के कारण तथा दुर्दशा को सुधारने हेतु अनेक सिफारिशें की गयी है।

भारतीय रेलवे की वर्तमान स्थिति की समीक्षा :

रिर्पोट में प्रमाणिकता पूर्वक रेलवे की वर्तमान आर्थिक दुदर्शा पर चिन्ता प्रकट की गयी है। वास्तव में रेलवे की स्थिति चिन्तनीय है। रेलवे की आर्थिक दुर्व्यवस्था के कारण इस वर्ष रेलवे सरकार को लाभांश भी नही दे सकी। आर्थिक संकट के कारण रेलवे कुशल एवं मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मक सेवाऐं भी भविष्य में प्रदान कर सकेगी की नहीं इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है।

प्रतिस्पर्द्धा के कारण रेलवे को सड़क यातायात से मुकाबला करने में कठिनाई हो रही है। विशेष कर १९८० से यानि जब से ट्रक को राष्ट्रीय स्तर पर परमिट जारी होने लगा है। रेलवे का बहुत बड़ा बाजार सड़क यातायात की ओर परिवर्तित हो गया है। वार्षिक विकास दर यानि शुद्व टन किलोमीटर (Net Tonne Kilometer) जो १९८४ से १९९१ के बीच औसत ५.३३ प्रतिशत था वह १९९२ से १९९६ के बीच आठ वर्ष में १.८६ प्रतिशत कम हो गया। भविष्य में इसमें और ह्रास होने की सम्भावना है क्योंकि सरकार ने चार लेन वाली सड़कों का विकास करने की योजना बनायी है जिस पर एक्सप्रेस बस सेवा चलायी जायेगी। पेट्रोलियम उत्पाद के आवगमन के लिए पाइप लाइन बिछाने की योजना बन रही है। समुद्रीय जहाज तथा जल मार्ग का भी तीव्र गति से विकास हो रहा है। जिसके द्वारा कोयला सीमेन्ट आदि की ढुलाई शुरू हुई है। इन सब कारणों से आने वाले समय में रेलवे का बाजार कम ही होने वाला है। पंचम वेतन आयोग लागू होने के पश्चात रेलवे के आन्तरिक कोष पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ा है। अर्थ संकल्पीय सहयोग (Budgetary Support) का अंश भी प्रतिवर्ष घटते घटते पंचम पंचवर्षीय योजना में 75% से अष्टम पंचवर्षीय योजना में 23 प्रतिशत हो गया है। पटरियों का नवीनीकरण का बकाया 3548 कि०मी० से बढ़कर 11,211 कि०मी० इस पिछले दशक में हो गया है। माल भाड़े का शेयर 1950 में 80% से अधिक था वह घट कर 40% हो गया है। एक्सप्रेस मार्ग तथा चर्तुलाइन हाईवे के विकास के कारण यह घट कर 25% हो जायेगी। माल भाड़ा के तुलना में यात्री ट्रैफिक में वृद्वि की दिशा अच्छी है। पिछले पन्द्रह वर्षों में कुल यात्री कि०मी. में 4.5% की दर से वृद्वि हुई जबकि पिछले पाँच वर्षो में यह दर 5.8% रही है। कुल मिला कर स्थिति यह है कि खर्च के निम्न स्तर को भी पूरा करने हेतु धन जुटाना रेलवे के लिए भारी पड़ रहा है। यह समस्या और भी बढ़ गयी है, जब से खर्च करने की प्राथमिकता बदल गयी है और गैर उत्पादक खर्च बढ़ गये है।

Wheel Track Interface में अवनति हुई जिससे ट्रेन की गति कम करनी पड़ी और सरक्षा

अमृत वचन

स्नेह की सरिता में तैरना अच्छा है,
पर ज्ञान से वंचित होकर डूबना अच्छा नहीं है।

कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी

की समस्या भी उत्पन्न हुई है।

Depriciation fund के निर्माण के लिए कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं अपनाया गया है। Depriciation reserve fund (DRF) में आवंटन उपलब्ध राशि के आधार पर किया जाता रहा है।

दुर्दशा का कारण :

रिर्पोट के अन्तर्गत रेलवे की वर्तमान व्यवस्था को ही सभी प्रकार से दोषी करार दिया गया है। वास्तव में रेलवे की आर्थिक व्यवस्था में गिरावट १९६० के बाद से यानि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति शुरू होने के कारण हुई है परन्तु राकेश मोहन कमीटी ने इस नीति को ही आगे बढ़ाने की सिफारिश की है।

कमिटी का मत है कि १९६० के दशक मे अनुत्पदाक योजनाओं पर निवेश की मात्रा बढ़ी है। अनुत्पादक योजनाओं की श्रेणी में गेज परिवर्तन, राजनीतिक दृष्टिकोण से नयी लाईनो को बिछाने आदि कार्य को रखा गया है। यद्यपि रेलवे बोर्ड को पर्याप्त स्वायत्ता प्राप्त है परन्तु यह भी सत्य है कि इसे बहुत बार राजनीतिक दबाब का भी सामना करना पड़ता है। इस कारण कई बार ऐसे निर्णय जो व्यवसायिक संस्था के लिए आवश्यक है, यह नहीं ले पाती है। रेलवे मे कीमतों (Price) का निर्धारण व्यवसायिक दृष्टिकोण से न करके राजनीतिक निर्णय द्वारा होता है जिसका बोझ रेलवे को ढोना पड़ता है। विशेष कर निम्न श्रेणी का यात्री किराया राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान मे रखकर निर्धारित किया जाता है जिसकी क्षतिपूर्ति या तो उच्च श्रेणी के किराया में वृद्वि कर या माल भाड़े से किया जाता है। सड़क मार्ग से स्पर्द्धा के कारण भारतीय रेलवे का माल भाड़ा का बाजार शेयर कम हो रहा है।

एक अनुमान के अनुसार कुल यात्रियों की संख्या में से 15% यात्री रियायती यात्री होते है। उच्च श्रेणी में यह संख्या अधिक हो सकती है। इस रियायती श्रेणी की यात्रियों में रेल कर्मचारियों की संख्या अधिक हे।

वैगन, लोकामोटिव, लाइन क्षमता पर कम खर्च करने तथा सम्पत्तियों का आदर्शतम उपयोग नहीं करने के कारण रेलवे की यातायात क्षमता सीमीत है।

१९६० के बाद लगातार सरकारें बदलते रहने के कारण भी समस्या में वृद्वि हुई हैं। गेज परिर्वतन पर बहुत जोर दिया गया परन्तु कोई प्रतिफल नहीं मिला।

१९९८–९९ के आंकड़ों के अनुसार रेलवे के कुल आय में से 56% व्यय कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन पर हुआ है। कर्मचारियों के वास्तविक आय बढ़ने के अनुपात में रेलवे की उत्पादकता नही बढ़ी है।

सिफारिशें :

रेलवे एक व्यावसायिक संगठन है। इस नाते इसे आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरी तरफ रेलवे एक सरकारी विभाग है इस कारण इसे सामाजिक दायित्व का भी निर्वाह करना है। अतः आवश्यकता है रेलवे की व्यवसायिक तथा सामाजिक भूमिका को स्पष्ट किया जाय। सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने हेतु अलग संसाधन एवं प्रयास की आवश्यकता है। सरकारी विभाग के रूप मे कार्य करने के कारण रेलवे बाजार में हो रहे परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने मे असमर्थ है। लागत में वृद्धि के बावजूद अपने कीमतों में परिवर्तन नही कर सकता है। तुलनात्मक रूप से अन्य यातायात के साधन प्रमुखतः रोड ट्रांसपोर्ट बाजार की आवश्यकता के प्रति अधिक सजग है। समिति के द्वारा निम्न सुझाव तथा सिफारिशें प्रस्तुत की गयी है।

प्रमुख सिफारिशें :

१. नॉन कोर बिजनेस का परित्याग

भारतीय रेल सवारी/माल डिब्बे एवं इंजन का निर्माण यात्रियों के लिए खानपान सुविधा अपने कर्मचारियों के लिए शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने का कार्य करती है। यह भूतकाल में उचित रहा होगा परन्तु वर्तमान सन्दर्भ में व्यवसायिक संकल्पना के अनुसार बहुत सारे कार्यों के कारण प्रबंधक का समय नष्ट होता है तथा मूल व्यवसाय पर से ध्यान कम हो जाता है। अतः कमिटी ने रेलवे के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है। एक अति महत्व का कार्य (Core Busi-

सुभाषित

जन्मस्थानं महर्षीणां तपस्थानं च योगिनाम्।
न जगद् वन्द्यतां राष्ट्रं भवेत् संघबलं विना।।

चाहें महर्षियों की जन्मभूमि हो, चाहे योगियों की तपोभूमि हो, किन्तु जिस राष्ट्र के निवासियों में संगठन का बल नहीं होता, वह संसार के लिए वन्दनीय नहीं हो सकता।

ness) दूसरा कम महत्व का कार्य (Non-Core Business)। कम महत्व के कार्य निम्न बताए गये हैं :

1. उत्पादन ईकाई (Production units)
2. आवासीय कालोनी (Residential Colony)
3. खान पान (Catering)
4. ट्रेनों में दी जाने वाली अन्य सेवाऐं (other on board services)
5. सुरक्षा
6. होटल यात्री निवास
7. सफाई
8. प्रिंटिंग प्रेस
9. चिकित्सा सुविधा
10. स्कूल/कॉलेज
11. शोध सुविधाऐं

रेलवे को इन Non-Core business से मुक्त हो जाना चाहिए ताकि वह अतिमहत्व के विषयों पर ध्यान केन्दित कर सके। जिन चीजों का रेलवे स्वयं निर्माण करती है, उन चीजों का बहुत सारे सक्षम सप्लायर्स विद्यमान है। परन्तु राकेश साहब को यह अध्ययन करना चाहिए था कि रेलवे के कारखाना में निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता के सामने किसी भी सप्लायर्स के उत्पादन का कोई मुकाबला नहीं है।

२. रेलवे का पुर्नगठन

१९७०–९५ के बीच सम्पूर्ण विश्व में सभी देशों में रेलवे के ढाँचा का पुर्नगठन किया गया क्योंकि सभी देशों की गौरवशाली रेलवे अपने ही देश के लिए बोझ बन गयी थी। जब तक पुर्नगठन नहीं किया गया तब तक वे अपना भाग्य सँवारनें में असमर्थ रहे। विभिन्न देशों में विभिन्न मॉडल अपनाए गये हैं। परन्तु सभी देशों में सरकार के द्वारा नूतन प्रतिभाओं का समावेश किया गया है तथा उच्च स्तरीय प्रबन्धन में वाह्य दक्ष लोगों को शामिल किया गया है। चार प्रमुख कारणों से रेलवे में ढाँचागत परिर्वतन आवश्यक है –

1. गुणवत्ता एवं कीमतों में वृद्वि हेतु बाजार का दवाब।
2. दूसरे यातायात के साधनों से प्रतिस्पर्धा
3. दुर्बल आन्तरिक उपलब्धियां (Internal performance)।
4. सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली अर्थसंकल्पीय सहयोग में कमी।

सभी रेलवे ने पुर्नगठन करते समय तीन प्रमुख सिद्वातों को लागू किया है।

1. सरकार तथा रेलवे के बीच गहरा सम्बन्ध बनाना।
2. प्रबन्धन में व्यापारिक दृष्टिकोण वाले लागों को शामिल करना।
3. वास्तविक बिजनेस को परिभाषित करना तथा नॉनकोर कार्यों से छुटकारा पाना। नॉनकोर बिजनेस के अन्तर्गत निर्माण (manufacturing), खानपान, दूरसंचार तथा रखरखाव आता है।

जर्मनी में Deutsche Bahri (DB), ब्रिटेन, इटली में Ferrovic Dello Stato, जापान की सभी रेलवे स्वायतशासी कंपनी है तथा सरकार से अलग है। इन संबधों के आधार पर वहाँ रेलवे ने अपनी लोक सेवा के दायित्व को निश्चित किया है। यूरोप के दस में से सात बड़ी रेलवे में तथा जापान में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि रेलवे की नहीं है। मध्य तथा कनिष्ठ स्तर पर भी नयी प्रतिभाओं को नियुक्त किया गया है। यूरोपिय कमीशन ने दो महत्वपूर्ण ढाँचागत परिवर्तन लागू किया है।

1. रेलवे के परिचालन एवं infrastructure को अलग अलग किया है।
2. परिचालन तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के मध्य स्वीकृत (Contractual) संबधों पर निगरानी रखने के लिए स्वतंत्र नियंत्रक की स्थापना किया है। यह मॉडल एयरपोर्ट के मॉडल के समान है जहां वायुयान का प्रबंधन और परिचालन की व्यवस्था अलग अलग है। चीन में पुर्नगठन का नया मॉडल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण क्षेत्रियकरण (Regionalisaiton) को अपनाया गया है। चीन ने अपने रेलवे को विभिन्न स्वतंत्र हिस्सों मे विभक्त किया है जिसमें कुछ हिस्सा निजी कम्पनियों के हाथों में है। क्षेत्रियकरण के कारण परिचालन के विकेन्द्रीकरण में सहयोग मिला है। एक्सपर्ट समूह भारतीय रेलवे के पुर्नगठन के दृष्टि से सुझाव दिया है कि रेलवे का संस्थागत विभाजन किया जाय :

एक नीति निर्धारक दूसरा प्रबंधन वर्ग। नीति निर्धारक केवल नीति

अमृत वचन

परमप्रिय प्रभु से हमेशा जीवन में सदबुद्धि, सद्भावना, सदविवेक और सच्चरित्रता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यही वास्तविक जीवन धन है।

आचार्य राजगुरू जी महाराज

निर्धारण करें, प्रतिस्पर्द्धा के नियम बनाये, मूल्य नीति बनाए तथा प्रबंधन वर्ग केवल प्रबंधन का कार्य देखे। यदि रेलवे से अपेक्षा यह की जाय कि यह व्यावसायिक सिद्धान्तों पर चले तो इसके प्रबन्धन को अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की तरह स्वायत्तता देनी होगी। यूरोप के बहुत से देशों मे भी रेलवे संचालन सरकारी प्रभाव से अलग है, स्वतंत्र नियंत्रक की व्यवस्था की गयी है। चीन में भी रेलवे सरकार से बिल्कुल अलग है। रूस में भी संचालन, नियंत्रण एवं नीति निर्धारण अलग हो रहा है। ढाँचागत स्वरूप कैसा होना चाहिए इस दृष्टि से कमिटी ने सिफारिश की है कि रेलवे का निगमीकरण कर भारतीय रेलवे निगम (Indian Railway Corporation) बनाना चाहिए। भारत सरकार की जिम्मेवारी केवल नीति निर्धारण की होगी। नीति निर्धारण के लिए भारतीय रेलवे नियंत्रक समिति (Indian Railway Regulatory Authority) गठित करनी पडेगी। इस प्रकार का पुर्नगठन दूर संचार के क्षेत्र में लागू हो चुका है। भारतीय रेलवे निगम IR Executive Board द्वारा शासित होगा। इसके लिए कानून में आवश्यक परिवर्तन करना होगा। कानून में समुचित रूप से यह भी प्रावधान करना होगा कि भारतीय रेलवे नियंत्रक प्राधिकरण तथा भारतीय रेल कार्यपालक बोर्ड में महत्व के दायित्व का निर्वहण करने वाले अधिकारी की नियुक्ति तथा बरखास्तगी किया जा सके।

रेलवे के कामकाज की समीक्षा तो होना चाहिए क्योंकि रेलवे की स्थापना के लगभग डेढ़ सौ वर्ष हो चुके है। परन्तु विदेशों के तर्ज पर जिस प्रकार का ढाँचागत आमूल चूल परिवर्तन का सुझाव समिति ने दिया है वह यहाँ के सन्दर्भ में व्यवहारिक नही है। रेलवे का इतना बड़ा ढाँचा अपने आप में गौरव का विषय है। रेलवे मंत्रालय के भीतर लगभग सभी मंत्रालय है।

एक्सपर्ट समूह ने पुनर्गठन से अनेक प्रकार के लाभ गिनाए हैं, जैसे :

1. इसके कारण उपभोक्ताओं को गुणवत्ता, कीमत तथा संरक्षा की दृष्टि से बेहतर सेवाऐं प्राप्त होगीं। जापान में पुर्नगठन के फलस्वरूप यात्रा समय में 25% की कमी हुई, स्वीडन में यात्री किराया में 5% तथा माल भाड़ा में 7% की कमी हुई है, जापान में दुर्घटनाओं में 50% की कमी आयी है तथा स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन में सरंक्षा का स्तर उपर उठा है।
2. बाजार शेयर के मामले में भी गिरावट रूकी है तथा कुछ देशों में वृद्वि देखने में आ रही है। यूरोप, स्वीडन, जर्मनी तथा ब्रिटेन में प्रतिवर्ष रेल ट्रैफिक में 7.5% की कमी आ रही थी, जो अब 2% की दर से वार्षिक वृद्वि हो रही है।
3. कर्मचारी उत्पादकता जापान में तीन गुनी बढ़ी है, जर्मनी में 95% तथा ब्रिटेन और स्वीडन में दुगुनी हुई है।
4. पुर्नगठन के कारण इन्फरास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ता है। एक्सपर्ट समूह ने रेलवे के पुर्नगठन के संबंध में सरकार को कुछ सावधानियां बरतने को भी कहा है तथा अन्य स्थानों से सीख ग्रहण करने का भी निम्न सुझाव दिया है।

   क) यूनियन को सहभागी बनाया जाय : जर्मनी, स्वीडन तथा आस्ट्रिया में यूनियन को सफलतापूर्वक सहभागी बनाया गया जिसके कारण वहां परिवर्तन सुनिश्चित हो सका है। इटली, ब्रिटेन, स्पेन तथा फ्रांस में यूनियन की सहमति नहीं प्राप्त की जा सकी इस कारण वहां पुर्नगठन करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश तथा इटालियन यूनियन ने तो सुधारवादी प्रक्रिया के विरूद्व रोषपूर्ण हड़ताल भी किया। ट्रेडयूनियन के पास इतनी क्षमता है कि वह पुर्नगठन के मार्ग में रोड़ा अटका सकती है अतः पुर्नगठन लागू करने के पहले ट्रेड यूनियन को पुर्नगठन की आवश्यकता को समझाया जाय तथा उनका सहयोग सुनिश्चित किया जाय। यूनियन को सहभागी बनाया जाय का तात्पर्य अप्रत्यक्ष रूप से यूनियन को खरीदा जाय जो कि कुछ मात्रा में हो भी रहा है।

   ख) उपर्युक्त मॉडल लागू किया जाय : ब्रिटिश रेलवे के पुर्नसंरचना के अन्तर्गत रेलवे को १०० कंपनियों में विभक्त किया गया जिसे वहाँ जल्दबाजी में लिया गया निर्णय करार दिया। बाद में इनमें से कुछ को पुनः एक दूसरे के साथ विलय करना पड़ा। जर्मनी

सुभाषित

न राष्ट्रं राष्ट्रतां याति यद्यसंघटिता जनाः।
निदानं राष्ट्र-भावस्य सुसंघटित-जीवनम्।।

जिस राष्ट्र में लोग संगठित नही हैं, वह राष्ट्र "राष्ट्रत्व" को प्राप्त नहीं होता। सुसंगठित जीवन ही राष्ट्रभाव का मूल कारण है।

तथा स्वीडन बहुत ही सावधानीपूर्वक निजीकरण की ओर अग्रसर हुआ। अतः सभी पक्षों को साथ लेकर भविष्य का मॉडल सावधानीपूर्वक बनाना चाहिए। एक्सपर्ट समूह ने कहा कि भारत में कौन सा मॉडल सर्वोत्तम होगा कहना कठिन है क्योंकि अधिकांश देशों में सुधार की प्रक्रिया चल रही है।

ग) **निश्चित कार्यावधि तय किया जाय :** पुर्न सरंचना के निमित्त स्पष्ट कार्य योजना तैयार किया जाय। जर्मनी में दस वर्षीय योजना बनाय गया था जबकि ब्रिटेन में दो वर्ष में निजीकरण पूरा कर लिया गया। भारतवर्ष के लिए कमिटी ने रेलवे के पुर्नगठन हेतु निम्न समय सारिणी लागू करने का सुझाव दिया है:

	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण
समय सीमा	एक वर्ष	एक से तीन वर्ष	तीन से पाँच वर्ष	पाँच वर्ष से अधिक
कार्यक्रम	१. रेलवे नियंत्रण प्राधिकारण (Railway Regulatory Authority) का निर्माण	१. भारतीय रेलवे कार्यपालक बोर्ड (Indian Railway Executive Board) की स्थापना	१. निगमीकरण	१. स्वामित्व विकल्प का मूल्यांकन
	२. कानून में परिवर्तन	२. ढाँचागत परिवर्तन हेतु आधार तैयार करना	२. अति महत्वपूर्ण विषयों का पुर्नगठन	२. पुनर्गठन प्रक्रिया में सुधार करना
	३. सामाजिक एवं व्यावसायिक लक्ष्य को परिभाषित करना	३. कम महत्व के विषयों का पुर्नगठन	३. क्षेत्रिय संगठनों को पुर्नजीवित करना	
	४. दाँव लगाने वाले (Stake holder) के साथ गहन संवाद स्थापित करने का शुभारम्भ	४. IRRA को पूर्ण रूप से कार्यक्षम बनाना	४. प्रतिस्पर्धा का प्रारम्भ	

३. **भाड़ें में वृद्वि :** भारतवर्ष आर्थिक विकास की ओर अब अग्रसर होने लगा है। इसलिए कुशल यातायात के साधनों के विकास की अतयन्त आवश्यकता है। भारतीय उद्योगों की लगातार तीव्रगति से हो रही विकास एवं उनके मॉगों के साथ रेलवे को कदम मिलाकर चलना होगा। उपभोक्तओं के विश्वास को अर्जित करना तथा बेहतर सेवा की गारंटी देना होगा. इस दृष्टि से रेलवे को कुशल उपभोक्ता केन्द्रित प्रतिष्ठान के रूप में विकसित करना होगा।

सेवा और प्रतिभा से प्राप्त प्रतिष्ठा अक्षुण रहती है जबकि धन या पद के बल पर पायी गयी प्रतिष्ठा कुछ ही दिन बाद तार-तार हो जाती है। इस विचार को हमेशा स्मृति में रखना चाहिए।

अमृत वचन

मि० अरमाट

अतः माल तथा यात्री ट्राफिक से प्राप्त राजस्व को बढ़ाना आवश्यक है। वर्तमान में 70% माल भाड़े से तथा 30% यात्री भाड़े से राजस्व प्राप्त होता है जो अपर्याप्त है। दोनों में ही वृद्वि करनी होगी।

यात्री भाड़ा : रेल यात्री किराया को न्याय संगत (rationalisaition) बनाना चाहिए। शहरी यात्रियों को बहुत भारी मात्रा में मासिक सीजन टिकट के कारण सब्सिडी प्राप्त हो रही है।

लम्बी दूरी की यात्रा हेतु रेलवे को एक तरह से एकाधिकार

प्राप्त है। यात्री बेहतर सुविधाओं के लिए अधिक भुगतान करने के लिए तैयार रहता है। भारतीय रेलवे ने बेहतर सुविधा प्रदान करने का प्रयास भी किया है। प्रथम श्रेणी को चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर १९८० में टूटायर वातानुकूलित तथा १९९० में थ्री टायर वातानुकूलित डिब्बा शुरू किया गया।

रेलवे की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है कि ट्राफिक को बढ़ावा दिया जाय तथा विभिन्न श्रेणी की मांग के अनुसार किराया दर को संतुलित किया जाय। यदि आसन या बर्थ ऑफ सीजन मे रिक्त जा रहा है तो ऑफ सीजन रियायत देकर तथा अन्य तरीकों से यात्रियों को आकर्षित किया जा सकता है। बहुत से यात्री विशेषकर उच्च श्रेणी के यात्री ऐसे होते हैं जिन्हें यदि किराया में छूट दिया जाय तो वे यात्रा करने के लिए इच्छुक रहते है। राजस्व बढ़ाने के लिए सूचना तंत्र का उपयोग भी उचित रहेगा।

रियायती श्रेणी के यात्रियों में रेल कर्मचारियों की संख्या अधिक है। रेलवे को गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि रेल कर्मचारियों को रियायती दर पर यात्रा करने की सुविधा पूरा किराया भुगतान करने वाले यात्रियों के मूल्य पर नहीं देनी चाहिए। उन्हें वैकल्पिक आधार पर (Stand by basis) पर रखा जाय यानि स्थान रिक्त होने पर ही उन्हें रियायती यात्रा की सुविधा दी जाय।

एक्सपर्ट समूह का यह मत है कि उचित रूप में आय का पुर्नसन्तुलन हेतु द्वितीय श्रेणी श्यनयान में 10% प्रतिवर्ष तथा द्वितीय साधारण श्रेणी में 8% वृद्धि प्रतिवर्ष लगातार पाँच वर्ष तक किया जाय तो रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधर सकती है। इसी प्रकार उच्च श्रेणी किराये में एक या दो प्रतिशत वृद्धि लगातार प्रतिवर्ष पाँच वर्ष तक करते रहना उचित रहेगा। आयोग इस बात से अवगत है कि इस प्रकार विभेदकारी वृद्धि लागू करना कठिन है। परन्तु गत समय में द्वितीय श्रेणी के किराये की तुलना में उच्च श्रेणी में अत्यधिक वृद्धि किये जाते रहने के कारण, ऐसा करना अति आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि १९९३ मे रेलवे frieght and fare committee ने सिफारिश की थी कि द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस किराया तथा AC। के किराये के बीच अन्तर का अनुपात 1:96 होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार किया जाय।

यद्यपि उपनगरीय किराये के ढाँचे का अध्ययन नहीं किया गया है परन्तु यह स्पष्ट है कि इसी प्रकार का कदम इस क्षेत्र में भी उठाना पडेगा। यदि कोई शहर या राज्य चाहता है कि उसके नगरीय यात्री को यह रियायत दिया जाना चाहिए तो यह उपयुक्त होगा कि वर्तमान किराये के ढाँचे को जारी रखने हेतु महानगरों के सभी कर्मचारियों पर यातायात कर (Transportation cess) लगाया जाय जैसा कि फ्रांस के पेरिस क्षेत्र में है।

माल भाड़ा : भारतीय रेलवे को छोटे भार के माल को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। अतः रेलवे को ट्रांसपोर्टस एवं अन्य साधनों के साथ मिल कर प्रबंध करना पडेगा। माल भेजने वाले की दृष्टि से भी विचार करें तो केवल मालभाड़ा के कारण कोई अपने माल को किस साधन (जहाज, रेल या सड़क) से भेजना है, यह विचार नहीं करता है। साधनों का चयन करते समय उपभोक्ता के ध्यान में प्रतीक्षा समय, अनिश्चित डिलीघरी समय, लोडिंग तथा अनलोडिंग की असुविधा तथा अनेक कारणों से भारतीय रेल की सेवा का उपयोग करना या नहीं करना यह विचार करता है।

भारतीय रेलवे के पास ब्रॉडगेज पर लगभग ३ लाख वैगन तथा ७००० ईजन माल यातायात हेतु है परन्तु औसतन एक दिन में एक वैगन का मात्र ३ घंटे ही आवागमन हो पाता है। शेष समय मार्शलिंग यार्ड में या टर्मिनल स्टेशन पर खड़ी रहती है। इस दृष्टि से वैगन एवं ड्राइवर प्रबंधन प्रणाली (wagon & Crew Management System) उपयोगी रहेगा।

सवारी भाड़ा गत आठ वर्षों में 9% बढ़ा है जबकि लागत खर्च 15% बढ़ा है। इस प्रकार से यात्री यातायात के संचालन पर रेलवे को चार हजार करोड़ का घाटा हो रहा हैं। विश्व भर की तुलना में भारतवर्ष में यात्री किराया तथा माल भाड़ा सबसे कम है। चीन में यहाँ से चार गुना अधिक है। मासिक सीजन टिकट पर दिया जाने वाला अनुदान का लाभ गरीबों को नही मिलता बल्कि कार्यालयों

सुभाषित

अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण ! रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।।

हे लक्ष्मण! यह स्वर्णमयी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है।

में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। अतः यद्यपि राजनैतिक दृष्टिकोण से अलोकप्रिय होगा परन्तु किराया बढ़ाना रेलवे की बाध्यता है।

४. निवेश योजना : मालभाड़ा तथा यात्री किराया बढ़ाने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि निवेश योजना पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाय जिससे रेलवे की चहुँमुखी उत्पादकता में वृद्धि हो सके तथा बढ़ती हुई ट्रैफिक को समायोजित करने की क्षमता भी बढ़ सके।

ऐसे निवेश जिसके कारण अतिरिक्त आय नहीं प्राप्त होती है परित्याग कर देना चाहिए। द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रेलवे का जाल बिछाने पर भारी खर्च किया गया। सप्तम पंचवर्षीय योजना में भारी खर्चा किया गया। सप्तम पंचवर्षीय योजना में भारी इन्फरास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु भारी खर्च किया गया। यह खर्च भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) के माध्यम से ऋण लेकर किया गया।

अतः निवेश करने के पूर्व योग्य लक्ष्य निर्धारण करना उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से आवश्यक है।

५. कर्मचारियों की संख्या में कटौती :

यदि वास्तव में रेलवे को आधुनिक यात्रा के साधन के रूप मे विकसित करना है तो बिना विलंब किए हुए मैन पावर में कटौती करना होगा। RITES द्वारा रेलवे बोर्ड के लिए किए गये अध्ययन (Man power planning for Indian Railways : A Diagnostic study) में सिफारिश की गयी थी वर्तमान में 25% से अधिक कर्मचारी आवश्यकता से अधिक है, इन्हें आगामी सात वर्ष में चरणबद्व ढ़ग से कम किया जाय। यह कटौती सामान्य रूप से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त शीघ्र स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना लागू करके किया जाना चाहिए।

6. रेलवे बजट के संबध में पुर्नविचार :

रेलवे बजट को क्या वर्तमान रूप में ही चलने दिया जाय यह एक ज्वलंत प्रश्न है। बजट बनाते समय निम्न बिन्दुओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्राथमिकता निर्धारण :

क) बहुत ही सघन एवं सुविचारित प्रक्रिया के माध्यम से निवेश की प्राथमिकता निश्चित की जाय जिसके अन्तर्गत चुने हुए बड़ी योजनाऐं शामिल की जाय।

ख) त्वरित क्रियान्यवन : प्राथमिकता के आधार पर जिन योजनाओं का चुनाव किया जाता है उसे शीघ्र पूरा किया जाय।

ग) संगठित निवेश : योजनाओं को इस ढ़ग से पूरा किया जाय कि अधिकतम लागत खर्च तथा परिचालन खर्च की बचत हो। बहुत सारे खर्च उन मुद्दों पर किया जाता है जिससे कोई लाभ नहीं होता है जैसे विद्युतीकरण, आधुनिक विद्युत तथा डीजल इंजन पर अधिक खर्च करने के बावजूद मालगाड़ियों की गति में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है।

घ) Incremental plan head आधारित निवेश के स्थान पर Project Oriented निवेश योजना लागू किया जाय। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर चालू सभी योजनाओं का गहराई से अध्ययन कर एक व्यावसायिक रणनीति बनायी जाय, जो थोड़ा भी कम महत्व का हो उसे रोक दिया जाय।

रेलवे बजट संसद में अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। नयी लाइन, गेज परिवर्तन तथा विद्युतीकरण पर तब तक खर्च करने की आवश्यकता नही है जब तक किसी क्षेत्र की अत्याधिक मांग न हो। रेलवे की वित्तीय लेखा का भी पुनगर्ठन कम्पनी एक्ट १९५६ के अनुसार करना होगा।

६. भविष्य के लिए अपेक्षित रणनीति :

रेलवे को भविष्य की दृष्टि से कुछ निम्न रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

क) मालगाड़ियों के औसत गति को बढ़ाना यानि मालगाड़ी तथा सवारी गाड़ी के गति के अन्तर को कम किया जाय।

ख) तेज गति वाली आधुनिक यात्री सेवायें लागू की जाय।

ग) माल ढुलाई की विशेष प्रकार की योजना लागू की जाय।

घ) नूतन टेक्नालॉजी का प्रयोग हो। माल ढुलाई में आधुनिक सूचना टेक्नालॉजी का प्रयोग किया जाय।

ड़) प्रगत सिग्नल तथा संचार

> **अमृत वचन**
> मन को निर्मल रखना तथा उसे करूणा से आप्लावित बनाए रखना ही धर्म है। संसार में धर्म (कर्तव्य) के अनुरूप जीवन चलाने वाला ही सच्चा जीवन चलाने वाला ही सच्चा धर्मात्मा है।
> *स्वामी रामकृष्णा परमहंस*

प्रणाली के माध्यम से क्षमताओं में वृद्वि की जाय।

च) विशिष्ट सेवाओं का व्यवसायिक संचालन निजी प्रबंधन को सौंपा जाय।

छ) रौलिंग स्टॉक को उच्चीकृत किया जाय

समीक्षात्मक विवेचना

राकेश मोहन समिति की सिफारिशें मूलतः रेलवे को निजी क्षेत्र में डालने का सुनियोजित षडयंत्र का हिस्सा है। इसकी कुछ सिफारिशें इतनी घातक है कि सरकार के लिए भी गले की हड्डी बन गयी है। समिति की सिफारिश यदि मानी गयी तो रेल मंत्री अगले वर्ष रेल बजट पेश नही कर सकेंगे क्योकिं समिति ने कहा है अलग से रेल बजट पेश करने की कोई आवश्यकता नही है, यह २००२ से ही बंद होना चाहिए। इस सिफारिश से चिन्तित होकर रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है जो रिपोर्ट की समीक्षा करेगी तथा इस पर पूरे देश में चर्चा कराने का प्रस्ताव किया गया है। रेल बजट अलग से न प्रस्तुत किया जाय इसके समर्थन में तर्क दिया गया है कि इससे रेलवे के कामकाज में जरूरत से ज्यादा पारदर्शिता आती है तथा इसके कारण जनता का ऐसा अनुचित दबाब बनता है जो रेलवे के वाणिज्यिक हितों के खिलाफ होता है। रेल बजट के माध्यम से लोक लुभावन परियोजनाओं की घोषणा होती है जो अनुचित है अतः रेल बजट ही न पेश किया जाय। समिति ने अपने तर्क में यह भी कहा है कि वर्तमान बजट में २३ हजार करोड़ रू० की ७० नयी परियोजनाओं की घोषणा की गयी है जो ज्यादातर बेकार और अलाभकारी है। पहले से ही ४० हजार करोड़ रूपये की परियोजनाऐं लम्बित है जिनमें ७० प्रतिशत घाटे का सौदा है। दूसरी महत्वपूर्ण चिन्ता सरकार को इस बात को लेकर है कि समिति की सिफारिश है कि रेलवे को हानि और मुनाफा के आधार पर चलाया जाय अतः सामाजिक जिम्मेदारी के नाते रेलवे के द्वारा किया जाने वाला खर्च रेलवे पर बोझ है। रेलवे को हर साल चार हजार करोड़ रू० इस सामाजिक दायित्व पर खर्च करना पड़ता है जबकि प्राप्त होता हैं केवल ८०० करोड़ रूपया। अगर सरकार को गरीबों या राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी को मदद करनी है तो इसके लिए अलग से बजट में प्रावधान करना चाहिए।

जहाँ तक रेलवे को वाणिज्यिक संस्थान के रूप में चलाने की बात है, उचित है। सामाजिक दायित्व के नाम पर दी जाने वाली सुविधायें, सांसद, भूतपूर्व सांसद, विधायक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर दी जाने वाली विभिन्न तरह के रियायती टिकट पर रोक लगाना या इसके लिए अलग फंड आवंटित करना भी आवश्यक है। बहुत ही सस्ते दर पर मासिक सीजन टिकट एवं उपनगरीय टिकट भारी मात्रा में जारी करना वास्तव में रेलवे के उपर बहुत बड़ा बोझ है। इस संबंध मे समिति द्वारा दिया गया सुझाव सराहनीय है। परन्तु रेल बजट अलग से नहीं प्रस्तुत करना, रेलवे का पुनगर्ठन कर विभिन्न हिस्सों में विभक्त करना, कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं को समाप्त करना, कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना, रेल परिचालन को छोड़ कर सभी कार्य निजी क्षेत्र से कराये जाने का सुझाव अत्यन्त ही घातक है तथा इसके पीछे बहुत बड़ा षडयंत्र है। रेलवे के संचालन में बाहर के व्यक्तियों को व्यवसायिक दक्षता के नाम पर प्रवेश देना भी ठीक नही है। आवश्यकता है नीचे के कर्मचारी वर्ग (सुपरवाइजरी श्रेणी) का प्रबंधन, योजना एवं संचालन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित किया जाय। वर्तमान रेलवे के उच्च अधिकारियों तथा नीचे के सुपरवाईजरी स्टाफ के बीच बहुत बड़ी खाई है तथा परस्पर संवाद शुन्यता है। परियोजनाओं को शुरू करने के पहले राजनीतिक दबाब नही व्यावहारिक आवश्यकता तथा उससे प्राप्त होने वाला रिर्टन का अध्ययन किया ही जाना चाहिए। परन्तु लोक तंत्र में जनप्रतिनिधियों को पूर्णरूप से अवहेलना करना सम्भव भी नहीं तथा उचित भी नहीं है। पूरी तरह से नौकर शाह पर निर्भर रहना भी कम घातक नही है। जनप्रतिनिधियों द्वारा मांगी गयी परियोजनाओं पर ठीक प्रकार से विचार होना चाहिए। दिन प्रति दिन रेलवे का नेटवर्क बढ़ने ही वाला है, उचित प्रबंधन उपभोक्ताओ को बेहतर सुविधा

सुभाषित

देशरक्षा समं पुण्यं, देशरक्षा समं व्रतम्।
देशरक्षा समं यागो, दृष्टो नैव च नैव च।।

देशरक्षा के समान पुण्य, देशरक्षा के समान व्रत और देशरक्षा के समान यज्ञ नहीं देखा। अर्थात् "देशरक्षा" ही सर्वोच्च कार्य है।

जाने लगा है। यदि रेलकर्मचारी काम नही करता है, इसका कारण यह नही है कि करने के लिए काम नही है बल्कि कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने का कोई प्रयास नहीं होता है तथा उसमें आग में घी डालने का काम करती हैं मान्यता प्राप्त यूनियन का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। रेल प्रशासन भी चाहता है रेल कर्मचारी काम न करे ताकि उसके आड़ में कार्य को निजी क्षेत्र से तथा ठेकेदारों से करवाने का बहाना मिले। ऐसा करने में उनका निहित स्वार्थ है। रेलवे का संबध देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है अतः इसका निजीकरण सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है।

कुल मिला कर स्थिति यह है कि केवल सरकार के सामने ही दुविधा की स्थिति नहीं है बल्कि सर्वत्र इस समिति के सिफारिशों के प्रति रोष है। यदि शीघ्र राकेश मोहन कमिटी की रिर्पोट को अमान्य करने की घोषणा सरकार नही करती है तो भीषण आन्दोलन रेलवे पर शुरू होने से कोई रोक नही सकता।

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

With Best Wishes from

Samrat Construction Co'

H-80, Vikaspuri, New Delhi

शुभकामनाओं सहित

प्रेम कुमार अग्रवाल

रेलवे केटरिंग कान्ट्रेक्टर

बीना (मध्य रेल), भोपाल मण्डल

फोन : 07580-20863

With best compliments from

GOODIES

Fully Air Conditioned Dining Hall

Indian Mughlai Chinese Continental
South Indian Ice Cream Parlour

Free Home Delivery
Within 3 Kms. on order of Rs. 50 or more

608, Rishi Nagar, Rani Bagh, Delhi-110034

"Wish your Sangh all the success for your present and future Endeavours"

Snam

ENTERPRISES

ELECTRICAL ENGINEERS AND CONTRACTORS

883, Jessore Road, Kolkata-700 055
Tel. : 522 1620, 522 3376

LPG - A Curse

...S. Gurumurthy, All India Joint Convenor Swadeshi Jagaran Manch

The Indian Railway is the largest Railway on this earth. Every day it transports a population, which almost equals that of Australia. Its links are longer than that of its counterparts in any other part of the world. It links the most populous nation, most diversely populated, in every geographically conceivable way. It is also the cheapest Railway in the world. The Indian Railway performs social functions to strategic and security functions unknown to, and not required in, most of the western countries, which are held as the normative standards for the Indian Railway today.

This is the greatest single asset of this nation. Yet the trend is to regard and project this great national asset as a kind of a national liability. This vast infrastructure has been badly mismanaged since the dawn of the policy of liberalization, privatization and globalisation (LPG) followed by successive governments. In fact the decline in the financial and operational health of the Indian Railways coincided with the onset of globalisation and deepened with the deepening of globalisation. The psychology of globalisation and the un-debated legitimacy and the acceptability it commanded impacted upon all areas of national economic thinking, and policy - making. So regardless of whether the Railways was subject to any direct action under the policies or not, the mere psychological impact of the atmosphere generated by thoughtless acceptance of globalisation as the only route was sufficient to cause damage to this great national asset, its pride and legitimacy.

This is how it happened. The present idea of globalisation is based mostly on western experience and content. In the case of India it is entirely western. Therefore, the very first agenda of the globalising lobby in India was to paint the very idea of public sector, to which the nation was wedded for four decades, that is till the day before the idea of globalisation emerged, as no more a national asset but actually a national liability. The basic and fundamental principle being that the State is merely a facilitator in economic affairs and therefore should not be a player or a participant in economic activities. This is the core of the ideology of market economics and this has been fundamental to economic policy making the west, particularly the US.

But in India since Independence it was the State, which has built most of the modern industrial and infrastructure economy, whether it was Railways or energy, heavy engineering or steel production. But overnight, in psychological terms, these vast and valuable assets ceased to be assets and began to be regarded as liabilities, which the State must some how get rid off. Dis-investment Commissions were appointed and bundles of valuable shares of these national assets were frittered away in gross under-sales year after year. While the ownership remained with the government and all the concomitant political commitments continued to drain them, the advantages of being owned by the government virtually terminated. It meant that public sector ceased to be legitimate. It had no more pride or value. It

अमृत वचन

महापुरुष सदैव सदाचार का विचार करता है, क्षुद्र व्यक्ति सुख का। महापुरुष शास्त्राज्ञा का विचार करता है, क्षुद्र व्यक्ति लाभ का।

कन्फ्युशियस

had only a terminal value. When this kind of sustained campaign eroded the legitimacy and respectability of the public sector the large pool of trained manpower in the public sector began to exit to the private sector. It became more respectable for a bright officer to serve in public sector. While the government and elites had begun regarding the public sector as a liability in truth it was the government which was the burden and a liability on the public sector. In fact these very elites were the one who had assiduously built not only the public sector, but the public sector syndrome itself as if private enterprise was an evil. This was the first one defect the moment the Berlin Wall collapsed.

I am not one of those who holds, or who ever held, that public sector should command the heights of the national economy. But my difference with the policy makers is on how to deal with the government ownership of industrial an business undertakings, which have been built at massive investment of public funds and are performing unsubstitutable economic and social functions. Without considering dispassionately the ways to overcome the adverse effect of government ownership in an emerging market economy, the elite policy makers, economic thinkers and pink journalists sought the easiest way to deal with the situation, namely to use the atmosphere of failure of socialism to destroy the legitimacy of the very idea of public sector in the public mind and also in the mind of those in the public sector itself. The leadership of public sector in India was implicitly told in no uncertain terms that it was a dying institution.

By one stroke this largest asset base of India became, in psychological terms, its liability. The net effect of these psychological build-up and pressures was to destroy the morale of the public sector undertakings from within and their credibility and respectability outside. The entire approach was based more on ideology - the new extreme view that the public sector is no good, which is the very reverse of the extreme position similarly held earlier that only public sector was good, rather than on pure or national economic interests.

With the result the entire expansion and growth of public sector came to a standstill. And for a decade no growth plan was even seriously pursued. The effect of this began to tell on sectors like the power and other infrastructure sectors. Neither the public sector grew in these areas nor did the private sector step in. With the public sector becoming psychological liability because of the intellectual hysteria whipped up by the highly vocal lobbies of globalisers, the nation fell into a deep depression where organised sectors repeatedly refused to grow, and whatever growth was registered was mostly in unorganised sector and the services sector. Most of the growth in the organised sector was jobless growth. Today one of the most visible proponents of globalisation, Mr. Montek Singh Ahuwalia, heading a Committee on Employment Opportunities had expressed the view that the organized sector has saturated in employment and only the unorganized sector can provide employment to India. This he had said after being part of a regime, which did every thing in the last one decade to regard the unorganised sector as a liability and to administer slow-death to it, and almost exclusively promote the organized sector only.

Now the entire

सुभाषित

स्वदेशे कष्टमापन्ने उदासीनास्तु ये नराः।
नैव च प्रतिकुर्वन्ति, ते नराः शत्रुनन्दनाः।।

जब देश संकट मे पड़ा हो, तब तो लोग उदासीनभाव से दूर खड़े देखते हैं और प्रतीकार का कोई प्रयत्न नहीं करते, वे शत्रुओं को ही आनन्द देने वाले होते हैं। अर्थात् उनको देखकर शत्रुओं को बड़ी प्रसन्नता होती है।

liberalisation, privatisation and globalisation (LPG) policy pursued by the regimes since 1991 seems to be hitting a roadblock. This does not mean that what was done before 1991 was entirely correct. All that seems to emerge is that while we committed one set of mistakes up to 1991, we seem to be committing another set of mistakes now. In fact State Capitalism is as bad as and even worse than market capitalism. But the way we went about psychologically dismantling and destroying the national assets of the State Capitalist apparatus will rank as one of the greatest instances of mishandling of the national economic imbalances. The way we attempted to undo the politicization and governmentalisation of the Indian economy amounted to experimenting on India the experience of the west. Most of the advice and the systems of degovernmentalisation came from the west and from Indians who knew the west more than they knew India. With the result the entire LPG policy seems to be grinding to a halt. The reason being that national consensus which is the most important component needed for implementing the idea of LPG is just not there.

But the 'experts' who keep offering solicited and unsolicited advice to the government and to the nation at large continue to advocate the same line as the reported recommendations of the Railway Expert Group under the Chairmanship of Dr. Rakesh Mohan show. Even though the Report of the Rakesh Mohan Group is tilted as the Report of the **Expert** Group **on Railways**, **Dr. Rakesh Mohan** humbly says in his report that 'it is not easy for, **outside experts**, to grasp the many complexities of the operation of this massive enterprise". So the one confession made by the **Rakesh Mohan Group** is that it is **not an Expert Group on Railways,** but **an Expert Group outside Railways.** It is my suggestion that the recommendations of such a group must not be given the status of an Railway Experts Report, as the title wrongly suggests, but only the value of an outsiders report.

Most of the members of the Group are non-experts in Railway and related areas. And some of them also seem unfamiliar with the most basic requirement, namely understanding of the Indian conditions. It would appear that most of them would not have seen even some parts of the hinterland, or villages in India. And most of them would know more about the west and the western experience than about India. They would sincerely like India to be like the West, which they obviously admire and adore, and detest India for being like what it is and detest to be in a detestable India. Therefore they are suggesting different formulae and agenda for India. To their benefit, I would cite the way Mahatma Gandhi experienced India before he set out to suggest an agenda for India.

When Mahatma Gandhi came to India from South Africa, the people of India revered him as per their tradition as an 'Avatar' and a saint. They put him on a chariot pulled by the horses first, and then substituted the horses by pulling the chariot themselves. From Surat to Ahmedabad to Bombay this was the story. The whole nation wanted him to tell them what they should do. They wanted an agenda from him. To them he was not just an Avatar, educated in the west, but an Indian who defied the White in the den of the White, South Africa. Yet Gandhiji who knew the west and had experienced the west,

अमृत वचन

भोग वासना से प्रेरित होकर किया गया कर्म सत्कर्म नहीं है। कर्तव्य की प्रेरणा से समाज के हित की दृष्टि से किया गया कर्म ही कल्याणकारी है।

निंबाकाचार्य श्री श्रीजी महाराज

would not dare suggest a formula or agenda for India. Till he personally understood, and knew India himself. He kept total silence for a year, and travelled throughout the length and breadth of India in third class Railway compartment, wearing the dress that an ordinary Indian peasant wears and intensely observed his compatriots, his needs. Till he became confident that he understood India he never ventured to speak to India or arrogated to himself the right to suggest an agenda for Indians. Ultimately when he spoke he spoke not to the Indians, but for them. He spoke of an Indian agenda only after understanding India. That he had understood the West did not matter nor did it weigh with him. What was important to him was the knowledge of India, not just the knowledge about the west. And this is precisely what most of the 'experts' in India seem to refuse to understand. They seem to think that the knowledge of the west is adequate to deal with the Indian situation, and to address the Indian problems. The Rakesh Mohan Group of 'Experts' being no exception. Just two examples are adequate to show the bias in the report of the 'Experts'.

First, the Rakesh Mohan Group's attempt to 'understand' the problems of Indian Railways is explicitly West-centric. This is evident form the fact that while it analyses the different approaches to Railway restructuring in Europe and in China and in Japan, it draws its inspiration heavily, if not entirely, from the western experience and model. It is not that the western solutions are all wrong. But for the admittedly complex situation in India the solutions of the west may be too simplistic. And they are.

Second even while dealing with what it calls as the differing approaches of 'the Repairists' and the Reinventists, its bias towards the latter is evident. It calls as Repairists those who are of the view that the majority of the improvements can be realized by reverting to those conditions that had made the Indian Railway successful in the past, that is before 1990. The Repairists want greater autonomy and freedom from Parliament control to put the Indian Railway back on the road to growth. It calls as Reinventists those who are not satisfied with running the Indian Railway better; they want it run differently, that is privatized. The Reinventists are basically western in their thinking. The only reason that it could not accept the Reinventists fully was the fact globally the privatization experience is extremely difficult and controversial. Besides says the Group, 'no approach has yet proven to be satisfactory'. Hence it grudgingly accepts a compromise, with a heavy bias towards the Reinventists. This biased compromise guides its recommendations.

But the practical view seems to be that of the Repairists who seem to be more in tune with the Indian conditions. Therefore, the recommendations of the Rakesh Mohan Group should be modified to be more in tune with the views of the Repairtists rather than of the Reinventors. A massive public education campaign will be needed for creating a climate for a purposeful debate, which can lead to this understanding. The Bharatiya Railway Mazdoor Sangh should endeavour to create this understanding within the Railway family and outside in the larger interest of the nation. In fact it would be its national duty.

सुभाषित उद्यमेन हि सिद्धयन्ति, कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य, प्रविंशन्ति मुखे मृगाः।।

(जिस प्रकार) सोते हुए सिंह के मुँह में मृग स्वयं आकर प्रविष्ट नहीं हो जाते, अर्थात् उन्हें खाने के लिए सिंह को श्रम करना ही पड़ता है। (ठीक उसी प्रकार) सभी कार्य मात्र इच्छा करने से समाप्त नहीं हो जाते, उन्हें सम्पन्न करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है।

स्वेच्छा निवृत्ति योजना (वी.आर.एस.)

– दत्ता रावदेव, अध्यक्ष, भा०रे०म०सं०

सृष्टि के सम्पूर्ण चराचरों की ही भांति मानव के लिए भी जीवन से निवृत्त होना एक अटल एवं अपरिहार्य घटना है। व्यक्ति चाहे या न चाहे जीवन से मुक्ति उसे मिलती ही है। किन्तु निवृत्ति कब, कहॉ और किस अवस्था में होगी, इसे कोई नहीं जानता। और इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य आनन्द पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। महाभारत की एक कथा के अनुसार यक्ष ने युद्धिष्ठिर से प्रश्न किया कि संसार में सबसे आश्चर्य जनक बात क्या है? युद्धिष्ठिर ने उत्तर दिया कि यह जानते हुए भी कि मृत्यु एक अटल सत्य है, मनुष्य इसे भुलाकर अपना जीवन बिताता है।

यदि हम यर्थाथवाद की चर्चा करें तो स्पष्ट है कि मानव ने खूब प्रगति की है। आधुनिक विज्ञान द्वारा अनेक अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की गयी है। मनुष्य चन्द्रमा तक जा पहुंचा। कल जो बात अकल्पनीय लगती थी या चमत्कार से कम नहीं थी, आज बिल्कुल सामान्य सी लगती है। संगणक के माध्यम से ऐसा जाल(नेटवर्क) फैलाया गया है कि कुछ भी अब मुश्किल नहीं लगता। सम्पूर्ण जगत को जान लेने का दावा करने के बावजूद मृत्यू के विषय में व्यक्ति आज भी अंधकार में ही है। जीवन से निवृत्ति कब होगी, कैसी होगी आज भी कोई नहीं बता सकता। मानव जीवन क्षणभंगुर है, कब निवृत्ति मिल जाय, कहा नहीं जा सकता। इसलिए व्यक्ति को हर समय अच्छे से अच्छा कार्य करते रहना चाहिए, हर समय अच्छी से अच्छी बात करते रहना चाहिए, दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और इतना सब कुछ करते हुए प्रत्येक कार्य को ईश्वर को ही समर्पित करना चाहिए अर्थात स्वयं श्रेय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन अत्यन्त दुर्लभ है। इसका सदुपयोग करना चाहिए। यदि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है तो इसके लिए मनुष्य जीवन में ही प्रयास करना चाहिए। "अहम्" को त्यागकर अपने "स्व" को जानना, चैतन्य को पहचानना, अक्षय आनन्द को समझ लेना और सात्विक पवित्र जनोपयोगी कार्य में हृदय से जुट जाना, कार्य की सफलता का श्रेय स्वयं न लेकर किंचित मात्र भी आसक्ति न रखकर सब कुछ ईश्वराधीन मानना इत्यादि यही सब तो हमारे ऋषि, मुनियों, संतों, तपस्वियों ने बार–बार बताया है।

अमृत वचन

जो कर्तव्य को छोड़कर अकर्तव्य को करते हैं, उनका चित्त मलिन से मलिनतर होता जाता है। इसलिए कर्म को सर्वोपरि मानना चाहिए।

भगवान बुद्ध

मजदूरों के जीवन में वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस इत्यादि में वृद्धि और अन्त में सेवा निवृत्ति, पेंशन इत्यादि बातें सदैव चर्चा में रहती है। कार्य की आयु पूर्ण होने के उपरान्त कार्य से निवृत्त होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है किन्तु "स्वेच्छा निवृत्ति" शब्द का प्रयोग पहले कभी सुना नहीं गया था। किन्तु आज सर्वाधिक प्रयोग इसी शब्द का किया जा रहा है। मजदूरों को भ्रम की स्थिति में डालने वाला, उन्हें परेशान करने वाला यह शब्द आज सर्वत्र चर्चा में है। कुछ वर्षों पूर्व निजी क्षेत्र में इस का प्रयोग शुरू किया गया था। मजदूरों को अधिक पैसा मिलने का लोभ दिखाया गया। उन्हें योजना को स्वीकार करने के लिए तीन–तीन बार अवसर दिया गया। एक मुश्त रकम मिलने की लालच में "स्वेच्छा निवृत्ति" लेने वालों की संख्या में धीरे–धीरे वृद्धि होने लगी। किन्तु अब तो स्वेच्छा निवृत्ति लेना एक नियमित स्वाभाविक प्रक्रिया बन गयी है। कर्मचारियों को अधिक पैसा देकर स्वेच्छा से कार्य से निवृत्त होने का आग्रह क्यों किया जाता है? उन्हें बार–बार इसके लिए अवसर क्यों दिया जाता है। आखिर इसके पीछे कौन से तत्व क्रियाशील है? यदि व्यापक दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो एक तो यह निश्चित है कि कर्मचारियों की संख्या को घटाना एक स्पष्ट महत्त्वपूर्ण कारण है धीरे–धीरे एक–एक कर उद्योग को बन्द करना या उसे कहीं अन्यत्र स्थापित करके नये सिरे से उत्पादन शुरू करना। प्रबन्धन की अपने निजी, संकुचित स्वार्थ हेतु रची गयी एक चाल है। आखिर उन्हें मजदूरों की परवाह क्यों होने लगी। कारखाने बन्द हों, मजदूर बेरोजगार हों इसके विषय में व्यवस्थापक क्यों सोंचेगे। आज हजारों कारखाने बन्द हैं और बन्द होते जा रहे हैं। लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। आखिर इसकी चिन्ता कौन करेगा। इनका जीवन–यापन कैसे होगा। क्या इस विषय में सोचना किसी प्रबन्धन, व्यवस्थापन, मजदूर संगठन और इस समाज का कार्य नहीं है।

यद्यपि निजी क्षेत्र में कुछ वर्षों से "स्वेच्छा निवृत्ति योजना" लागू है। किन्तु जब इसे बैंकों में भी किया जाने लगा तो इसकी जानकारी सामान्य जनता तक भी पहुँच गयी। बैंकों में यह योजना लागू होने पर बैंकों में कार्यरत सभी

श्रम संगठनों ने इस योजना का विरोध किया था। कर्मचारियों को योजना स्वीकार करने से रोकने के लिए सभी प्रयास किये गये। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि संगठनों की सलाह को न मानते हुए योजना लागू होने के पहले ही दिन आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों ने इसके समर्थन में अपनी सहमति दे दी। परिणाम स्वरूप हजारों बैंक कर्मचारी सेवा से निवृत्त हुए। उन्हें इकट्ठा पैसा अवश्य मिला और कुछ दिन खूब अच्छी तरह व्यतीत भी हुए। किन्तु अब धीरे–धीरे इस योजना के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। जिन कर्मचारियों में कार्य करने की भरपूर क्षमता विद्यमान भी है तथा जिन्हें वास्तविक अवकाश ग्रहण करने में कई वर्ष शेष थे उन्हें दिन भर एकाकी घर में बैठे रहना अखरने लगा है। उनके लिए समय बिताना भी भारी जान पड़ रहा है। हमारे देश में अनेक सामाजिक सेवा कार्य शुरू है, जहाँ निःस्वार्थ भाव से कार्य करने वालों की नितांत आवश्यकता है। ऐसे सेवा कार्यों में इन अवकाश प्राप्त लोगों को कार्य करने का अवसर मिला। कुछ लोग इसमें जुट भी गये हैं। किन्तु वे कब तक इस कार्य में लगे रहेंगे, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इस प्रकार के कार्य में सेवा करने के संस्कार भी तो होने चाहिए। अधिकांश लोग आराम से एकदम निष्क्रिय होकर अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया है। परिणामतः वे तमाम अलग–अलग प्रकार की समस्याओं के शिकार हो गये हैं। अनेक लोगों को एकान्तवास में घुटन सी महसूस होने लगी है, उन पर उदासी छा गयी है, जीवन उनके लिए थम सा गया है। कई लोग एकाकीपन दूर करने के चक्कर में दुर्व्यसनों के शिकार हो गये हैं। इस विषय पर मराठी में एक नाटक लिखा गया है – **"आमचे आभाकच वेगके"**। इस नाटक का अंत अत्यन्त क्लेशकारक, भयानक और करूणाजनक दिखाया गया हैं यह योजना ही इस नाटक की विषयवस्तु है।

उपर्युक्त बातें तो कर्मचारियों के विषय में हुई। इसके अतिरिक्त बैंक व्यवस्थापन और ग्राहकों पर भी इस योजना का विपरीत प्रभाव पड़ा है। भविष्य की अनिश्चितता तथा आधुनिकीकरण के कारण कार्य करने में आ रही कठिनाइयों के कारण अनेक योग्य कर्मचारियों ने स्वेच्छा निवृत्ति ले ली। परिणाम स्वरूप बैंकों में कार्यभार बढ़ गया है। कर्मचारी की कमी महसूस की जा रही हैं बैंकों में कई नयी योजनायें शुरू होने वाली है। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए। जिनकी कमी के कारण ये योजनाएं अधर में लटक गयी हैं। यह स्पर्धा का युग है। विदेशी कम्पनियां तथा बैंक अपना जाल यहां फैलाना चाहते हैं। उनसे टक्कर लेने के लिए न केवल आधुनिक मशीनों का अपितु उन्हें उचित तरीके से संचालित करने के लिए योग्य मानव मस्तिष्क की भी आवश्यकता है, ऐसे मौके पर बैंकों ने स्वयं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है।

ग्राहकों का अनुभव भी कुछ अलग नहीं है। छोटे–छोटे कार्यों के लिए भी अब काफी समय बैंकों में लगने लगा है। प्रशिक्षित अनुभवी, कार्यतत्पर, कार्यकुशल तथा समझ रखनेवाले कर्मचारी चले गये। शेष कर्मचारी उच्चतम् तथा तत्पर सेवा के लिए असमर्थ हैं। यदि बात यहीं तक होती तब भी सहा जा सकता है किन्तु आज अल्प समय में बिना मेहनत के अधिकाधिक सम्पत्ति इकट्ठी करने वाले महत्त्वाकांक्षी नव धनाढ्य कर्मचारियों के बीच में अपने जीवन की सारी पूंजी बैंक में रखने पर उसके सुरक्षा की गारन्टी क्या है? आय–व्यय तथा जमा का हिसाब–किताब उचित तरीके से किया जायेगा इसका भरोसा कौन दे सकता है। संगणक में भी अकुशल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गलत प्रवृष्टि होने पर ग्राहकों का कितना नुकसान होगा और फिर गलती को ढूढ़कर, दुरूस्त करने की सामर्थ्य व समझदारी बचे–खुचे कर्मचारियों मे न होने के कारण ग्राहकों की क्या दुर्दशा होगी, इसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आज सामने आ रहे हैं जो "स्वेच्छा निवृत्ति योजना" के परिणाम है।

इन वास्ताविकताओं को नजर अन्दाज करके सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने के नये–नये तरीके अपनाए जा रहें हैं। केन्द्र सरकार ने सेवा निवृत्ति की आयु ५८ वर्ष से बढ़ाकर ६० वर्ष की है। अब पुनः इसे ५८ वर्ष करने की चर्चा चल रही है। राज्य सरकारें ५८ वर्ष की जगह ५६ वर्ष, इससे भी कम आयु निर्धारित करने पर विचार कर रही है। पाचवें वेतन आयोग तथा अभी–अभी रेलवे के विषय में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली डॉ० राकेश मोहन समिति ने भी स्वेच्छा से अवकाश लेने की योजना लागू करने की सिफारिश की है। केन्द्र सरकार यह योजना लागू करने जा रही है। एक ओर तो रेलवे में भर्ती पर रोक लगी हुई है और दूसरी ओर नई–नई लाईनें बिछाई जा रही है। प्रतिवर्ष नियमित रूप से दो बार नयी गाड़ियां चलायी जाती है। इन कारणों से कार्यभार बढ़ता ही जा रहा है फिर भी

सुभाषित

योगेक्षेमाय धर्मस्य सभ्यतायाः सुसंस्कृतेः।
नैवान्यो विद्यते पन्थाः लोकसंघटनं विना।।

धर्म, सभ्यता और संस्कृति के योगक्षेम हेतु समाज के संगठन के बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

कर्मचारियों की संख्या कम क्यों की जा रही है। इसके पीछे एक ही साजिश है, रेलवे का निजीकरण करने की साजिश। आज भी कई काम ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे है। यात्रियों की सुरक्षा उनके सुरक्षित यात्रा की परवाह किये बिना यह सब किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। विवादों से, झंझटो से और समस्याओं से खुद को बचाना चाहती है। अपने कर्तव्यों से छुटकारा चाहती है ताकि अपना कार्यकाल सुरक्षित रहे और आराम से समय बिताया जा सकें। सरकार अपनी जिम्मेदारी कैसे टाल सकती है, यह समझ में नही आता। यह सब विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक (WB) और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की साजिश है और इन सबके दबाव में आकर ही सरकार ऐसा कदम उठाने के लिए विवश जान पड़ती है।

"स्वेच्छा निवृत्ति योजना" के अन्तर्गत यदि रेलवे ड्राइवर, मोटर मैन, गार्ड, स्टेशनमास्टर, यार्डमास्टर, कन्ट्रोलर, आपरेटिंग, इंजीनियरिंग और एस०एण्ड०टी० इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विभागों के कर्मचारियों ने भारी संख्या में अवकाश ग्रहण कर लेगें तो रेलवे चलाना मुश्किल ही नहीं असम्भव हो जायेगा। रेलवे में अनेकों कार्य ऐसे हैं जिनके लिए कुशल प्रशिक्षण आवश्यक है। ऐसे कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के निकल जाने के उपरान्त रेल सेवा निश्चित ही प्रभावित होगी। सारा कारोबार ठप पड़ जायेगा। यात्रियों की सुरक्षा अनिश्चित हो जाएगी। गाड़ियों का समय पर चलना, बिना दुर्घटना के गाड़ियों का चलना, नियमित रूप से चलना अत्यन्त मुश्किल हो जायेगा। राष्ट्र की जीवन रेखा समझी जानी वाली रेलवे बिल्कुल अपाहिज, अपंग, लंगडी और लूली हो जायेगी। सारा राष्ट्रीय जीवन अस्त–व्यस्त हो जायेगा। राष्ट्रीय आय पर भी प्रभाव पड़ेगा। यहा सारा परिणाम स्पष्टतया दिखाई दे रहा है। रेलवे कर्मचारी राष्ट्रभक्त है और अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करने वाला है। अपने परिवार के समान ही राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाला स्वेच्छा निवृत्ति जैसा कोई भी कदम उठाने से पूर्व प्रत्येक कर्मचारी गम्भीरता से विचार करेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।

♣ ♣ ♣ ♣ ♣

With Best Compliments from

M/s

Emfind Associates

Specialist in

Fire Fighting Engineering

30, Jyogipara Lane, Dakshin Para Barasat, 24 Pargana (N)
Tel. : 033-5527309, Mob. : 9830050437

Please visit

GUPTA TRADERS AGENCIES

for

ELECTRONICS & ELECTRICAL EQUIPMENTS

SADAR BAZAR, MAINPURI (U.P.)

राष्ट्रीय पुनर्निमाण का प्राण किसमें है ?

हो.वे. शेषाद्रि, सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

व्यक्ति के समान ही देश का भी एक सजीव अस्तित्व है। अपने निजी व्यक्तित्व के बिना व्यक्ति का जीवन निःसार और अर्थहीन हो जाता है। अपने जीवन में कोई विशेष पुरूषार्थ प्रकट करने की चेतना जाग्रत नहीं होती – व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके प्राण समान होता हैं; यह प्राण यानि उसका "स्व" है।

देश के बारे में भी यही मत है। देश का "स्व" यही उसका व्यक्तित्व है उसकी पहचान है। उस देश के लोगों में अदम्य प्रेरणा जगाने वाला जीवन लक्ष्य ही उसका "स्व" है। स्वातंत्र्य का भी यही अर्थ है। अपने "स्व" के आधार पर, अपने जीवन की मानसिक तथा भौतिक दोनों दृष्टि से सारी रचना कर लेने की स्थिति; यानि स्वयं के बलबूते पर अपने राष्ट्रजीवन को सभी दृष्टि से स्वावलंबी एवं समर्थ बनाने की क्षमता। यह तभी संभव हो सकता है जब अपने देश की नैसर्गिक साधन संपत्ति कैसी है ? जनसंपत्ति कितनी है ? अपने समाजजीवन की विशेष मान्यताएं क्या हैं ? अपनी संस्कृति, परम्परा, इतिहासों की दिशा क्या रही है ? वर्तमान में अपने देश की समस्याऐं क्या है ? उनको इस व्यापक "स्व" के परिप्रेक्ष्य में कैसे हल किया जा सकता है ? ऐसी सभी बातें किसी भी स्वतंत्र देश के सामने रहेंगी। इस दिशा में विभिन्न योजनाएं, परियोजनाएं बनानेवाला देश ही सभी दृष्टि से आगे बढ़ सकता है।

यह प्रक्रिया भी एक पेड़ के विकास जैसी है। अपनी धरती उसमें उपलब्ध होने वाले आवश्यक पौष्टिक अंश, जल–वायु इस सबको आत्मसात करके ही वह पेड़ बढ़ता है। उसकी जड़ें उस जमीन की मिट्टी के कण–कण में जुड़ी रहती है। ऐसे पुरातन वृक्ष को पूरी जड़ के साथ उखाड़कर दूसरी जगह पर स्थापित करने का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। भारत जैसे प्राचीन विकसित राष्ट्रजीवन के बारे में भी यहीं बात लागू होती है।

१९४७ में भारत को (विभाजित स्थिति में) स्वतंत्र हो जाने के पश्चात अपने मौलिक "स्वत्व" के आधार पर आगे की विकासयात्रा प्रारंभ करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ था। परन्तु अभी तक भारत के दुर्भाग्य से देश का सत्ताधारी नेतृत्व राष्ट्रजीवन के इस बुनियादी सत्य को ही भूल बैठे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के आखिरी चरणों में कांग्रेस नेतृत्व ने भारत की सच्ची राष्ट्रीयता का आधार छोड़ दिया था। स्वातंत्र्य संघर्ष के प्रारम्भ के अग्रणी स्वामी विवेकानंद–अरविन्द–सावरकर से लेकर एनी बेसेन्ट–लोकमान्य तिलक तक ने जिन राष्ट्रीय आदर्शों को प्रस्तुत कर लोगों को त्याग, पुरूषार्थ और बलिदान के लिए प्रेरित किया था, वे सब ओझल हो गये और उन आदर्शों के स्थान पर केवल सत्ताप्राप्ति ही लक्ष्य बन गया। उसी में से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सत्ता के बंटवारे का भी समझौता उभरकर आया और देश विभाजन जैसी अत्यन्त घोर राष्ट्रीय दुर्घटना घटी। देश की जनता को बार–बार देश की अखण्डता का आश्वासन देनेवाले कांग्रेसी नेता अपने वादे से मुकर गये। पं० नेहरू ने लियोनार्ड मोस्ले को देश विभाजन स्वीकार करने का कारण बताते हुए कहा कि "हम बूढ़े हो गये थे, थक गये थे, अखण्ड भारत के लिए यदि आगे भी संघर्ष करने का निर्णय लेते तो अपने को जेलें भरनी पड़ती, किन्तु उसके लिये कोई भी कांग्रेस के लोग तैयार नहीं थे।" इस प्रकार लड़ने की हिम्मत हारने का जो कारण रहा वह यानि राष्ट्रीय "स्व"त्व के आदर्शों के स्थान पर केवल सत्ता प्राप्ति बन जाना–यही रहा। स्वतंत्र भारत के महाप्रधान बने पंडित नेहरू एक ओर राष्ट्रीय "स्व"तव से अनभिज्ञ थे और दूसरी ओर पाश्चात्य प्रभाव के पूरे शिकार बने हुए थे। उनके अधिकांश सहयोगी और प्रशासनिक सलाहकरों के भी मानस उसी रंग से रंगे हुए थे।

आज भारत के सभी क्षेत्रों में जो घोर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, विषमता का तांडव दिखाई दे रहा है और देश की एकता अखण्डता ही नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ी हुई है– यह सब राष्ट्रीय स्तर पर ध्येय शून्यता का ही कटुफल है।

> *अमृत वचन*
>
> **ज्ञान के बावजूद जिनका अहंभाव नहीं गया, उनके लिए भगवद् साक्षात्कार संभव नहीं है। उनसे जल्दी तो वे लोग सत्य तक पहुंच जाएगें जो सरल हैं, निश्छल हैं और शुद्धभाव से प्रयत्न कर रहे हैं।**
>
> *महर्षि रमण*

किसी भी देश का सही सामर्थ्य उसकी जनता के राष्ट्रनिष्ठा–अनुशासन एवम् राष्ट्रीय चारित्र्य पर निर्भर करता है। आर्थिक क्षेत्र में भी यही बात शत–प्रतिशत लागू होता है। विख्यात अर्थशास्त्री ई०एफ० शमाकर ने अपने ग्रन्थ "Small is Beautiful" में विभिन्न विकासशील देशों के विशेष रूप से भारत का भी – आर्थिक विकास के लिए अनुकूल मूलतत्व एवं संरचना की चर्चा करने के उपरान्त मुख्य निष्कर्ष के रूप में लिखा है कि –

"हमारी चिंतन–प्रक्रिया का प्रारंभ–बिंदु गरीबी यही रहेगा..... रूखे–सूखे भौतिकवादी सिद्धान्त से हमें केवल भौतिक प्रधान अवसरों पर ही दृष्टि रखने की प्रवृत्ति होती है। वास्तव में गरीबी के कारणों में नैसर्गिक साधन–संपत्ति का अभाव, पूंजी की कमी या बुनियादी संरचना का अभाव जैसे भौतिक घटक दुर्यम है। गरीबी के सबसे प्रमुख कारण तो शिक्षा, अनुशासन एवं संगठन की कमियों जैसे अभौतिक घटक ही है।

विकास का प्रारंभ, उत्पादित वस्तुओ से नहीं अपितु लोगों से होता है, उनकी शिक्षा, अनुशासन और संगठन से होता है। इन तीनों के सिवाय सारे संसाधन अनुत्पादक हैं और सुप्तावस्था में रह जाते हैं।

इन तीन पहलुओं को शिक्षा, अनुशासन, संगठन मात्र कुछ लोगों ने नहीं अपितु सारे समाज ने आत्मसात करना होगा।

इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि विकास कोई अर्थशास्त्रियों के बस की बात नहीं है, अत्यन्त शुष्क भौतिकवाद पर निर्भर प्रवीणता पाये आर्थिक पंडितों की तो सर्वथा नहीं।"

यह भी स्पष्ट है कि अपनी जनता के अंदर राष्ट्रीय दायित्व का बोध, अनुशासन संगठन जैसे संस्कारों को आत्मसात करने की प्रेरणा तभी जागृत की जा सकती है जब अपने देश की सच्ची राष्ट्रीयता का अभिमान उनके हृदयों में जगे और उसके प्रकाश में अपने राष्ट्र के भव्य पुर्ननिर्माण का स्वप्न उसकी नस–नस में गूंजता रहे। स्वदेशी की संकल्पना में अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं राष्ट्रीय पुननिर्माण का ही चुनौती भरा स्वप्न भरा हुआ है। इस समय पूरे देश में जो स्वदेशी जागरण का अभियान चल रहा है, वह इसी महान स्वप्न से प्रेरित हुआ है।

● ● ● ● ●

With Best Compliment from.....

Nirmal Trading Co.

Manufacturers of :

Nirmal, Nirmal Premium & Bullet Embroidery,
Threads Carpet Threads kite Threads etc.

2823/31, Pratap Market, Gali Matke Wali, Sadar Bazar, De
Tel. : 525316, 7770268 (Shop), 7233229, 7114469 (Fact.), 7181692,

साधना सा प्रयास

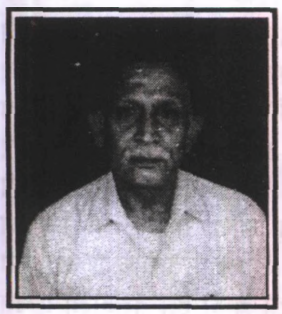

महेश कुमार पाठक, सम्पर्क प्रमुख, भा.रे.म.सं.

कहते हैं सत्य संकल्प का दाता राम होता है। भारतीय मजदूर संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, क्यों ? ईश्वर का कार्य क्या है ? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है

परित्राणाय् साधुनाम् विनाशयं च दुष्कृताम।
धर्मसंस्थापनार्थ संम्भवामि युगे युगे।।

सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का संहार तथा धर्म की स्थापना यही कार्य ईश्वर का है। भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से यही तो हम करते है : मजदूरों का शोषण करने वाले के साथ संघर्ष। देश, उद्योग तथा मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले के साथ सहयोग। जो जो भी अच्छे कार्य हैं वह धर्म की श्रेणी में आते हैं, धर्म जो धारणा करने योग्य है।

रेल उद्योग में कार्यरत सबसे बड़ा संगठन भारतीय रेलवे मजदूर संघ के सिद्धान्तों व आदर्शों पर गतिमान है। यानि भा० म० संघ द्वारा किया जाने वाले ईश्वरीय कार्य का एक लघुअंश है।

यह सर्वविदित ही है कि जहां ईश्वरीय कार्य होता है वहीं दानवी कार्य भी होता है। देव और दानव का संघर्ष हर काल में चलता रहा है, हर क्षेत्र में चलता है तथा हर परिस्थितियो में चलेगा। भा०रे०म०संघ को भी विगत ३५ वर्षों से रेलवे में दानवी शक्तियों के पर्याय नौकरशाहों से संघर्ष करना पड़ रहा है, अभी और करना पड़ सकता है। परन्तु यह भी अखंड सत्य है कि सत्य की ही विजय होती है और अवश्य होगी। दैवी शक्ति कभी पराजित नहीं हो सकती है। यह आत्म विश्वास चाहिए। भा०रे०म० संघ के कार्यकर्ताओं में यह आत्म विश्वास है। हो भी क्यों न ? हमें यह संस्कार प्रारम्भ से ही मिला है।

भारतीय रेलवे मजदूर संघ की स्थापना १९६५ को हुई। देखते देखते यह संगठन सभी जोन में सभी उत्पादन इकाइयों में सभी मंडलों में प्रभावी बनता गया। इस प्रभाव का प्रत्यक्ष दर्शन तब हुआ जब वर्ष १९८० को आधार वर्ष मानकर हुए सदस्यता सत्यापान में प्रथम स्थान पर यह पहुँच गया। यद्यपि इस प्रभाव का दर्शन इससे भी पहले १९७४ की ऐतिहासिक देशव्यापी रेल हड़ताल के समय समस्त रेल कर्मचारियों को, नौकरशाहों को तथा सरकार को हो चुका था। ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के साथ भा० रे० म० सं० की सक्रिय सहभागिता के कारण ही हड़ताल को ऐतिहासिक दर्जा हासिल हुआ। सम्भवतः भा०रे०म०सं० की शक्ति का ठीक प्रकार से आकलन करने के कारण ही रेल मंत्रालय की ओर से इसे मान्यता देने की पेशकश की गयी परन्तु संगठन ने ठुकरा दिया क्योंकि उस पेशकश के साथ रेल मंत्रालय का एक दुषित स्वार्थ भी छिपा था। वह स्वार्थ था भा० रे० म० सं० हड़ताल से अपने को अलग कर ले। वे भूल गये कि भा०रे०म०सं० को मान्यता का प्रलोभन देकर खरीदा नहीं जा सकता है। उनको यह नहीं मालूम था कि मान्यता हमारे लिए केवल साधन है, साध्य नहीं है।

सदस्यता सत्यापन के परिणाम को धता बता कर रेलवे बोर्ड ने अपनी कपटता का परिचय दिया। कपटतापूर्वक न्याय से वंचित रखने के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय को दस्तक देना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तो दिया परन्तु कौरवों के दरबार में न्याय की भाषा कौन समझता है ? सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का केस भी लगाया गया परन्तु उस केस पर अनेक वर्षों तक कोई सुनवाई न होने के कारण कुछ कारणों से वापस ले लिया गया। संसद में अनेक सांसदों ने स्वयं श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने इस मामले को संसद में उठाया तथा श्री राम नाइक, राम स्वरूप विद्यार्थी, सूरज भान एवं सत्यनारायण जाटिया आदि सांसदों ने भी रेल मंत्री से प्रश्न पूछा। परन्तु सभी के प्रश्नों को रेलवे बोर्ड द्वारा रटा रटाया गया उत्तर एक सा ही सभी रेल मंत्रियों ने दिया।

डॉ० राम सुभग सिंह ने अपने रेल मंत्रीत्व काल मे मान्यता देने को पूर्णतः सहमत हो गये परन्तु आदेश पारित होने के पूर्व उनका मंत्रालय बदल दिया गया।

१९७७ में जनता पार्टी की सरकार गठन के पश्चात भी मान्यता देने का प्रस्ताव सरकार की ओर से आया लेकिन फिर एक नये शर्त के साथ। शर्त थी

वास्तव में मानव जीवन अति दुलर्भ है। अमृत वचन
हमें सदैव एक-एक क्षण का, एक-एक श्वास का सदुपयोग सेवा, परोपकार, कर्तव्यपालन तथा भगवान की भक्ति करने वाला मानव का जीवन ही सार्थक है।

स्वामी शुकदेवानंदनी महाराज

भा०रे०म० संघ जनता पार्टी का घटक बनना स्वीकार कर ले। उनको उत्तर दिया गया भा०रे०म० संघ मान्यता के लिए सिद्धान्तों के साथ समझौता नहीं कर सकता है। ८ मई १९७९ को मान्यता की एक सूत्री मांग पर २५ हजार रेल कर्मचारियों का अभूतपूर्व प्रदर्शन संसद पर हुआ। भारतीय रेलवे मजदूर संघ की प्रसिद्धि सभी ओर से मिली। समय–समय पर संगठन ने अपने शक्ति का परिचय सरकार को देती रही है। दि० ८ मई से १६ जून १९९५ तक उ०रे० के मुख्यालय पर उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन द्वारा ४० दिनों तक मान्यता हेतु क्रमिक भूख हड़ताल चलाया गया। लगातार ४० दिनों तक प्रदर्शन, द्वार सभाऐं होती रही परन्तु प्रशासन बहरा बन कर यूनियन की शक्ति का मूक दर्शक बनी रही। पुनः २३ जून २००० को रेल भवन के समक्ष देश के कोने–कोने से आए हजारों की संख्या में रेल कर्मचारियों ने रैली के माध्यम से प्रत्यक्ष तत्कालीन रेल राज्य मंत्री श्री बंगारू लक्ष्मण को अपनी मान्यता का दावा पेश किया। मा० रेल राज्य मंत्री ने भा०रे०म०संघ की शक्ति को देखकर सभास्थल पर ही स्वीकार किया कि मान्यता न देकर रेलवे बोर्ड ने संगठन के साथ अन्याय कर रही है।

सरकार बदल गयी, जिन राजनीतिक कारणों के कारण मान्यता से वंचित रखा गया वही भी दूर हुआ। वर्तमान सरकार से अपेक्षाऐं बढ़ी। यह अपेक्षाऐं और भी बलवती हुई जब दि० २५.८.२००० को तत्कालीन मा० रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा फाईल पर टिप्पणी लिखी गयी कि भा०रे०म० संघ एक राष्ट्र भक्त संगठन है तथा मान्यता की सभी शर्तों को पूरा करती है, मान्यता प्रदान किया जाय। लेकिन रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को तो अपनी हठधर्मिता पर गर्व है। मंत्रियों को नानाविध प्रकार की व्यवस्तायें और फिर उनकी अनिश्चितताऐं। ममता जी कोई उचित कार्यवाही करतीं उससे पहले रेल मंत्रालय छोड़ गयीं। श्री नितीश कुमार जी ने पद भार संभाला है। अपने प्रतिनिधियों के द्वारा चार मुलाकातें अब तक उनसे भी हो चुकी है। तत्कालीन श्रम मंत्री तथा अब समाज कल्याण मंत्री श्री सत्य नारायण जाटिया जी भी मा० रेल मंत्री के सक्रिय सम्पर्क में है। आश्वासन भी निरंतर मिल रहा है, परिणाम की प्रतीक्षा है।

बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों व शंकाओं का संतोषजनक उत्तर दिया जा चुका है। उन्हें डर केवल एक ही है कि भा०रे०म०संघ जो रेल को लूट रहे हैं, वह बंद करना होगा। रेलवे को खोखला कर निजी क्षेत्र में सौंपने का इरादा पूरा नहीं होगा। हम न निराश हैं न निराश होगें। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है क्योकिं कर्मचारियों की मान्यता तो हमारे साथ है। इस साधना का फल अवश्य मिलेगा क्योंकि

साधना न कभी निष्फल जाती,
मंजिल आती ही आती है।
साहस से बढ़ने वालों के माथे
पर तिलक लगाती है।

✿ ✿ ✿ ✿ ✿

With Best Compliment from
R. S. K. Enterprises
Deals in :
- Electrical/Mechanical
- Tools/Bearings
- Signal & Communication
- Zinc Platting
- Pumps/Motors
- Welding/Gen-sets
- Govt. General Order Supplier

35, Arjun Nagar, Near Pooja Petrol Pump,
Jagadhri Road, Ambala Cantt. - 133 001
Ph. : 644092 (O) 644019 (R) 699000 (F)

With Best Compliment from
ANAND
Trading Company
DEALS IN :
Electrical, Mechanical, Tools, Bearings,
Pumps, Welding/Gen-Sets &
Govt. General Order Suppliers
Azad Nagar, Opp. Pooja Filling Station, Jagadhari Road,
Ambala Cantt. Tel. : 0171-699492, 699592

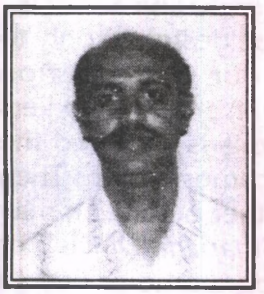

PROGRAMMES ARE OUR LIFE

...K. Swyambhvu, Secretary General BRMS

Bharatiya Mazdoor Sangh is not merely a trade union. It is an ideological movement. The objective is not just to earn bread and butter to some workers. It has a noble ideology and goal to achieve. That is why it differs with other trade unions in many aspects.

We come across many personalities who are working in this organisation since many decades. It appears that th e organisations has become a part of their life. They do not expect any returns for their work. Infact they even take pains to do this work. Such people are called Cadres (Karyakartas) of our organisation. These cadres or *Karyakartas* are the basic strength of our organisation. The entire secret in the success of Bharatiya Mazdoor Sangh is "*Karyakarta*".

When we are working in this organisation and striving for its progress, We shall know about this *Karyakarta*. Wherefrom this *Karyakarta* is coming. Are they readily available any where, are they born as it is. If not who is generating them and what is the process of generation what is that, that is inspiring these people to dedicate themselves to this organisation, through out their life. Unless we know about these points we can not be successful in our endeavours.

When we sit in our '*Baithaks*' to discuss about our work many times we say or we hear from others that a particular programme could not be organised because there are no *Karyakartas* or we could not expand our work because there are no sufficient *Karyakarta* or something was successful because of *Karyakartas*. As such all our success stories and the episodes of failure revolves around this basic "Karyakarta". That is how it became important for us to learn the process of making these *Karyakartas*.

Many of us know about *"Saligrams"*. These have much importance in our society. There are "Siva *Saligrams*" and Vishnu Saligrams". These Saligrams are kept in our pooja Mandir and worshipped as lord "Shiva" and "Vishnu" with utmost devotion. How these *Saligrams* are formed. They are not carved by any sculptor. They are found in rivers. The "Saligrams" found in river "Gandaki" are called "Vishnu Saligrams" and in river "Kosi" are called "Siva Saligrams". When these rivers get floods, they collect, small and big stones along with many other things. The stones slide over the hills and mountains along with the stream. While sliding they hit each other and hit to other rocks, which are already available in the stream. They grind each other and grind to the rocks. While they are thus slide down the hills they remove all their uneven shapes and acquire oval and round shapes. They travel with the flow and reach plain area. For some days they get embedded in the sand. For some days they roll with the stream. The water stream gives them fine finish and shape and remove all inherent flaws of the stone. Thus they attain flaw less state. They are as pure as idols which were purified by "Adhivasas" before installed in a temple. These "Saligrams" are collected and worshipped.

That is how exactly the process of evolution of a *"Karyakarta"*. It is not the lengthy speeches or volumes of books that profess the Ideology. But it is the involvement of a man in our regular programmes or activities. We organise many programme like Mass Rallies, Demonstration Conference etc. We conduct special drive to collect many of our friends in our programmes. Contact old and new friends and colleagues. We take

अमृत वचन

भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण करने वाला तो कृतार्थ होता ही है, उसका कुल भी कृतार्थ होता है।

सुदर्शन चक्र

advantage of even a small acquaintance an invite people to participate. During their participation, they travel, live, work along with us and observe the things. Due to mutual interaction with senior *Karyakartas* they imbibe certain qualities from them. They got inspiration from some people. I know one of our *Karyakarta* who got influenced with the way we serve food in our programmes. It may look very funny to us. The discipline we observed while dining influenced him. From then he was regularly attending our programme and now became a *Karyakarta.* Regular participation in our programmes only makes a man to become our *Karyakarta.* Therefore we should specifically plan programmes to nurture our cadres. Where there are no programmes, there are no *"Karyakarta"* or cadres.

We shall plan our programmes with three basic objective i.e. *Samparka, Sangraha* and *Sanskara.* Certain programmes are to be designed only to make people aware of our organisation functioning of our organisation and the workers of our organisation. Once this is achieved the next step of "*Sangraha*" becomes easier. Then organise programmes to gather people. It may be a "Viswakarma day", *"Sthapana Diwas"*, or any other organisational programme or even a social service activity. The third phase of programmes is to give "Sanskara" is to support with ideological base, through *"Abhyas Vargas"* etc. These three phases are to be keenly followed to nurse the cadres. To be in brief where are *"Karyakramas"* there are "*Karyakartas*". Where there are "Karyakatas" there is "Karya" (in B.M.S.) to attain our "*Lakshya*". Therefore **PROGRAMMES ARE OUR LIFE."**

* * * * *

जब बिजली का
इस्तेमाल
एक बराबर तो
भुगतान भी
एक बराबर क्यों नहीं ?

ऐसे ही कई और मुद्दे हैं जिनकी वजह से लंबे समय से एक ऐसी फूल प्रूफ तकनीक की जरूरत महसूस की जा रही थी जिसमें किसी का भी नुकसान न हो।

इसीलिए पुराने मीटरों की जगह पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित बेहद अच्छी क्वालिटी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लगाए जा रहे हैं।

इन नई तकनीक के मीटरों में किसी भी किस्म की छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीटर से हर उपभोक्ता सिर्फ उतना ही भुगतान करेगा जितनी बिजली वह खर्च करता है। इस ईमानदार पहल में आपका सहयोग आज की जरूरत है, ताकि आने वाला कल अंधकार में नहीं उजाले में हो।

अब जितना खपत, उतना दाम! न कम, न ज्यादा मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग द्वारा जनहित में जारी